वित्त विधेयक, 2012

प्रत्यक्ष करों से संबंधित उपबंध

प्रस्तावना

वित्त विधेयक, 2012 के प्रत्यक्ष करों से संबंधित उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ आय-कर अधिनियम में निम्नलिखित का उपबंध करने हेतु संशोधन करने के लिए है,—

(क) कर दरें;

(ख) कर आधार को व्यापक बनाना;

(ग) बिना लेखा-जोखा के धन के सृजन और परिचालन का निवारण करने के उपाय;

(घ) कर प्रोत्साहन और राहत;

(ङ) स्रोत पर कर कटौती उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण;

(च) अंतरराष्ट्रीय कर उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण;

(छ) अंतरण कीमत उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण;

(ज) साधारण प्रति-अपवंचन नियम;

(झ) अन्य सपष्टीकरण।

2. वित्त विधेयक, 2012, निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए कर हेतु दायी आय पर आय-कर की दरों को, ऐसी दरों को, जिन पर वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान ब्याज (जिसके अंतर्गत प्रतिभूतियों पर ब्याज भी है) से स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी, लॉटरियों या वर्ग पहेली से जीत, घुड़दौड़, ताश के खेल से जीत की रकम और आय-कर अधिनियम के अधीन स्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण के लिए दायी आय के अन्य प्रवर्गों; ''अग्रिम कर'' की संगणना के लिए दरों, ''वेतन'' से आय-कर की कटौती या उस पर कर का संदाय और वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए कतिपय मामलों में वर्तमान आय पर आय-कर प्रभारित करने की दरों को विहित करने के लिए है।

3. प्रत्यक्ष करों से संबंधित विधेयक के मुख्य उपबंधों का सार निम्नलिखित पैराओं में सपष्ट किया गया है।

क. आय-कर की दरें

I. निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए कर के लिए दायी आय की बाबत आय-कर की दरें

निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए कर के लिए दायी निर्धारितियों के सभी प्रवर्गों की आय की बाबत आय की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-I में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये वही दरें हैं जो ''अग्रिम कर'' की संगणना, ''वेतन'' से स्रोत पर कर की कटौती और कतिपय मामलों में संदेय कर के प्रभारण के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 2011 की पहली अनुसूची के भाग-3 में अधिकथित हैं।

(1) आय-कर पर अधिभार

निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए कर के लिए दायी आय की बाबत अधिभार निम्नलिखित मामलों में उद्गृहीत किया जाएगाः—

(क) ऐसी देशी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, संगणित आय-कर की रकम को संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा;

(ख) देशी कंपनी से भिन्न किसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, संगणित आय-कर की रकम को संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा,

तथापि, इन सभी मामलों में यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक करोड़ रुपए से अधिक आय पर अधिभार सहित संदेय आय-कर की अतिरिक्त रकम उस रकम तक सीमित हो, जिससे आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, सीमांत राहत अनुज्ञात की जाएगी।

प्रत्येक कंपनी की दशा में भी जिसकी आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् आय-कर अधिनियम कहा गया है) की धारा 115 ञख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और जहां ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है, पूर्वोक्त वर्णित दर पर अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा और सीमांत राहत भी उपलब्ध करायी जाएगी।

(2) शिक्षा उपकर

निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए "आय-कर पर शिक्षा उपकरण" और आय-कर पर "माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" नामक अतिरिक्त अधिभार सभी मामलों में अधिभार को सम्मिलित करके संगणित कर रकम पर क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर पर उद्गृहीत होता रहेगा। ऐसे उपकर की बाबत कोई सीमांत अनुतोष उपलब्ध नहीं होगा।

II. ''वेतन'' से भिन्न कतिपय आयों से वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें

''वेतन'' से भिन्न कतिपय आयों से वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। सभी प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए दरें वही रहेंगी जो वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के प्रयोजनों के

लिए वित्त अधिनियम, 2011 के भाग-2 में विनिर्दिष्ट हैं। सिवाय अधिसूचित अवसंरचना ऋण निधि द्वारा अनिवासी को संदत्त ब्याज आय के मामले में कटौती की दरों का अब प्रस्तावित नयी धारा 194ठख में उपबंध किया गया है।

(1) अधिभार

देशी कंपनी से भिन्न किसी कंपनी की दशा में इस प्रकार कटौती की गई कर की रकम को, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभावित आय या ऐसी आयों का योग कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपए से अधिक है वहां ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

अन्य मामलों में कटौतियों के संबंध में कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

(2) शिक्षा उपकर

भारत में अनिवासी व्यक्तियों की दशा में, जिसके अन्तर्गत देशी कंपनी से भिन्न कंपनियां भी हैं, जहां कहीं लागू हो, अधिभार सहित, आय-कर के क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से ''आय-कर पर शिक्षा उपकर'' और ''आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर'' उद्गृहीत किया जाता रहेगा।

III. वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान ''वेतन'' से स्रोत पर आय-कर की कटौती, अग्रिम कर की संगणना और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभारित करने के लिए दरें

वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान ''वेतन'' से स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए और सभी प्रवर्गों के निर्धारितियों की दशा में उक्त वर्ष के दौरान संदेय ''अग्रिम कर'' की संगणना से लिए भी दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 में विनिर्दिष्ट की गई हैं।

ऐसे मामलों में, जहां त्वरित निर्धारण किए जाने हैं, उदाहरणार्थ अनिवासियों को भारत में उद्भूत होने वाले पोत संबंधी लाभों का अनंतिम निर्धारण, वित्तीय वर्ष के दौरान हमेशा के लिए भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का निर्धारण,ऐसे व्यक्तियों का निर्धारण जिनके द्वारा कर से बचने के लिए संपत्ति अंतरित करने की संभावना है, अल्प कालावधि के लिए विरचित निकायों का निर्धारण, आदि, वहां ये दरें विद्यमान आयों पर वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान आय-कर प्रभारित करने के लिए भी लागू हैं।

उक्त भाग-3 में विनिर्दिष्ट दरों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित पैराओं में उपदर्शित की गई हैं—

अ - व्यष्टि, हिन्दु अविभक्त कुटुंब, व्यक्तियों का संगम, व्यष्टियों का निकाय, कृत्रिम विधिक व्यक्ति

विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 को पैरा का आय-कर की निम्नलिखित दरों को उपबंधित करता है :—

(i) प्रत्येक व्यष्टि [नीचे (ii) और (iii) में जो उल्लिखित है, उससे भिन्न] या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के प्रत्येक संगम या व्यष्टियों के निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड(31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में (जो ऐसी दशा नहीं है, जिसको भाग-3 का कोई अन्य पैरा लागू होता है) हैं, आय कर की दरें निम्नानुसार हैं:—

2,00,000 रुपए तक	शून्य
2,00,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(ii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्व वर्ष के दौरान में किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का है किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है,—

2,50,000 रुपए तक	शून्य
2,50,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	10 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(iii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का है,—

5,00,000 रुपए तक	शून्य
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

पहली अनुसूची के भाग -3 के पैरा क के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों की दशा में कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

आ - सहकारी सोसाइटी

सहकारी सोसाइटियों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ख में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें वही बनी रहेंगी जो निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए विनिर्दिष्ट हैं। कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

इ - फर्म

फर्मों की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए विनिर्दिष्ट है। कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

ई - स्थानीय प्राधिकारी

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा घ में विनिर्दिष्ट है। यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए विनिर्दिष्ट है। कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा।

उ - कंपनी

कंपनियों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग - 3 के पैरा ङ में विनिर्दिष्ट हैं। ये दरें वही हैं जो निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं।

किसी देशी कंपनी पर पांच प्रतिशत के विद्यमान अधिभार को उदगृहित किया जाता रहेगा। देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियों की दशा में विद्यमान दो प्रतिशत के विद्यमान अधिभार को जारी रखा जाएगा।

तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

सभी अन्य मामलों में (जिनके अन्तर्गत धारा 115ञख, 115ण, 115द आदि भी हैं) पांच प्रतिशत विद्यमान अधिभार का उदग्रहण जारी रहेगा।

वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए, सभी मामलों में ''आय-कर पर शिक्षा उपकर'' और ''आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर'' नामक अतिरिक्त अधिभार, अधिभार सहित संगणित कर की रकम पर क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से उद्गृहीत किया जाता रहेगा। ऐसे उपकर के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

[खंड 2]

ख. कर आधार को व्यापक बनाना

कंपनियों से भिन्न सभी व्यक्तियों पर अनुकल्पी न्यूनतम कर (एएमटी)

आय-कर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन क्रमशः कंपनियों और सिमित दायित्व भागीदारियों पर अनुकल्पी न्यूनतम कर उद्ग्रहित किया जाता है। तथापि, कारबार संगठनों के अन्य रूपों जैसे भागीदारी फर्मों, एकल स्वामित्वों, व्यक्ति सगमों आदि पर ऐसा कोई कर अधिरोपित नहीं किया जाता है।

लाभ से जुड़ी कटौतियों के लिए कर आधार को व्यापक बनाने के लिए आय-कर अधिनियम के अध्याय 12खक में एएमटी से संबंधित अंतर्विष्ट उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कंपनी से भिन्न कोई व्यक्ति जिसने शीर्ष ''ग - कतिपय आयों के संबंध में कटौतियां'' के अधीन अध्याय 6-क में सम्मलित किसी धारा के अधीन (धारा 80त से भिन्न) या धारा 10कक के अधीन कटौती का दावा किया है एएमटी का दायी होगा।

प्रस्तावित संशोधनों के अधीन जहां किसी व्यक्ति कंपनी से भिन्न द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष में संदेय आय-कर ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष के लिए संदेय अनुकल्पी न्यूनतम कर से कम है तो समायोजित कुल आय को ऐसे व्यक्ति की कुल आय समझा जाएगा और वह ऐसी कुल आय पर साढे अठारह प्रतिशत की दर से आय-कर का संदाय करने का दायी होगा।

पूर्वोक्त के प्रयोजनों के लिए,

(i) ''समायोजित कुल आय'' अध्याय 12खक के उपबंधों को प्रभावी करने से पूर्व जैसे कि किसी धारा के अधीन (धारा 80त से भिन्न) शीर्ष ''ग - कतिपय आयों के संबंध में कटौतियां'' और धारा 10कक के अधीन कटौतियों द्वारा बढ़ायी गई कुल आय होगी।

(ii) ''अनुकल्पी न्यूनतम कर'' साढ़े अठारह प्रतिशत की दर से समायोजित कुल आय पर संगणित कर की रकम होगी।

(iii) ''नियमित आय-कर'' कंपनी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष में अध्याय 12खक के उपबंधों से भिन्न इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार उसकी कुल आय पर संदेय आय-कर होगा।

यह और उपबंधित है कि अध्याय 12खक के अधीन एएमटी संबंधी उपबंध किसी व्यष्टि या हिंदु अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के किसी संगम या व्यष्टियों के निकाय (चाहे निगमित हो या नहीं) या धारा 2(31) (vii) में निर्दिष्ट कृत्रिम विधिक व्यक्ति को लागू नहीं होंगे यदि ऐसे व्यक्ति की कुल समायोजित आय 20 लाख रुपए से अनधिक है।

यह भी उपबंधित है कि किसी व्यक्ति द्वारा अध्याय 12खक के अधीन एएमटी मद्दे संदत्त कर प्रत्यय नियमित आय-कर से अधिक संदत अनुकल्पी न्यूनतम कर की सीमा तक अनुज्ञात किया जाएग। इस कर प्रत्यय को उस निर्धारण वर्ष जिसको ऐसा कर प्रत्यय अनुज्ञेय होता है से तुरंत दस पश्चातवर्ती वर्ष तक अग्रणीत करना अनुज्ञेय होगा। इसका किसी निर्धारण वर्ष के लिए, जिसमें नियमित आय-कर अनुकल्पी न्यूनतम कर से अधिक हो जाता है उस सीमा तक मुजरा करना अनुज्ञात होगा जिस सीमा तक नियमित आय-कर अनुकल्पी न्यूनतम कर से अधिक है।

स्वनिर्धारण से संबंधित धारा 140क, आय-कर की विवरणी प्रस्तुत करने में व्यतिक्रम पर ब्याज से संबंधित धारा 234क, अग्रिम कर का संदाय करने में व्यतिक्रम पर ब्याज से संबंधित धारा 234ग के उपबंधों में पारिणामिक संशोधनों का भी प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगें और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगें।

[खंड 47, खंड 48, खंड 49, खंड 50, खंड 51, खंड 52, खंड 57, खंड 82, खंड 83, खंड 84]

कतिपय स्थावर संपतियों (कृषि भूमि से भिन्न) के अंतरण पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस)

आय-कर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन, निवासी को वेतन, ब्याज, कमीशन, दलाली, वृत्तिक सेवाओं आदि के माध्यम से किए गए विनिर्दिष्ट संदायों पर स्रोत से कर की कटौती करना अपेक्षित है।

किसी अनिवासी द्वारा स्थावर संपत्ति के अंतरण पर अंतरिती द्वारा स्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित है। तथापि किसी निवासी द्वारा, सिवाए कतिपय स्थावर संपत्तियों के अनिवार्य अधिग्रहण के, स्थावर संपत्ति के अंतरण की दशा में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं है।

समय के पूर्वतम बिंदु पर कर का संग्रहण करने के लिए और भू-संपदा सेक्टर में अंतरणों का रिपोर्टिंग तंत्र बनाने के लिए यह प्रस्तावित है कि एक नया उपबंध अंतःस्थापित किया जाए जिससे यह उपबंध किया जा सके कि संदाय करने के समय या स्थावर संपत्ति (कृषि भूमि से बिन्न) के अंतरण पर प्रतिफल के रूप में किसी राशि का प्रत्यय करने के समय प्रत्येक अंतरिती ऐसी राशि के एक प्रतिशत की दर से कर की कटौती करेगा यदि ऐसी संपत्ति के लिए संदत्त या संदेय प्रतिफल निम्नलिखित से अधिक होता है —

(क) ऐसी संपत्ति के किसी विनिर्दिष्ट नगर बस्ती में अवस्थित होने की दशा में 50 लाख रुपए; या

(ख) ऐसी संपत्ति के किसी अन्य क्षेत्र में आवस्थित होने की दशा में 20 लाख रुपए।

यह और उपबंधित करने का भी प्रस्ताव है कि यदि ऐसी संपत्ति के अन्तरण के लिए संदत्त या संदेय प्रतिफल ऐसी संपत्ति के अंतरण की बाबत स्टांप-शुल्क के संदाय के प्रयोजन के लिए किसी राज्य सरकार के किसी प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य से कम है, वहां इस प्रकार अंगीकृत या निर्धारित या निर्धारणीय मूल्य को ऐसी संपत्ति के अर्जन के लिए संदत्त या संदेय प्रतिफल समझा जाएगा।

बेहतर अनुपालन के लिए यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908, के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (रजिस्ट्रार) वहां स्थावर संपत्ति के अंतरण को रजिस्टर नहीं करेगा जहां इस उपबंध के अधीन करों की कटौती करना अपेक्षित है सिवाय अंतरिती द्वारा टीडीएस की कटौती और संदाय का सबूत पेर प्रस्तुत करने के।

अंतरिती पर अनुपालना का भार कम करने के लिए यह प्रस्तावित है कि टीडीएस का संदाय करने के लिए एक पृष्ठ का साधारण चालान विहित किया जाएगा जिसमें अंतरक और अंतरिती के ब्यौरे (पैन सहित) और संपति का कतिपय विवरण होगा अंतरिती से कोई कर कटौती और संग्रहण खाता संख्या (टीएएन) अभिप्राप्त करना या कोई टीडीएस विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा चूंकि अधिकांशतः यह एक बार का संव्यवहार होगा। अंतरक को किसी पूर्व संदेय करों के समान अंतरिती द्वारा प्रस्तुत टीडीएस संदाय के चालान के आधार पर कर प्रत्यय प्राप्त होगा।

यह संशोधन 1 अक्तुबर, 2012 से प्रभावी होगा

[खंड 73]

किसी निदेशक को पारिश्रमिक पर टीडीएस

आय-कर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी कंपनी से एक नियोक्ता होने के नाते प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक सहित उसके कर्मचारियों को वेतन का संदाय करते समय उससे कर की कटौती करना अपेक्षित है। तथापि किसी निदेशक को संदत्त पारिश्रमिक, जो वेतन की प्रकृति का नहीं है, पर कर की कटौती करने के लिए कोई विशिष्ट उपबंध नहीं है।

धारा 194ञ का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी निदेशक को संदत्त पारिश्रमिक पर जो वेतन की प्रकृति का नहीं है, ऐसे पारिश्रमिक पर 10 प्रतिशत की दर से कर की कटौती करना अपेक्षित है।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा

[खंड 71]

बुलियन और आभूषण की रोकड़ बिक्री पर स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस)

आय-कर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन कतिपय मालों जैसे एल्कोहाली लिकर, तेंदूपत्ता, स्क्रैप आदि पर विक्रय के समय विक्रेता द्वारा स्रोत पर कर का संग्रहण अपेक्षित है।

बुलियन और आभूषण सेक्टर में रोकड़ संव्यवहार की मात्रा को कम करने के लिए और बुलियन और आभूषण में बिना लेखे-जोखे के धन के प्रवाह पर रोक लगाने के लिए यह उपबंधित करने का प्रस्ताव है कि बुलियन और आभूषण का विक्रेता बुलियन और आभूषण के प्रत्येक क्रेता से यदि विक्रय प्रतिफल दो लाख रुपए से अधिक होता है और विक्रय रोकड़ में होता है तो इस बात पर ध्यान दिए बिना कि चाहे क्रेता विनिर्माता, व्यापारी है या क्रय वैयक्तिक उपयोग के लिए है, विक्रय प्रतिफल का 1 प्रतिशत कर का संग्रह 01 करे।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा

[खंड 79]

कतिपय खनिजों की बिक्री पर टीसीएस

खनन क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग है। किंतु खनिजों का व्यापार अधिकांशतः अविनियमित रह गया है। इसका परिणाम काराधान के प्रयोजनों के लिए खनिज व्यापार सव्यंवहारों में व्यवहार का का रिपोर्ट न होना या कम रिपोर्टो होना है।

समय के पूर्वतम बिंदु पर कर का संग्रहण करने के लिए और खनन क्षेत्र में संव्यवहारों की रिपोटिंग तंत्र में सुधार करने के लिए यह प्रस्तावित है कि निम्नलिखित खनिजों के क्रेताओं से विक्रेता 1 प्रतिशत की दर से कर का संग्रहण करेगाः

(क) कोयला;

(ख) लिग्नाइट; और

(ग) लोह अयस्क।

तथापि, विक्रेता उक्त खनिजों की बिक्री पर कर का संग्रहण नहीं करेगा, यदि उनका क्रय क्रेता द्वारा वैक्तिक उपभोग के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त, इन खनिजों का विक्रेता कर का संग्रहण नहीं करेगा यदि क्रेता यह घोषणा करता है कि इन खनिजों का उपयोजन विनिर्माण करने, प्रसंस्करण करने या वस्तुएं या चीजों का उत्पादन करने के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा

[खंड 79]

जहाजरानी कंपनी की दैनिक टनभार आय

वित्त अधिनियम, 2005 द्वारा आरंभ की गई टनभार स्कीम जहाजरानी कंपनियों की उपधारणा के आधार पर आय के कराधान का उपबंध करती है। इस स्कीम के अधीन किसी जहाजरानी कंपनी के प्रचालन लाभ का अवधारण इसके पोतों की टनभार क्षमता के आधार पर किया जाता है।

इस स्कीम के अधीन विनिर्दिष्ट दैनिक टनभार आय की दरें इस स्कीम के आरम्भ होने की तारीख से अपरिवर्तित थीं। अतः, धारा 115फछ का इस स्कीम के अधीन दैनिक टनभार आय की दरों का पुनरीक्षण निम्नानुसार संशोधन करने का प्रस्ताव हैः

शुद्ध टनभार रखने वाला अर्हक पोत	दैनिक टनभार आय की विद्यमान रकम	दैनिक टनभार आय की प्रस्तावित रकम
(1)	(2)	(3)
1,000 तक	प्रत्येक 100 टन के लिए 46 रुपए	प्रत्येक 100 टन के लिए 70 रुपए
1,000 टन से अनधिक परंतु 10,000 से अन्यून	460 रुपए जमा 1,000 टनों से अधिक प्रत्येक 100 टनों के लिए 35 रुपए	700 रुपए जमा 1,000 टनों से अधिक प्रत्येक 100 टनों के लिए 53 रुपए
10,000 टन से अनधिक परंतु 25,000 से अन्यून	3,610 रुपए जमा 10,000 टनों से अधिक प्रत्येक 100 टनों के लिए 28 रुपए	5,470 रुपए जमा 10,000 टनों से अधिक प्रत्येक 100 टनों के लिए 42 रुपए
25,000 से अधिक	7,810 *रुपए जमा 25,000 टनों से* अधिक प्रत्येक 100 टन के लिए 19 रुपए	11,770 *जमा 25,000 टनों से अधिक* प्रत्येक 100 टन के लिए 29 रुपए

यह संशोधन 1 अप्रेल, 2013 से प्रभावी होगा ओर तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-14 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 55]

ग. बगैर लेखा-जोखा वाले धन के सृजन और परिचालन के निवारण के उपाय

अधिनियम की धारा 68 के अधीन नकद प्रत्यय

अधिनियम की धारा 68 यह उपबंध करती है कि जहां कोई राशि निर्धारिती की बहियों में जमा की गई पाई जाती है और ऐसा निर्धारिती या तो,—

(i) धन की प्रकृति और स्रोत के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है; या

(ii) निर्धारिती द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण निर्धारण अधिकारी द्वारा समाधानप्रद नहीं पाया जाता।

वहां ऐसी रकम को निर्धारित की आय के रूप में कर के अधीन किया जा सकता है।

ऐसे जमा को समाधानप्रद रूप में स्पष्ट करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति की है, जिसकी बहियों में ऐसी राशि जमा की गई है। यदि ऐसा व्यक्ति स्पष्टीकरण नहीं देता है या स्पष्टीकरण समाधानप्रद नहीं पाया जाता है तो ऐसी राशि को व्यक्ति की कुल आय में जोड़ा जाता है। कतिपय न्यायिक उद्घोषणाओं ने सबूत की जिम्मेदारी के बारे में शंकाएं उत्पन्न की हैं और विशेषकर उन दशाओं में इस धारा की अपेक्षा के बारे में, जहां ऐसी राशि को शेयर पूंजी, शेयर प्रीमियम आदि के रूप में जमा किया गया है।

न्यायिक उद्घोषणाओं में, इस बात को मान्य ठहराते हुए कि किसी कंपनी की शेयर पूंजी में विनिधान के छद्म वेष में बगैर लेखा-जोखा वाले धन को परिवर्तित करने के घातक व्यवहार को रोकने की आवश्यकता है, यह सलाह दी गई है कि कंपनी पर सबूत की जिम्मेदारी डालने के संबंध में संतुलन बनाए रखा जाए। न्यायालयों ने विभेद किया है और इस बात पर बल दिया कि शेयरों के प्राइवेट स्थापन की दशा में विधि-व्यवस्था उससे भिन्न होनी चाहिए, जिसे बड़े पैमाने पर जनता से शेयर पूंजी की इप्सा करने वाली कंपनियों की दशा में अपनाया जाता है।

सन्निकट रूप से धारित कंपनियों की दशा में, विनिधान ज्ञात व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं, अतः जमाकर्ता की पहचान और साख तथा संव्यवहार की वास्तविकता स्थापित करने की साधारण जिम्मेदारी के अलावा ऐसी कंपनियों पर उच्चतर जिम्मेदारी डालना भी अपेक्षित है। ऐसी कंपनियों पर, इस बात की अतिरिक्त जिम्मेदारी डालने की भी आवश्यकता है, जिससे वे ऐसी राशि को वास्तविक जमा के रूप में स्वीकृत करने से पूर्व, शेयरों के निर्गमन के मद्दे संदाय करने वाले शेयरधारकों या व्यक्तियों के हाथों में धन के स्रोत का भी सबूत दें और यदि कंपनी इस अतिरिक्त जिम्मेदारी का निर्वहन करने में असफल रहती है तो उस राशि को कंपनी की आय के रूप में माना जाएगा और उसकी आय में जोड़ दिया जाएगा।

अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि किसी सन्निकट रूप से धारित कंपनी की बहियों मे शेयर पूंजी, शेयर प्रीमियम, आदे के रूप में जमा राशि की प्रकृति और स्रोत को केवल उस दशा में स्पष्ट माना जाएगा यदि निधियों के स्रोत को निर्धारिती कंपनी द्वारा निवासी शेयरधारक के हाथ में स्पष्ट किया जाता है। तथापि, सन्निकट रूप से धारित कंपनियों की दशा में भी यह प्रस्ताव किया जाता है कि शेयरधारक के हाथों में स्रोत को समाधानप्रद रूप से स्पष्ट करने की यह अतिरिक्त जिम्मेदारी तब लागू नहीं होगी यदि शेयरधारक कोई सुविनियमित अस्तित्व है, जैसे कि कोई उद्यम पूंजी निधि, सेबी के साथ रजिस्ट्रीकृत उद्यम पूंजी कंपनी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्तवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 22]

नकद जमा, स्पष्ट नहीं किए गए धन, विनिधान आदि का कराधान

आयकर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन, कतिपय स्पष्ट न की गई रकमों को अधिनियम की धारा 68, धारा 69, धारा 69क, धारा 69ख, धारा 69ग और धारा 69घ के अधीन आय समझा जाता है और वह निर्धारिती को लागू कर दर के अनुसार कर के अध्यधीन है। व्यष्टियों, हिन्दु अविभक्त कुटुंब आदि के मामले में, आधारिक छूट सीमा तक कर का उद्ग्रहण नहीं किया जाता है और यदि यह अधिक है तो इसे निम्न स्लैब दर पर उदगृहीत किया जाता है। अतः इन मामलों में, इन समझी गई आयों पर कर का उद्ग्रहण नहीं किया जा सकता, यदि ऐसी समझी गई आय की रकम आधारिक छूट सीमा से कम है।

आधारिक छूट सीमा का फायदा उठाते हुए, बगैर लेखा-जोखा वाले धन के शोधन के व्यवहार का दमन करने के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि ऐसे स्पष्ट न किए गए जमाओं, धन, विनिधान, व्यय आदि पर, जिसे धारा 68, धारा 69, धारा 69क, धारा 69ख, धारा 69ग और धारा 69घ के अधीन आय के रूप में समझा गया है, 30% (धन लागू अधिभार और उपकर) की दर से कर लगाया जाए। यह उपबंध करने भी प्रस्ताव है कि उक्त धाराओं के अधीन समझी गई आय की संगणना में निर्धारिती को अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन किसी व्यय या भत्ते की बाबत कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

[खंड 45]

भारत के बाहर अवस्थित आस्तियों के संबंध में आयकर विवरणी को अनिवार्य रूप से फाइल करना

धारा 139 के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि प्रत्येक व्यक्ति, यदि उसकी कुल आय उस अधिकतम रकम से अधिक हो गई थी, जो आय-कर से प्रभार्य नहीं है, पूर्ववर्ष के दौरान अपनी आय विहित प्ररूप में और विहित रीति से सत्यापित तथा ऐसी अन्य विशिष्टियों को, जो विहित की जाएं, उपवर्णित करते हुए एक विवरणी देगा।

धारा 139 के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे कि धारा 139 की अधीन प्रत्येक ऐसे निवासी के लिए, जिसके पास भारत से बाहर अवस्थित कोई आस्ति (जिसके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी हैं) या भारत से बाहर अवस्थित किसी खाते में हस्ताक्षर करने का प्राधिकार है, आय की विवरणी फाइल करना आज्ञापक बनाया जाए। ऐसे निवासी द्वारा विवरणी फाइल करना इस तथ्य पर ध्यान न देते हुए अनिवार्य होगा कि क्या निवासी करदाता की आय कर से प्रभार्य है अथवा नहीं।

ये संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2012-2013 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 56]

भारत से बाहर अवस्थित किसी आस्ति के संबंध में आय का पुन : निर्धारण

आयकर अधिनियम की धारा 149 के उपबंधों के अधीन, निर्धारण से बच गई किसी आय के मद्दे निर्धारण पुनः आरंभ करने के लिए सूचना जारी करने की समय सीमा 6 वर्ष है। ऐसे मामलों में जहां आस्तियां भारत से बाहर अवस्थित हैं, 6 वर्ष की समय सीमा पर्याप्त नहीं है क्योंकि ऐसी आस्तियों के संबंध में सूचना एकत्रित करने में, अतिरिक्त प्रक्रियाओं और विदेशी अधिकारितांओं की विधियों के मद्दे काफी अधिक समय लगता है।

धारा 149 के उपबंधों का संशोधन प्रस्तावित है जिससे कर से प्रभार्य ऐसी आय, भारत के बाहर अवस्थित किसी आस्ति के संबंध में (जिनके अंतर्गत किसी अस्तित्व में वित्तीय हित भी है) जो निर्धारण से छूट गई हो, के संबंध में निर्धारण पुनः आरंभ करने के लिए सूचना जारी करने की समय सीमा को बढ़ाकर 16 वर्ष किया जा सके।

आयकर अधिनियम की धारा 147 में भी संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति के पास भारत से बाहर अवस्थित कोई आस्ति (किसी अस्तित्व में वित्तीय हित सहित) है, वहां आय को निर्धारण से छूट गया समझा जाएगा।

खंड 147 और खंड 149 के उपबंध प्रक्रियात्मक प्रकृति के हैं और 1 जुलाई, 2012 से प्रवृत्त होंगे और इस प्रकार, इस तारीख से पूर्व आरंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए कार्यवाहियों को पुनः आरंभ करने में समर्थ बनाएंगे। एक स्पष्टीकरण के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव है जिसमें यह कथन होगा कि वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा यथासंशोधित इन धाराओं के उपबंध 1 अप्रैल, 2012 को या उससे पूर्व आरंभ होने वाल किसी निर्धारण वर्ष को लागू होंगे।

धनकर अधिनियम की धारा 17 के उपबंधों में भी तत्समान संशोधन करने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होंगे।

[खंड 61, खंड 62 और खंड 110]

तलाशी के अनुक्रम में पाई गई अप्रकट आय पर शास्ति

आयकर अधिनियम की धारा 271 ककक के विद्यमान उपबंधों के अधीन, यदि निर्धारिती तलाशी के अनुक्रम में धारा 132 की उपधारा (4) के अधीन लेखबद्ध किसी कथन में अप्रकटित आय को स्वीकार कर लेता है और वह रीति विनिर्दिष्ट करता है, जिसमें आय को व्युत्पन्न किया गया है तथा इस आय के संबंध में ब्याज, यदि कोई हो, के साथ कर का संदाय करता है तो किसी शास्ति को उदग्रहण नहीं किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप, तलाशी अनुक्रम में अप्रकटित आय पर 30 प्रतिशत की दर पर कर प्रभारित किया जाता है और कोई शास्ति उद्ग्रहणीय नहीं है।

शास्तिक उपबंधों को सुदृढ़ बनाने के लिए, यह उपबंध करने का प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 271ककक के उपबंध 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात् की जाने वाली तलाशियों के लिए लागू नहीं होंगे। इस दशा में, जहां तलाशी 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात् आरंभ की गई है, शास्ति के उद्ग्रहण के लिए अधिनियम में एक नया उपबंध (धारा 271कककख) अंतः स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है। नई धारा निम्नुसार उपबंध करती है,—

(i) यदि किसी तलाशी के अनुक्रम में अप्रकटित आय (ऐसे चालू वर्ष के लिए जिसमें तलाशी ली जाती है या ऐसे पूर्व वर्ष के लिए, जो तलाशी से पूर्व समाप्त हो गया है और जिसके लिए विवरणी फाइल करना अभी नियत नहीं है) को स्वीकार किया जाता है तो करदाता, कतिपय शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए अप्रकटित आय के 10% की दर से शास्ति के लिए दायी होगा।

(ii) यदि तलाशी के अनुक्रम में अप्रकटित आय स्वीकार नहीं की जाती किन्तु तलाशी के पश्चात फाइल की गई आय में विवरणी में प्रकट की जाती है, तो करदाता कतिपय शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए अप्रकटित आय के 20% की दर से शास्ति के लिए दायी होगा।

(iii) ऊपर (i) और (ii) के अंतर्गत न आने वाले मामलों में, करदाता अप्रकटित आय के 30% से 90% के बीच की दर पर शास्ति के लिए दायी होगा।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होंगे और तदनुसार उस तारीख के पश्चात् होने वाली किसी तलाशी या अभिग्रहण की कार्रवाई को लागू होंगे।

[खंड 89, खंड 95 और खंड 96]

अधिनियम के अधीन अभियोजना कार्यवाहियों के त्वरित करना

आयकर अधिनियम, 1961 का अध्याय 22 दंडनीय अपराधों और ऐसे अपराधों के लिए अभियोजन के ब्यौरे देता है। प्रत्यक्ष कर तिथियों के अधीन अभियोजना को भयोपकारी और विधियों के प्रवर्तन के प्रभावी उपकरण के रूप में उपयोग किया जाता है।

निम्नलिखित के द्वारा आयकर अधिनियम के अधीन धारा 280क, 280ख, 280ग और 280घ के द्वारा अभियोजन तंत्र को सुदृढ़ करने के प्रस्ताव किया जाता है,—

(i) आयकर अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायलयों के गठन के लिए उपबंध करके।

(ii) चूंकि समन विचारण में प्रक्रियाएं सरल और कम समय लेने वाली हैं, इसलिए अभियोजन प्रक्रियाओं के शीघ्रता लाने के लिए इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए समन विचारणों को लागू करना।

(iii) आयकर अधिनियम के अधीन लोक अभियोजक की नियुक्ति के लिए उपलबंध करना।

आयकर अधिनियम, की धारा 276ग, 276गग, 277, 277क और धारा 278 के विद्यमान उपबंधों का, यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया गया है कि ऐसे मामले में, जहां ऐसे कर, शास्ति या ब्याज, जिसका अपवंचन किया गया है, की रकम पच्चीस लाख रूपए (एक लाख रूपए के स्थान पर) से अधिक है, वहां वह ऐसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि छह मास से कम नहीं होगी और जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से दंडनीय होगा।

तथापि, अन्य मामलों में, जहां किसी व्यक्ति द्वारा अपवचन की गई रकम एक लाख रूपए से अधिक नहीं है, वहां वह ऐसे कठोर कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी और जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होंगे।

एक लाख रुपए की अवसीमा को 1976 में अधिरोपित किया गया था। इसमें संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे इस सीमा को पुनरीक्षित करके पच्चीस लाख रुपए किया जा सके।

समन विचारण ऐसे अपराधों को लागू होते हैं, जिनमें कारावास की अधिकतम अवधि दो वर्ष से अनधिक है। अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि जहां ऐसी रकम, जिसका अपवंचन किया गया होता, पच्चीस लाख रुपए से अनधिक है, वहां व्यक्ति ऐसे कठोर कारावास से, जो तीन मास से कम नहीं होगा और जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, और जुर्माने से दंडनीय होगा।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होंगे।

[खंड 101, खंड 102, खंड 103, खंड 104, खंड 105 और खंड 106]

उचित बाजार मूल्य से अधिक शेयर प्रीमियम को आय के रूप में माना जाना

धारा 56(2) आयों के ऐसे विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के लिए उपबंध करती है जो "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होंगी।

धारा 56(2) में एक नया खंड स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है। नया खंड वहां लागू होगा, जहां कोई कंपनी, जो ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जनता सारतः हितबद्ध है, किसी पूर्ववर्ष में, ऐसे किसी व्यक्ति से, जो निवासी है, शेयरों के पुरोधरण के लिए कोई प्रतिफल प्राप्त करती है, जो ऐसे शेयरों के अंकित मूल्य के आधिक्य में है, वहां ऐसे शेयरों के लिए प्राप्त कुल प्रतिफल, जो शेयरों के उचित बाजार मूल्य से अधिक है, "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य होगा। तथापि, उक्त नया खंड वहां लागू नहीं होगा, जहां किसी जोखिम पूंजी उपक्रम द्वारा शेयरों के पुरोधरण के लिए प्रतिफल किसी जोखिम पूंजी निधि या जोखिम पूंजी कंपनी से प्राप्त किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कंपनी को उचित बाजार मूल्य के संबंध में उसके दावे को साबित करने के लिए एक अवसर का उपबंध करने का भी प्रस्ताव किया जाता है। तदनुसार, यह प्रस्ताव किया जाता है कि शेयरों का उचित बाजार मूल्य निम्नलिखित मूल्य से उच्चतर होगाः

(i) जो विहित की जाने वाली किसी पद्धति के अनुसार अवधारित किया जाए; या

(ii) जो कंपनी द्वारा, उसकी आस्तियों जिनके अंतर्गत अमूर्त आस्तियां भी हैं, जैसे कि साख, ज्ञान, पेटेंट, प्रतिलिप्याधिकार, व्यापार चिन्ह, अनुज्ञप्तियां, विशेषाधिकार या समान प्रकृति के कोई अन्य कारबार या वाणिज्यिक अधिकार, के मूल्य के आधार पर निर्धारण अधिकारी के समाधानप्रद रूप में साबित किया जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 21]

घ. कर प्रोत्साहन और अनुतोष

कतिपय अवसंरचना संबंधी क्षेत्रों के वित्त पोषण के लिए कर प्रोत्साहन

आयकर अधिनियम की धारा 115क यह उपबंध करती है कि किसी अनिवासी को सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से प्राप्त किसी ब्याज आय, ऐसी ब्याज आय की कुल रकम पर 20% की दर से कराधेय होगी। किसी अनिवासी को अधिसूचित अवसंरचना ऋण निधि से प्राप्त ब्याज आय, ऐसी ब्याज आय की कुल रकम पर 5% की निम्न दर से कराधेय होगी।

अधिनियम की धारा 195 यह उपबंध करती है कि किसी निवासी को किए गए किसी ब्याज के संदाय की दशा में कर की कटौती (कर को रोक कर) प्रवृत्त दर पर की जाएगी। वर्तमान में, सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा किसी अनिवासी को किसी ब्याज का संदाय करने की दशा में विदहोल्डिंग कर की 20% की दर विहित की गई है।

अवसंरचना क्षेत्र के लिए विदेश से दीर्घकालिक कम लागत की निधियां जुटाने के लिए, कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए विदेश से लिए गए उधारों से कतिपय अवसंरचना क्षेत्रों के वित्तपोषण के लिए कर प्रोत्साहनों का उपबंध करने का प्रस्ताव किया जाता है।

आयकर अधिनियम की धारा 115-क का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है कि किसी करार के अधीन, जिसके अंतर्गत संदेय ब्याज की दर, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित करार भी हैं, 1 जुलाई, 2012 और 1 जुलाई, 2015 के बीच भारत से बाहर के स्रोतों से विदेशी मुद्रा में लिए गए उधारों के संबंध में किसी अनिवासी को किसी विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा संदत्त ब्याज 5% (धन लागू अधिभार और उपकर) की दर से कराधेय होगा।

विनिर्दिष्ट कंपनी एक भारतीय कंपनी होगी, जो निम्नलिखित के कारबार में लगी होगी—

(i) बांध का सन्निर्माण

(ii) वायुयान का प्रचालन

(iii) उर्वरकों का विनिर्माण या उत्पादन

(iv) अंतर्देशीय पत्तनों सहित पत्तन का सन्निर्माण

(v) सड़क, टॉल सड़क या पुल का सन्निर्माण

(vi) विद्युत का जनन, वितरण या परेषण

(vii) किसी शिपयार्ड में पोतों का सन्निर्माण; या

(viii) एक ऐसी सस्ती आवास परियोजना का विकास और निर्माण, जो वर्तमान में धारा 35कछ(8)(ग)(vii) में निर्दिष्ट है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-14 और पश्चात्तवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

यह और प्रस्ताव किया जाता है कि यह उपबंध करने के लिए नई धारा 194ठग अंतः स्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है कि किसी अनिवासी को किसी ऐसी विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा संदत्त ब्याज आय पर 5% (धन लागू अधिभार और उपकर) की दर पर स्रोत पर कर की कटौती की जाएगी।

इस संशोधन को 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी करना प्रस्तावित है।

[खंड 42, खंड 74]

विदेशी कंपनियों से प्राप्त लाभांशों पर कर की निम्न दर

आयकर अधिनियम (अधिनियम) की धारा 115खखघ यह उपबंध करती है कि किसी विनिर्दिष्ट विदेशी कंपनी (जिसमें उसकी शेयर धृत्ति 26% या अधिक है) से किसी भारतीय कंपनी को प्राप्त कुल लाभांशों पर 15% की दर से कर लगाया जाए, यदि ऐसे लाभांश को वित्तीय वर्ष 2011-12, अर्थात् निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए कुल आय में सम्मिलित किया गया है।

उपरोक्त उपबंध को निवासियों द्वारा विदेश में किए गए विनिधानों पर अर्जित आय के देश-प्रत्यावर्तन को बढ़ावा दने के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में आरंभ किया गया था, इस संबंध में प्रोत्साहन के दुरूपयोग को रोकने के लिए कतिपय शर्ते रखी गई थी।

एक और वर्ष के लिए इन उपबंधों को जारी रखने के लिए धारा 115खखघ का संशोधन प्रस्तावित है, जिससे इस धारा के प्रवर्तन को, उन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए वित्तीय वर्ष 2012-13 में प्राप्त कतिपय विदेशी लाभांशों के माध्यम से आय के संबंध में भी विस्तारित किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और निर्धारण वर्ष 2013-14 को लागू होगा।

[खंड 44]

जोखिम पूंजी निधि (वीसीएफ) या जोखिम पूंजी कंपनी (वीसीसी) से संबंधित उपबंध

अधिनियम की धारा 10(23चख) और धारा 15प के उपबंधों का आशय सेबी के साथ रजिस्ट्रीकृत जोखिम पूंजी निधि या जोखिम पूंजी कंपनी की प्रास्थिति के माध्यम से कर संक्रांत सुनिश्चित करना है। धारा 10 (23चख) ने ऐसी वीसीएफ/वीसीसी की आय के संबंध में छूट प्रदान की थी। यह फायदा तब उपलब्ध था, यदि ऐसी वीसीसी/वीसीएस द्वारा किए गए विनिधान किसी देशी कंपनी, अर्थात् किसी जोखिम पूंजी उपक्रम (वीसीयू) के असूचीबद्ध शेयरों में थे। धारा 115प यह सुनिश्चित करती है कि वीसीएप/वीसीसी के माध्यम से विनिधानकर्त्ता के हाथ में आय पर उसी रीति में और उस सीमा तक कर लगाया जाता है, मानो विनिधानकर्त्ता द्वारा सीधे वीसीयू में विनिधान किया गया था। इसके अतिरिक्त, वीसीएफ द्वारा उसके विनिधानकर्त्ताओं को किए गए किसी सदाय को टीडीएस के उपबंध लागू नहीं हैं और वीसीसी द्वारा विनिधानकर्त्ता को किए गए संदाय को लाभांश वितरण कर (डीडीटी) से छूट प्राप्त है।

धारा 10 (23चख) यह और उपबंध करती है कि सेबी द्वारा विनियमित वीसीएफ या वीसीसी की ऐसी आय, जो किसी देशी कंपनी, अर्थात् जोखिम पूंजी उपक्रम में विनिधान से व्युत्पन्न हुई है, कराधान से छूट प्राप्त है, परंतु वीसीयू केवल 9 विनिर्दिष्ट कारबारों में लगी हो। वीसीए, वीसीसी या वीसीयू का कार्यकरण विनियम/सेबी और आरबीआई द्वारा विनियमित है। समान अस्तित्वों के लिए विभिन्न विनियमों और शर्तों की बहुलता से बचने के लिए, आयकर अधिनियम से वीसीयू के कारबार पर सेक्टर संबंधी निर्बंधनों को हटाना अपेक्षित है और ऐसी वीसीयू को सेबी और आरबीआई द्वारा अधिरोपित शर्तों से शासित होने की अनुज्ञा दी जानी चाहिए।

वर्तमान में धारा 115प के उपबंध, विनिधानकर्त्ता के हाथों में कराधान के अनिश्चितकालीन आस्थगन का अवसर अनुज्ञात करते थे। उपरोक्त स्थिति को सुव्यस्थित करने और उसे पास थ्रू स्टेटस के सही आशय बनाने के लिए निम्नलिखित उपबंध करने के लिए 10 (23चख) और धारा 115प का संशोधन करने का प्रस्ताव है—

(i) जोखिम पूंजी उपक्रम का वही अर्थ होगा जो सुसंगत सेबी नियमों में उपबंधित है और सेक्टर संबंधी कोई निर्बंधन नहीं होंगे।

(ii) वीसीएफ/वीसीसी को उद्भूत होने वाली आय, बिना आस्थगन के प्रोदभवन आधार पर विनिधानकर्त्ता के हाथ में कराधेय होगी।

(iii) वीसीएफ/वीसीसी द्वारा विनिधानकर्त्ताओं को जमा या संदत्त आय पर टीडीएस उपबंधों के लागू होने से छूट को वापस लिया जाएगा।

इन संशोधनों को 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है और वे तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-14 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 5, खंड 54]

लाभांश वितरण कर (डीडीटी) के प्रपातीय प्रभाव को दूर करना

अधिनियम की धारा 115ण किसी देशी कंपनी के वितरित लाभों के कराधान का उपबंध करती है। यह धारा यह उपबंध करती है कि लाभांशों के माध्यम से घोषित, वितरित या संदत्त कोई राशि, चाहे वह चालू या एकत्रित लाभों में से हो, 15% की दर से कर के लिए दायी होगी। यह कर लाभांश वितरण कर के रूप में ज्ञात है। ऐसा वितरित लाभांश प्राप्तिकर्त्ताओं के पास छूट प्राप्त है।

अधिनियम की धारा 115ण यह उपबंध करती है कि किसी कंपनी की दशा में डीडीटी के लिए दायी लाभांश में से डीडीटी के संदाय के पश्चात् उसकी अनुषंगी से प्राप्त लाभांश की रकम को घटा दिया जाएगा, यदि वह कंपनी किसी अन्य कंपनी की अनुषंगी नहीं है। यह डीडीटी के प्रपातीय प्रभाव को केवल दो टियर निगम संरचना में कम करता है।

बहु टियर निगम संरचना में डीडीटी के प्रपातीय प्रभाव को कम करने के लिए, अधिनियम की धारा 115ण का, यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि उस दशा में, जहां कोई कंपनी वर्ष के दौरान, किसी अनुषंगी से लाभांश प्राप्त करती है और ऐसी अनुषंगी ने ऐसे लाभांश पर यथा संदेय डीडीटी का संदाय किया है, तब धृति कंपनी द्वारा उसी वर्ष में वितरित लाभांश, उस सीमा तक अधिनियम की धारा 115ण के अधीन लाभांश वितरण कर के अधीन नहीं होगा।

इस संशोधन को 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है।

[खंड 53]

कतिपय विदेशी कंपनियों द्वारा प्राप्त आय के संबंध में छूट

आयकर अधिनियम की धारा 10 ऐसी कतिपय आयों के लिए उपबंध करती है, जो धारा के सुसंगत खंडों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति की कुल आय में सम्मिलित नहीं की जाएगी।

राष्ट्रीय हित में, कच्चे तेल के आयात के लिए भारत में कतिपय विदेशी कंपनियों को भारतीय मुद्रा में संदाय करने का तंत्र तैयार किया गया है। आयकर अधिनियम के वर्तमान उपबंध ऐसे संदाय को भारत में कराधेय ठहराएंगे, क्योंकि इन विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में भारतीय मुद्रा में संदाय प्राप्त किया जा रहा है। यह उचित नहीं होगा कि जब ऐसा संदाय राष्ट्रीय हित पर आधारित है और विशेषकर जब इन कंपनियों द्वारा भारत में, भारतीय मुद्रा में संदाय प्राप्त करने के अलावा कोई अन्य क्रियाकलाप नहीं किया जा रहा है।

अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि आयकर अधिनियम की धारा 10 में एक खंड (48) अंतः स्थापित किया जाए जिससे निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए भारत में किसी व्यक्ति को कच्चे तेल के विक्रय के मद्दे भारत में भारतीय मुद्रा में प्राप्त किसी विदेशी कंपनी की किसी आय के संबंध में छूट का उपबंध किया जा सके।

(i) धन की प्राप्ति ऐसे करार या ऐसे ठहराव के अधीन की गई है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया है या उसके द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(ii) विदेशी कंपनी और ठहराव या करार को केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित किया गया है।

(iii) धन की प्राप्ति, एकमात्र ऐसा क्रियाकलाप है, जो विदेशी कंपनी द्वारा भारत में किया जा रहा है।

इन संशोधनों को 1 अप्रैल, 2012 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी करने का प्रस्ताव है और ये ऐसे टहराव या करार की अधिसूचना के पश्चात् तदनुसार निर्धारण वर्ष 2012-13 और पश्चात् वर्ती वर्तों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 5]

विद्युत सेक्टर को प्रारंभिक अवक्षयण का फायदा विस्तारित करना

धारा 32(1) (iiक) यह उपबंध करती है कि अर्जन और प्रतिष्ठापन के वर्ष में, किसी वस्तु या किसी चीज के उत्पादन या विनिर्माण के कारबार में लगे निर्धारिती को नई मशीनरी या संयंत्र (पोतों और वायुयानों से भिन्न) की वास्तविक लागत पर 20 प्रतिशत की दर पर प्रारंभिक अवक्षयण (सामान्य अवक्षयण

के अलावा) की अनुज्ञा प्राप्त होगी। विद्यमान उपबंधों के अधीन, प्रारंभिक अवक्षयण का फायदा, विद्युत के जनन या जनन और वितरण के कारबार में लगे निर्धारित द्वारा प्रतिष्ठापित नई मशीनरी या संयंत्र पर उपलब्ध नहीं है।

विद्युत के जनन या जनन और वितरण में लगे निर्धारिती द्वारा नए निवेश को बढ़ावा देने के लिए, इस धारा के संशोधन का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विद्युत के जनन या जनन और वितरण के कारबार में लगे किसी निर्धारिती को पूर्व वर्ष में अर्जित और प्रतिष्ठापित नई मशीनरी या संयंत्र (पोतों और वायुयानों से भिन्न) की वास्तविक लागत की 20 प्रतिशत की दर पर प्रारंभिक अवक्षयण अनुज्ञात किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार वर्ष 2013-14 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 7]

वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास के लिए भारित कटौती

आयकर अधिनियम की धारा 35(2कख) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी कंपनी के अनुमोदित घरेलू अनुसंधान और विकास सुविधाओं पर उपगत व्यय (जो भूमि या भवन की लागत की प्रकृति के नहीं है) के 200 प्रतिशत की दर से भारित कटौती अनुज्ञात है। ये उपबंध किसी कंपनी द्वारा 31 मार्च, 2012 के पश्चात् उपगत व्यय के संबंध में लागू नहीं हैं।

घरेलू अनुसंधान पर खर्च को जारी रखने के लिए निगम क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए इस धारा को संशोधित करने का प्रस्ताव है ताकि भारित कटौती का फायदा पांच वर्ष की और अवधि, अर्थात् 31 मार्च, 2017 तक विस्तारित किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार वर्ष 2013-14 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में निर्धारण वर्ष 2017-2018 तक लागू होगा।

[खंड 8]

कृषि विस्तार परियोजना पर उपगत व्यय के लिए भारित कटौती

कृषि विस्तार सेवाएं कृषि सेक्टर में उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। कारबार अस्तित्वों को बेहतर और प्रभावी कृषि विस्तार सेवाए प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन देने हेतु, आय-कर अधिनियम में एक नया उपबंध अंतः स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे कृषि विस्तार परियोजना पर उपगत व्यय की 150 प्रतिशत भारित कटौती अनुज्ञात की जा सके। इस भारित कटौती के लिए पात्र कृषि विस्तार परियोजना विहित मार्गनिर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा अधिसूचित की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार वर्ष 2013-14 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 10]

कौशल विकास के लिए व्यय हेतु भारित कटौती

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने तारीख 4 नवंबर, 2011 के प्रेस नोट द्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण नीति अधिसूचित की है। अधिसूचित राष्ट्रीय विनिर्माण नीति, अन्य बातों के साथ, विनिर्माण सेक्टर में कौशल विकास के लिए निम्नलिखित प्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन का उपबंध करने का प्रस्ताव करती हैः

"स्वयं की संस्थाओं की स्थापना करने के लिए निजी सेक्टर को प्रोत्साहित करने हेतु, सरकार एनएसडीसी के साथ समन्वय करके पृथक सुविधाओं में विनिर्माण सेक्टर में आईटीआई में कौशल विकास हेतु लोक निजी सहभागिता परियोजनाएं (पीपीपी) पर उपगत व्यय पर (भूमि या भवन से भिन्न) 150% की भारित कटौती प्रदान करेगी।"

कंपनियों को विनिर्माण सेक्टर में कौशल विकास परियोजनाओं में विनिधान करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कौशल विकास परियोजना पर उपगत व्यय (भूमि या भवन की लागत की प्रकृति का व्यय नहीं) की 150 प्रतिशत भारित कटौती का उपबंध करने के लिए आय-कर अधिनियम मे एक नया उपबंध अंतः स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस भारित कटौती के लिए पात्र कौशल विकास परियोजना विहित मार्गनिर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा अधूसूचित की जाएगी।

प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 10]

लेखाओं की संपरीक्षा के लिए आवर्त या सकल प्राप्तियां तथा उपधारणा कराधान

I. धारा 44कख के विद्यमान उपबंध कारबार चलाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए निर्धारण वर्ष से सुसंगत किसी पूर्व वर्ष के अपने लेखाओं की विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व किसी लेखापाल से लेखा परीक्षा कराने को बाध्यकर बनाते हैं, यदि पूर्ववर्ष के लिए कारबार के कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां साठ लाख रुपए से अधिक हैं।

छोटे कारबारियों तथा वृत्तिकों पर अनुपालन मार कम करने के लिए धारा 44कख के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा कराने के लिए कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियों की अवसीमा साठ लाख रूपए से बढ़ाकर एक करोड़ रूपए करने, जहां व्यक्ति कारबार चलाते हैं, तथा पंद्रह लाख रूपए से बढ़ाकर पच्चीस लाख रुपए करने, जहां व्यक्ति वृत्तिक हैं, का प्रस्ताव है।

II. यह भी प्रस्ताव है कि धारा 44 कघ के अधीन उपधारणा कराधान के प्रयोजनों के लिए, कुल आवर्त या सकल प्राप्तियों की अवसीमा साठ लाख रुपए से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए कर दी जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-14 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 13, खंड 14]

वरिष्ठ नागरिकों के लिए अग्रिम कर के संदाय से छूट

आय-कर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन, प्रत्येक निर्धारिती से अग्रिम कर का संदाय करना अपेक्षित होता है यदि पूर्व वर्ष के लिए कर दायित्व दस हजार रुपए से अधिक होता है। वरिष्ठ नागरिकों के मामले में, जिनकी निष्क्रिय आय ब्याज, भाटक आदि की प्रकृति की होती है, अग्रिम कर के संदाय की अपेक्षा का परिणाम अनुपालन भार का वृद्धि होता है।

ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के अनुपालन भार को कम करने के लिए, यह प्रस्ताव है कि निवासी वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आय "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य नहीं है, अग्रिम कर का संदाय करने के दायी नहीं होंगे तथा ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को स्तः निर्धारण कर के संदाय द्वारा अपने कर दायित्व (टीडीएस से भिन्न) का निर्वहन करना अनुज्ञात होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा और तदनुसार पूर्वोक्त वरिष्ठ नागरिकों से वित्तीय वर्ष 2012-13 और पश्चातवर्ती वित्तीय वर्षों के लिए अग्रिम कर का संदाय करना अपेक्षित नहीं होगा।

[खंड 80]

धन -कर-किसी कंपनी के कर्मचारी आदि को आबंटित निवास की छूट

धारा 2 के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि ऐसे मामले में, जहां कोई आवास किसी कंपनी द्वारा किसी ऐसे कर्मचारी या अधिकारी या निदेशक को निवास के प्रयोजनों के लिए आबंटित किया जाता है, जो पूर्णकालिक नियोजन में है और जिसका सकल वार्षिक वेतन पांच लाख रुपए से कम है, वहां उस गृह को ऐसी आस्तियों की परिभाषा में सम्मिलित नही किया जाएगा, जिन पर धन-कर प्रभारित किया जाता है ।

इस सीमा के पुनरीक्षण से वेतन और महंगाई में साधारण वृद्धि पर विचार करते हुए किसी कंपनी द्वारा कर्मचारियों अधिकारी या पूर्णकालिक निदेशक को आबंटित निवास पर धन-कर उद्ग्रहण करने के प्रयोजन के लिए सकल वेतन की विद्यमान अवसीमा को पांच लाख रुपए से बढ़ाकर दस लाख रुपए करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-14 और पश्चातवर्ती वित्तीय वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 109]

आवासीय संपत्ति के अंतरण पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ कर से अनुतोष, यदि लघु या मध्यम विनिर्माता उद्यम में विनिधान किया गया हो

सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (एएमपी) 2011 में घोषित की थी, जो विनिर्माण सेक्टर में लघु और मध्यम उद्यम में विनिधान को प्रोत्साहित करने के लिए एक लक्ष्य था। एक नई धारा 54छख अंतः स्थापित करके किसी व्यष्टि या हिन्दु अविभक्त कुटुम्ब को आवासिक संपत्ति (गृह या भूखंड) के विक्रय पर दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ कर से रोलओवर अनुतोष प्रदान करने का प्रस्ताव है यदि विनिर्माण सेक्टर में कई नए प्रारंभ लघु या मध्यम उद्यम की साम्या में विक्रय प्रतिफल का पुनः विनिधान किया गया हो और जो कंपनी द्वारा नए संयंत्र और मशीनरी के क्रम हेतु उपयोग किया गया है।

यह अनुतोष निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा कि—

(i) व्यष्टि या एचयूएफ ने धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख के पूर्व कुल प्रतिफल की रकम का लघु या मध्यम उद्यम कंपनी में साधारण शेयरों में अभिदाय के लिए उपयोग किया है जिसमें वह शेयर पूंजी का 50 प्रतिशत से अधिक या मताधिकारों का 50 प्रतिशत से अधिक धारण करता है।

(ii) लघु या मध्यम उद्यम कंपनी द्वारा अभिदाय की रकम का शेयर पूंजी के रुप में उपयोग साधारण शेयरों में अभिदाय की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर नए संयंत्र और मशीनरी के क्रय के लिए किया गया हो।

(iii) यदि लघु या मध्यम उद्यम कंपनी में साधारण शेयरों के रूप में अभिदाय किए गए कुल प्रतिफल की रकम का उपयोग व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा विवरणी फाइल करने की नियत तारीख के पूर्व संयंत्र और मशीनरी के क्रय के लिए नहीं किया जाता है, तो अनुप्रयुक्त रकम इस निमित्त विहित की गई जमा स्कीम में जमा कर दी जाएगी।

(iv) इन निधियों के विपथन को निवारित करने के लिए, 5 वर्ष की अवधि के लिए कंपनी के शेयरों, तथा संयंत्रों और मशीनरी के अंतरण को निर्बंधित करने के लिए उचित रक्षोपायों का उपबंध किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त शर्तों के उल्लंघन की दशा में, पूंजी अभिलाभ कराधान के अध्यधीन होंगे।

(v) यह अनुतोष 31 मार्च, 2017 और उससे पूर्व किए गए आवासिक संपत्ति के किसी अंतरण के मामले में उपलब्ध होगा।

आय कर अधिनियम के उपबंधों में प्रस्तावित संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-14 और पश्चातवर्ती वित्तीय वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 19]

प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) की दर में कटौती

विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों में संव्यवहारों पर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) वित्त (सं. 2) अधिनियम, 2004 द्वारा समाविष्ट किया गया था।

नकद परिदान खंड में एसटीटी को विद्यमान 0.125 प्रतिशत से घटाकर 0.1 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। पुरानी दरों के ब्यौरों के साथ प्रस्तावित नई दरें निम्नलिखित सारणी में दी गई हैं।

सारणी

क्रं. सं.	कराधेय प्रतिभूति संव्यवहार की प्रकृत्ति	द्वारा संदेय	विद्यमान दर%	प्रस्तावित दर%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रविष्ट साम्योन्मुख निधि की कंपनी/इकाई में साम्या शेयरों के क्रय पर आधारित परिदान	क्रेता	0.125	0.1
2.	भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से प्रविष्ट साम्योन्मुख निधि की कंपनी/इकाई में साम्या शेयरों के क्रय पर आधारित परिदान	विक्रेता	0.125	0.1

प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) की दरों में प्रस्तावित संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होंगे और तद्नुसार उस तारीख के पश्चात् किए गए किसी भी संव्यवहार को लागू होंगे।

[खंड 153]

विनिर्दिष्ट कारबार पर पूंजी व्यय के संबंध में कटौती

I. आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ के विद्यमान उपबंधों के अधीन, विनिर्दिष्ट कारबार द्वारा पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान जिसमें ऐसा व्यय उपगत किया जाता है (किसी भूमि के अर्जन या गुडविल या वित्तीय लिखत से भिन्न) उपगत किए गए किसी पूंजी व्यय की बाबत शत प्रतिशत कटौती अनुज्ञात की जाती है। वर्तमान में, घारा 35कघ(8)(ग) के अधीन विनिधान संबद्ध कटौती का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित "विनिर्दिष्ट कारबार" पात्र हैः-

(i) शीतागार श्रृंखला सुविधा की स्थापना और प्रचालन;

(ii) कृषि उपज के भंडारण हेतु भांडागारण सुविधा की स्थापना और प्रचालन;

(iii) वितरण के लिए क्रास-कंट्री प्राकृतिक गैस या कच्चे या पेट्रोलियम तेल पाइपलाइन नेटवर्क बिछाना और प्रचालन करना, जिसमें भंडारण सुविधाएं ऐसे नेटवर्क का आवश्यक भाग है;

(iv) भारत में कही भी, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा वर्गीकृत दो सितारा या उससे ऊपर के प्रवर्ग के होटल का निर्माण और प्रचालन;

(v) भारत में कहीं भी, रोगियों के लिए कम से कम एक सौ बिस्तरों वाले नए अस्पताल का निर्माण और प्रचालन;

(vi) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विरचित तथा यथा विहित मार्गनिर्देशों के अनुसार इस निमित्त बोर्ड द्वारा अधिसूचित स्कीम के अधीन झुग्गी झोंपडी का विकास और निर्माण;

(vii) यथा स्थिति केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विरचित तथा यथा विहित मार्गनिर्देशों के अनुसार इस निमित्त बोर्ड द्वारा अधिसूचित स्कीम के अधीन सस्ते आवास के लिए आवास परियोजना का विकास और निर्माण; और

(viii) भारत में उर्वरक का उत्पादन।

धारा 35कघ के अधीन विनिधान संबद्ध कटौती के प्रयोजनों के लिए, तीन नए कारबारों को "विनिर्दिष्ट कारबार" के रूप में सम्मिलित करने का प्रस्ताव है, अर्थात्:-

(क) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसूचित या अनुमोदित अंतर्देशीय आधान डिपो या आधान भाड़ा स्टेशन की स्थापना और प्रचालन;

(ख) मधुमक्खी पालन और शहद तथा मधु मोम का उत्पादन; और

(ग) चीनी के भंडारण के लिए भांडागार सुविधा की स्थापना और प्रचालन।

"विनिर्दिष्ट कारबार" के प्रचालन की तारीखों का ब्यौरा धारा 35कघ(5) में है। यह प्रस्तावित है कि तीन नए विनिर्दिष्ट कारबारों के संबंध में विनिधान संबद्ध कटौती के लिए प्रचालनों के प्रारंभ की तारीख 1 अप्रैल, 2012 या उसके पश्चात् होगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-14 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

II. यह भी प्रस्तावित है कि 1 अप्रैल, 2012 या उसके पश्चात प्रचालन प्रारंभ करने वाले निम्नलिखित विनिर्दिष्ट कारबारों को आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ के अधीन पूंजी व्यय की 150% कटौती अनुज्ञात होगी, अर्थात्:-

(i) शीतागार श्रृंखला सुविधा की स्थापना और प्रचालन;

(ii) कृषि उपज के भंडारण हेतु भांडागारण सुविधा की स्थापना और प्रचालन;

(iii) भारत में कहीं भी, रोगियों के लिए कम से कम एक सौ बिस्तरों वाले नए अस्पताल का निर्माण और प्रचालन;

(iv) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा विरचित तथा यथाविहित मार्गनिर्देशों के अनुसार इस निमित्त बोर्ड द्वारा अधिसूचित स्कीम के अधीन सस्ते आवास के लिए आवास परियोजना का विकास और निर्माण; और

(v) भारत में उर्वरक का उत्पादन।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-14 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

III. वर्तमान में, धारा 35कघ के अधीन विनिधान संबद्ध कटौती होटल के निर्माण और प्रचालन के कारबार में लगे हुए किसी निर्धारिती को अनुज्ञात है, जहां कटौती होटल के स्वामी को अनुज्ञात की जा सकती है, यदि वह स्वयं इसका प्रचालन करता है।

सेवा उद्योगों जैसे होटलों में फ्रेंचाइजी कारबार तंत्र विद्यमान है जहां होटल का स्वामी आउटसोर्सिंग व्यवस्था के माध्यम से होटल का प्रचालन करवाता है।

इसलिए, एक उपयुक्त स्पष्टीकरण का उपबंध करने का प्रस्ताव है ताकि धारा 35कघ के अधीन होटल का स्वामी विनिधान संबद्ध कटौती के लिए पात्र होता है यदि वह होटल का स्वामी बने रहते हुए, ऐसे होटल के प्रचालन का अंतरण किसी अन्य व्यक्ति को कर देता है। तदनुसार, धारा 35कघ में एक नई उपधारा (1क) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां निर्धारिती केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा वर्गीकृत दो-सितारा या उच्च प्रवर्ग के किसी होटल का निर्माण करता है और बाद में, होटल का स्वामी रहते हुए, उसका प्रचालन किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित कर देता है, वहां निर्धारिती को होटल निर्माण और प्रचालन का विनिर्दिष्ट कारबार करने वाला समझा जाएगा।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2011-12 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा। *[खंड 9]*

विद्युत सेक्टर के लिए कर अवकाश हेतु अंतिम तारीख का विस्तार

धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (iv) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि ऐसे किसी उपक्रम को, कटौती अनुज्ञात की जाएगी जो—

(क) विद्युत के उत्पादन या उत्पादन और वितरण के लिए भारत के किसी भाग में स्थापित किया जाता है, यदि वह 1 अप्रैल, 1993 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय विद्युत का उत्पादन प्रारंभ करता है;

(ख) 1 अप्रैल, 1999 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय नई पारेषण या वितरण लाइनों के नेटवर्क बिछाकर पारेषण या वितरण प्रारंभ करता है;

(ग) 1 अप्रैल, 2004 को प्रारंभ होने वाली और 31 मार्च, 2012 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान किसी समय विद्यमान पारेषण या वितरण लाइनों के नेटवर्क का सारभूत नवीकरण और आधुनिकीकरण करता है।

पूर्वोक्त खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे समय-सीमा 31 मार्च, 2012 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2013 की जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा। *[खंड 29]*

वरिष्ठ नागरिकों के लिए कतिपय कर अनुतोषों हेतु अर्हता आयु घटाना

वित्त अधिनियम, 2011 में वित्तीय वर्ष 2011-12 (निर्धारण वर्ष 2012-2013) के दौरान अर्जित आय पर आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन विभिन्न कर स्लैबों और कर की दरों के लागू होने के प्रयोजनों के लिए भारत में निवासी वरिष्ठ नागरिक की प्रभावी आयु पैंसठ वर्ष से घटाकर साठ वर्ष करने के लिए संशोधन किया गया था।

अधिनियम के कतिपय अन्य उपबंध हैं जिन्हें वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हित होने की आयु के लिए अब संशोधित करने का प्रस्ताव है।

(i) आय-कर अधिनियम की धारा 80घ निर्धारिती या उसके परिवार (पत्नी या पति और आश्रित बालक) के स्वास्थ्य बीमा के लिए संदत्त प्रीमियम के संबंध में कटौती का उपबंध करती है और माता पिता के स्वास्थ्य संबंधी बीमें के क्रय हेतु और कटौती अनुज्ञात है। जहां किसी वरिष्ठ नागरिक के स्वास्थ्य संबंधी बीमा कराने या प्रवृत्त रखने के लिए प्रीमियम का संदाय किया जाता है, तो 15,000 रुपए की बजाए 20,000 रुपए की उच्चतर सीमा तक कटौतियां अनुज्ञात हैं।

(ii) आय-कर अधिनियम की धारा 80घघख के उपबंध किसी व्यष्टि या उसके आश्रित की दशा में किसी विनिर्दिष्ट बीमारी या रोग के चिकित्सीय उपचार के लिए 40,000 रुपए तक की कटौती का उपबंध करते हैं। ऐसे मामलों में, जहां वास्तव में संदाय की रकम ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में है, जो वरिष्ठ नागरिक है, वहां कटौती 60,000 रुपए तक अनुज्ञात की गई है।

(iii) आय-कर अधिनियम की धारा 197क(1ग) यह उपबंध करती है कि धारा 193 (प्रतिभूतियों पर ब्याज) या धारा 194 (लाभांश) या धारा 194क (प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न ब्याज) अथवा धारा 194ङङ (एनएसएस आदि के अधीन जमाओं के संबंध में संदाय) या धारा 194ट (यूनिटों के संबंध में आय) के अधीन स्रोत पर कटौती के संबंध में वरिष्ठ नागरिक के मामले में कर की कटौती नहीं की जाएगी यदि ऐसा व्यष्टि विहित प्रारूप (प्रारूप सं.15ज) में इस प्रभाव की घोषणा करता है कि पूर्व वर्ष जिसमें ऐसी आय सम्मिलित की जानी है, उसकी प्राक्कलित कुल आय पर कर उसकी कुल आय की संगणना करने पर शून्य होगा।

ऊपर वर्णित सभी उपबंधों अर्थात् धारा 80घ, धारा 80घघब और धारा 197क में किसी "वरिष्ठ नागरिक", जो लाभ उठा सकता है, के लिए प्रभावी आयु सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय पैंसठ वर्ष या अधिक उल्लिखित की गई है।

आय-कर अधिनियम के सभी उपबंधों में वरिष्ठ नागरिकों की प्रभावी आयु एक समान करने के लिए पूर्वोक्त धाराओं (धारा 80घ, धा 80घघख और धारा 197क) के अधीन वरिष्ठ नागरिक द्वारा लाभ लेने के लिए आयु को पैंसठ वर्ष से घटाकर साठ वर्ष करने का प्रस्ताव है।

धारा 80घ और धारा 80घघख में संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-14 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

धारा 197क में संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा। *[खंड 25, खंड 26, खंड 76]*

निवारक स्वास्थ्य जांच पर व्यय के लिए कटौती

आय-कर अधिनियम की धारा 80घ में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन स्वयं की, अपनी पत्नी या पति की और आश्रित बालकों का स्वास्थ्य बीमा कराने के लिए संदेय प्रीमियम या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में किए गए अधिकतम 15,000 रुपए तक के अभिदाय के संबंध में कटौती अनुज्ञात है। माता-पिता के संबंध में स्वास्थ्य बीमा पालिसी क्रय करने के लिए 15,000 रुपए की और कटौती अनुज्ञात है।

इस धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि निर्धारिती द्वारा स्वयं, पति/पत्नी, आश्रित बालकों या माता पिता की निवारक स्वास्थ्य जांच के मद्दे पूर्व वर्ष के दौरान किए गए किसी संदाय को धारा में विहित सकल सीमा के भीतर कटौती के लिए पात्र माना जाएगा। तथापि, निवारक स्वास्थ्य जांच (स्वयं पति/पत्नी, आश्रित बालकों या माता पिता) पर आय के मद्दे प्रस्तावित कटौती कुल 5000 रुपए से अधिक नहीं होगी।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि धारा 80घ के अधीन कटौती के प्रयोजन के लिए, संदाय (i) निवारक स्वास्थ्य जांच के मद्दे किसी भी ढंग से, जिसमें नकद सम्मिलित है (ii) अन्य सभी मामलों में, नकद से भिन्न किसी भी ढंग से किया जा सकता है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-14 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 25]

बचत खातों में निक्षेपों पर ब्याज के संबंध में कटौती

आय-कर अधिनियम की प्रस्तावित नई धारा 80ननक के अधीन किसी निर्धारिती की, जो कोई व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब है, सकल कुल आय में,—

(i) ऐसी किसी बैंककारी कंपनी में, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 लागू होता है, (जिसके अंतर्गत उस अधिनियम की धारा 51 में निर्दिष्ट कोई बैंक या बैंककारी संस्था भी है) ; या

(ii) बैंककारी का कारबार करने में लगी किसी सहकारी सोसाइटी में (जिसके अंतर्गत कोई सहकारी भूमि बंधक बैंक या सहकारी भूमि विकास बैंक भी है) ; या

(iii) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 2 के खंड (ट) में यथा परिभाषित किसी डाकघर में,

बचत खाते में निक्षेपों पर, (जो समयबद्ध निक्षेप नहीं हैं) ब्याज के रूप में किसी आय की बाबत कुल मिलाकर दस हजार रुपए की सीमा तक कटौती अनुज्ञात की जाएगी ।

तथापि, जहां पूर्वोक्त आय किसी फर्म, व्यक्तियों के संगम या व्यष्टि निकाय द्वारा या उसके निमित्त धारित किसी बचत खाते में निक्षेप से व्युत्पन्न होती है, वहां फर्म के किसी भागीदार या संगम या निकाय के किसी सदस्य की कुल आय की गणना करने में ऐसी आय के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 30]

ङ. स्त्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्त्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

I. निवासी आदाता द्वारा कर के संदाय की समझी गई तारीख

आयकर अधिनियम के अध्याय 17ख के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट दरों पर कतिपय विनिर्दिष्ट संदायों पर कर की कटौती की अपेक्षा की जाती है यदि संदाय विनिर्दिष्ट अवसीमा से अधिक नहीं है। इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार कर की कटौती न किए जाने की दशा में उसे ऐसी कटौती न की गई रकम की बाबत धारा 201(1) के अधीन व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाता है।

तथापि, अधिनियम की धारा 191 यह उपबंध करती है कोई व्यक्ति केवल उन मामलों में जहां आदाता प्रत्यक्ष रूप से कर का संदाय करने में असफल रहा है, कर की कटौती न करने/कम कटौती की बाबत व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाएगा। अतः कटौतीकर्ता को कर की कटौती न करने/कम कटौती की बाबत व्यतिक्रमी निर्धारिती के रूप में नहीं समझा जा सकता यदि आदाता अपने कर दायित्व से उन्मोचित हो पाया है।

दाता उस तारीख से जिसको ऐसा कर उस तारीख तक कटौती करने योग्य था जिसको आदाता प्रत्यक्षतः अपने कर दायित्व से उन्मोचित हो गया है कर की कटौती नहीं करने/कम कटौती की रकम पर धारा 201(1क) के अधीन ब्याज का संदाय करने का दायी है। दाता द्वारा कटौती किए जाने वाले कर और आदाता द्वारा संदत्त कर के बीच व्यक्ति का व्यक्ति से परस्पर संबंध है, इस बारे में स्पष्टता का अभाव है कि यह कब कहा जा सकता है कि दाता ने कर का संदाय प्रत्यक्षतः कर दिया है। अंतिम तारीख, अर्थात वह तारीख जिसको यह कहा जा सकता है कि आदाता ने अपना कर दायित्व उन्मोचित कर दिया है, के जारी किए जाने के संबंध में भी कोई स्पष्टता नहीं है।

कर की कटौती के बिना उसके द्वारा प्राप्त की गई किसी राशि के संदाय पर निवासी आदाता द्वारा कर दायित्व के उन्मोचन के संबंध में स्पष्टता प्रदान करने के लिए, धारा 201 का संशोधन करने के प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि दाता, किसी निवासी आदाता को किए गए संदाय पर कर के संपूर्ण या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफल रहता है, तो वह ऐसे कर की बाबत व्यतिक्रमी निर्धारिती के रूप में नहीं समझा जाएगा यदि ऐसे निवासी आदाता ने—

(i) धारा 139 के अधीन अपनी आय की विवरण प्रस्तुत कर दी है;

(ii) आय की ऐसी विवरणी में आय की संगणना करने के लिए ऐसी राशि को गणना में नहीं लिया है; और

(iii) आय की ऐसी विवरणी में उसके द्वारा घोषित आय पर शोध्य कर का संदत्त कर दिया है।

और दाता ने ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, लेखाकार से इस प्रभाव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया है।

निवासी अदाता द्वारा करों के संदाय की तारीख वह तारीख समझी जाएगी जिसको विवरणी दाता द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि जहां दाता किसी निवासी को किए गए संदाय पर संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफल रहता है और ऐसे निवासी द्वारा कर के संदाय के मद्दे धारा 201(2) के अधीन व्यतिक्रमी निर्धारिती के रूप में नहीं समझा जाता है, वहां धारा 201 (1क)(i) के अधीन ब्याज उस तारीख से संदेय होगा जिसको ऐसा कर ऐसे निवासी आदाता द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख तक कटौती योग्य था।

क्रेता, या अनुज्ञप्तिधारी या पट्टेदार द्वारा कर दायित्व के उन्मोचन की समझी गई तारीख को स्पष्ट करने के लिए टीसीएस से संबंधित धारा 206ग के उपबंधों में वैसे ही आधारों पर संशोधन करने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होंगे।

II. निवासी आदाता को संदाय किए जाने पर कर की कटौती न किए जाने के कारण कारबार व्यय का अनुज्ञात नहीं किया जाना

उपरोक्त से संबंधित विषय कर की कटौती न किए जाने के कारण ब्याज, कमीशन, दलाली, वृतिक फीस आदि जैसा कतिपय कारबार व्यय की धारा 40(क)(iक) के अधीन अननुज्ञापन हैं। यह उपबंध किया गया है कि यदि पश्चात्वर्ती पूर्व वर्ष में कर की कटौती की जाती है तो व्यय कटौती के उस पश्चात्वर्ती पूर्ववर्ती वर्ष में अनुज्ञात की जाएगी।

किसी निवासी आदाता को किए गए संदायों से कर की कटौती न करने के कारण अननुज्ञापन के उपबंधों को सुव्यवस्थित करने के लिए, धारा 40(क)(iक) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई निर्धारिती कर की कटौती के बिना निवासी आदाता को उक्त धारा में विनिर्दिष्ट प्रकृति का संदाय करता है और आदाता द्वारा करों के संदाय के मद्दे धारा 201(1) के अधीन व्यतिक्रमी निर्धारिती समझा जाता है तो वहां ऐसी राशि की कटौती को अनुज्ञात करने के प्रयोजन के लिए यह समझा जाएगा कि निर्धारिती ने निवासी आदाता द्वारा आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख को ऐसी राशि पर कर की कटौती की है और कर का संदाय किया है।

इन फायदाप्रद उपबंधों को निवासी आदाता के मामले में ही लागू किए जाने का प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होंगे और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

III. स्रोत पर कर की कटौती/स्रोत पर संग्रहीत कर विवरणी प्रस्तुत करने में विलंब के लिए फीस और शास्ति तथा स्रोत पर कर कटौती/स्रोत पर संग्रहीत कर विवरणी में गलत सूचना के लिए शास्ति

आयकर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अनुसार, किसी कटौती कर्ता से विहित देय तारीख तक तिमाही के दौरान की गई कर कटौती के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला आवधिक स्रोत पर कर कटौती विवरण (त्रैमासिक) प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। पर्याप्त संख्या में कटौती कर्ता विहित देय तारीख से भीतर अपना स्रोत पर कर कटौती का विवरण प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। स्रोत पर कर कटौती प्रस्तुत किए जाने में विलंब कर परिणाम, वह व्यक्ति जिससे कटौती की गई है, को स्रोत पर कर कटौती का प्रत्यय मंजूर करने में विलंब होता है और जिसके परिणामस्वरूप, व्यक्ति, जिससे कर कटौती की गई है, कर दाताओं को प्रतिदाय जारी करने में या व्यक्ति जिससे कर कटौती की गई है, कर दाताओं के विरुद्ध निष्फल मांग उत्पन्न होने में विलंब होता है। इसके अतिरिक्त, असंख्य मामलों में, कटौतीकर्ता व्यक्तियों जिनकी कर कटौती की गई है, के स्थायी लेखा संख्यांक, स्रोत पर कटौती किए गए कर के विवरण में कटौती किए गए कर की रकम जैसी सही जानकारी प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। कर कटौती की बाबत सही सूचना प्रस्तुत नहीं करना जिसकी कर कटौती की गई है, द्वारा प्रस्तुत आय की विवरणी पर कार्रवाई करने की आलोचना की जाती है क्योंकि स्रोत पर कर कटौती के लिए प्रत्यय कटौतीकर्ता द्वारा की गई जानकारी के आधार पर उस व्यक्ति को जिसकी कर कटौती की गई है प्रदान किया जाता है।

धारा 272क के विद्यमान उपबंधों के अधीन, स्रोत पर कर कटौती विवरण प्रस्तुत करने में हुए विलंब के लिए 100 प्रतिदिन की शास्ति उद्ग्रहीत की जाती है, तथापि, स्रोत पर कर कटौती विवरण में गलत सूचना देने के लिए कोई विनिर्दिष्ट शास्ति विनिर्दिष्ट नहीं की गई है। इस शास्ति के उक्त उपबंध स्रोत पर कर कटौती विवरण को विलंब से प्रस्तुत करने से संबंधित व्यतिक्रमों को कम करने या उन्हें समाप्त करने में प्रभावी साबित नहीं हुए हैं।

स्रोत पर कर कटौती प्रस्तुत करने में विलंब के विरुद्ध प्रभावी भयोपरापी का उपबंध करने के लिए निम्नलिखित के लिए प्रस्ताव किया जाता हैः

(i) स्रोत पर कर कटौती विवरण प्रस्तुत करने की देय तारीख से स्रोत पर कर कटौती विवरण प्रस्तुत करने की देय तारीख से स्रोत पर कर कटौती विवरण प्रस्तुत करने की तारीख तक स्रोत पर कर कटौती विवरण के विलंब से प्रस्तुत करने के लिए 200 रुपए प्रति दिन की फीस उद्ग्रहीत करने का उपबंध करना। तथापि, फीस की कुल रकम, उस अवधि के दौरान जिसके लिए स्रोत पर कर कटौती विवरण में विलंब होता है कटौती योग्य कर की कुल रकम से अधिक नहीं होगी; और

(ii) यह उपबंध करना कि उक्त फीस के अतिरिक्त, 10000 रुपए से 1,00,000 तक की शास्ति निहित समय के भीतर स्रोत पर कर कटौती विवरण प्रस्तुत नहीं करने के लिए भी उद्गृहीत की जाएगी।

स्रोत पर कर कटौती विवरण को विलंब से प्रस्तुत करने के लिए फीस के उद्गृहण को ध्यान में रखते हुए, यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि स्रोत पर कर कटौती विवरण प्रस्तुत करने में हुए विलंब के लिए कोई शास्ति उद्गृहीत नहीं की जाएगी यदि स्रोत पर कर कटौती विवरण लागू ब्याज और फीस के साथ कटौती किए गए कर के संदाय के पश्चात् विहित नियत तारीख के एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत कर दी जाती है।

स्रोत पर कर कटौती विवरण में गलत जानकारी देने के लिए कटौतीकर्ताओं को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से, यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि 10,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक की शास्ति स्रोत पर कर कटौती विवरण में गलत जानकारी देने के लिए उद्गृहीत की जाएगी।

धारा 278ख में पारिणामिक संशोधन का प्रस्ताव किया जाता है जिससे कोई शास्ति उद्गृहीत न की जाए यदि कटौतीकर्ता यह साबित कर देता है कि विफलता के लिए युक्तियुक्त कारण था।

यह उपबंध करने के लिए धारा 272क में भी पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है कि इस धारा के अधीन 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात् कर की कटौती के संबंध में टीडीएस विवरण विलंब से फाइल करने के लिए कोई शास्ति उद्गृहीत नहीं की जाएगी।

स्रोत पर कर संग्रहण विवरण प्रस्तुत करने में विलंब के लिए फीस के उद्गृहण तथा स्रोत पर कर संग्रहण विवरण में गलत जानकारी देने के लिए शास्ति के लिए वैसे ही आधारों पर संशोधन किए जाने का भी प्रस्ताव है।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होंगे और तदनुसार 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात कटौती किए गए या संग्रहित कर के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले स्रोत पर कर कटौती या स्रोत पर कर संग्रहण विवरण को लागू होंगे।

IV. स्रोत पर कर कटौती विवरण पर कार्रवाई करने के पश्चात सूचना

वित्त (सं.2) अधिनियम, 2009 द्वारा, धारा 200क स्रोत पर कर कटौती के विवरण पर कार्रवाई करने के लिए उपबंध करने हेतु आयकर अधिनियम में अंतःस्थापित की गई थी। स्रोत पर कर कटौती विवरण पर कार्रवाई करने के पश्चात, संदेय या प्रतिदेय रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए एक सूचना तैयार की जाती है। स्रोत पर कर कटौती विवरण पर कार्रवाई करने के पश्चात तैयार की गई सूचना—

(i) धारा 154 के अधीन 154 के अधीन परिशोधन के अध्यधीन नहीं है;

(ii) धारा 246क के अधीन अपीलीय नहीं है; और

(iii) धारा 156 के अधीन मांग की सूचना के रूप में नहीं समझा जाती है।

कटौतीकर्ता के भार को कम करने के लिए और स्रोत पर कर कटौती विवरण पर कार्रवाई करने के उपबंधों को सुव्यवस्थित करने के लिए भी, यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि स्रोत पर कर कटौती विवरण पर कार्रवाई करने के पश्चात् तैयार सूचना —

(i) धारा 154 के अधीन परिशोधन के अध्यधीन होगी;

(ii) धारा 246क के अधीन अपीलीय होगी; और

(iii) धारा 156 के अधीन मांग की सूचना के रूप में समझी जाएगी।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होंगे।

V. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा संदाय के मामले में "संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति"

आय-कर अधिनियम, की धारा 204 के विद्यमान उपबंधों के अधीन, "संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति" को परिभाषित किया गया है जिसके अन्तर्गत नियोजक, कंपनी या उसके प्रधान अधिकारी या दाता भी है। केन्द्रीय सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा किए गए संदाय के मामले में स्पष्टता का इस बारे में अभाव है कि आदाता को राशि का संदाय करने के लिए जिम्मेदार कौन व्यक्ति है।

केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा संदाय की दशा में "संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति" के अर्थ को स्पष्ट करने का उपबंध करने के लिए, यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा संदाय की दशा में संदाय करने के लिए जिम्मेदार आहरण और संवितरण अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) धारा 204 के अर्थान्तर्गत "संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति" होंगे।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा।

VI. कतिपय मामलों में धारा 201 के अधीन आदेश पारित करने के लिए समय विस्तार

आय-कर अधिनियम की धारा 201 के विद्यमान उपबंधों के अधीन कोई व्यक्ति कर कटौती नहीं करने / कर की कम कटौती करने की बाबत, आदेश द्वारा व्यतिक्रमी निर्धारिती के रूप में समझा जा सकता है। उस मामले में जहां धारा 200 में यथा निर्दिष्ट विवरण फाइल नहीं किया गया है, उस मामले में वित्तीय वर्ष की समाप्ति से चार वर्ष की अवधि के भीतर ऐसा आदेश पारित किया जा सकता है।

धारा 201 के उपबंध को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे समय सीमा को चार वर्ष से छह वर्ष तक बढ़ाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

[खंड 11, खंड 67, खंड 68, खंड 77, खंड 78, खंड 79, खंड 86, खंड 89, खंड 98, खंड 99, खंड 100]

अनिवार्य अर्जन के लिए प्रतिकर या प्रतिफल पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) हेतु अवसीमा

आय-कर अधिनियम की धारा 194ठक के विद्यमान उपबंधों के अधीन स्थावर संपत्ति (कृषि भूमि से भिन्न) के अनिवार्य अर्जन के लिए किसी प्रतिकर या प्रतिफल का संदाय करने के लिए उत्तरदायी ऐसे व्यक्ति से एक लाख रूपए से अधिक प्रतिफल की दशा में 10 प्रतिशत की दर पर कर की कटौती करने की अपेक्षा की जाती है।

छोटे-छोटे निर्धारितियों के अनुपालन भार को कम करने के लिए, पूर्वोक्त सीमा को एक लाख रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा।

[खंड 72]

डिबेंचरों पर ब्याज के संदाय पर स्रोत पर संग्रहीत कर कटौती के लिए सीमा

आय-कर अधिनियम की धारा 193 के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी कंपनी, जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है, के सूचीबद्ध डिबेंचरों पर किसी निवासी व्यष्टि को ब्याज का संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति से संदेय ब्याज की रकम पर कर की कटौती करना अपेक्षित नहीं है, यदि किसी वित्तीय

वर्ष के दौरान संदत्त ब्याज की कुल रकम 2500 रुपए से अधिक नहीं है और पाने वाले के खाते में देय चेक द्वारा ब्याज का संदाय किया जाता है। तथापि, किसी कंपनी के असूचीबद्ध डिबेंचरों की दशा में, ब्याज के संदाय पर कर की कटौती के लिए कोई न्यूनतम सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की गई है।

छोटे-छोटे निर्धारितियों पर अनुपालन भार को कम करने के लिए, यह प्रस्ताव है कि किसी ऐसी कंपनी द्वारा, जिसमें जनता पर्याप्त रूप से हितबद्ध है, किसी निवासी व्यष्टि या अविभक्त हिन्दू कुटुम्ब को जारी किए गए किसी डिबेंचर (चाहे वह सूचीबद्ध है या नहीं) पर ब्याज के संदाय से कोई कर की कटौती नहीं की जानी चाहिए, यदि वित्तीय वर्ष के दौरान संदत्त ऐसे डिबेंचर पर ब्याज की कुल रकम 5000 रुपए से अधिक नहीं है और संदाय पाने वाले खाते में देय चेक द्वारा किया जाता है।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा।

[खंड 69]

च. अन्तर्राष्ट्रीय कराधान उपबंधों का सुव्यवस्थायीकरण भारत में प्रोद्‌भूत या उद्‌भूत होने के लिए समझी गई आय

आय-कर की धारा 2 ऐसे विभिन्न पदों की परिभाषाओं के लिए उपबंध करता है जो अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुसंगत है।

आय-कर की धारा 9 उस आय के उन मामलों के लिए उपबंध करती है जो भारत में प्रोद्‌भूत होने वाली या उत्पन्न होनी वाली समझी जाती है। यह आय-कर के लिए एक सृजित की गई विधिक कल्पना है जो भारत में उत्पन्न हो सकती या उत्पन्न नहीं हो सकती है और कराधेय नहीं हुई होती यदि इस धारा द्वारा धारणा खंड सृजित नहीं किया गया होता। उपधारा (1) (i) उन परिस्थितियों में एक ऐसी प्रवृत्ति का उपबंध करती है जिनमें प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रोदभूत होने वाली या उत्पन्न होने वाली आय भारत में कराधेय है। खंड (i) का एक अंग भारत में स्थित पूंजी आस्ति के अंतरण के माध्यम से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रोद्‌भूत होने वाली या उत्पन्न होने वाली आय है। इस खंड का विधायी आशयः इसके लागू होने को व्यापक बनाना है क्योंकि इसके अन्तर्गत वे आय भी आती है जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः प्रोद्‌भूत या उत्पन्न होती है। धारा कराधान के स्रोत नियम को संहिताबद्ध करती है जिसमें राज्य को जहां आय का वास्तविक संबंध स्थित होता है, आय व्युत्पन्न करने वाले अस्तित्व के निवास के स्थान को ध्यान में न रखते हुए आय पर कर लगाने का अधिकार पाया है। जहां निधियों, को जुटाने के लिए निगमित ढांचा सृजित किया जाता है, वहां वास्तविक अभिलाभ या आय उस गतिविधि में किए गए विनिधान के परिणामस्वरूप ही उदभूत होती है जिनको ऐसे अभिलाभ के कारण हुआ माना जा सकता है और न कि उस पद्धति के कारण माना जा सकता जिसके माध्यम से ऐसे अभिलाभ प्राप्त किए जाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय रूप से इस सिद्धान्त को अनेक देशों में मान्यताप्राप्त है, जो यह उपबंध करता है कि स्रोत देश को वहां अपतट संव्यवहारों, के व्युत्पन्न अभिलाभों पर कराधान अधिकार प्राप्त हो जहां मूल्य अन्तर्निहित आस्तियों के कारण माना जा सकता है।

आय-कर अधिनियम, की धारा 195 किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा करती है कि वह किसी अनिवासी को संदाय करने से पूर्व स्रोत पर कर की कटौती करे यदि ऐसे अनिवासी की आय भारत में कर से प्रभार्य है। यहां "व्यक्ति" का अर्थ धारा 2 में दिया गया है और उसके अन्तर्गत सभी व्यक्ति होंगे चाहे वे निवासी या अनिवासी हैं। अतः, अनिवासी व्यक्ति से भी अपेक्षा की जाती है कि वह किसी अन्य अनिवासी को संदाय करने से पूर्व स्रोत पर कर की कटौती करें; यदि संदाय अनिवासी आदाता की ऐसी आय को व्यपदिष्ट करता है जो भारत में कर से प्रभार्य हैं। अधिनियम में कोई अन्य विनिर्दिष्ट शर्तें नहीं हैं और यदि अनिवासी आदाता की आय-कर से प्रभार्य है तो कर की स्रोत पर कटौती की जानी है, चाहे संदाय किसी निवासी या अनिवासी द्वारा किया जाता है या नहीं।

कतिपय न्यायिक प्रमाणिक निर्णयों ने धारा 9 और धारा 195 की परिधि और उद्देश्य के बारे में शंकाएं उत्पन्न कर दी हैं। इसके अतिरिक्त, उस आय की बाबत कतिपय मुद्दे हैं जिसे वहां प्रोद्‌भूत होना या उद्‌भूत होना समझा जाता है जहां विभिन्न न्यायिक प्राधिकारियों के विरोधाभाषी निर्णय होते हैं।

अतः, धारा 9 और धारा 195 की परिधि और लागू होने की बाबत विधायी आशय को पुनः स्थापित करने के लिए स्पष्टीकारक भूतलक्षी संशोधन का उपबंध करना और विधि में निश्चितता का उपबंध करने के लिए अन्य स्पष्टीकारक संशोधन करना आवश्यक हैं।

I. अतः, निम्नलिखित रीति में आय-कर अधिनियम का संशोधन करने का प्रस्ताव है : —

(i) यह स्पष्ट करने के लिए धारा 9 (1) (i) का संशोधन करना कि "के माध्यम से" पद से "के माध्यम से", "के परिणामस्वरूप" या "के कारण" अभिप्रेत होंगे और वे उसके अन्तर्गत सम्मिलित होंगे और उन्हें सदैव अभिप्रेत हुआ तथा सम्मिलित किए हुए समझे जाएंगे।

(ii) यह स्पष्ट करने के लिए धारा 9(1) (i) का संशोधन करना कि कोई आस्ति या पूंजी आस्ति जो भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी या अस्तित्व में कोई शेयर या हित है, भारत में स्थित तथा सदैव भारत में स्थित हुई समझी जाएगी यदि शेयर या हित प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः भारत में अवस्थित आस्तियों से सारवान रूप से आय व्युत्पन्न करता है।

(iii) यह स्पष्ट करने के लिए धारा 2 (14) का संशोधन करना कि "संपत्ति" के अन्तर्गत भारतीय कंपनी में या उसके संबंध में कोई अधिकार, जिसके अन्तर्गत प्रबंधन, या नियंत्रण या कोई अन्य अधिकार जो भी हों भी हैं, और सदैव सम्मिलित किए हुए समझे जाएंगे।

(iv) यह स्पष्ट करने के लिए धारा 2 (47) का संशोधन करना कि "अन्तरण" के अन्तर्गत किसी भी रीति में, वह जो भी हो, किसी करार के माध्यम से (चाहे भारत में या भारत से बाहर किया गया हो) या अन्यथा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः आत्यन्तिक रूप से, या सशर्त, स्वेच्छया या अस्वेच्छया किसी आस्ति या उसमें किसी हित का व्ययन या उसे अलग करना या किसी रीति में कोई हित सृजित करना है और सदैव सम्मिलित किए हुए समझे जाएंगे, इस बात के होते हुए कि अधिकारों के ऐसे अन्तरण को भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी शेयर या शेयरों के अन्तरण से हुए या उस पर आश्रित या उससे उदभूत होने के रूप में माने गए हैं।

(v) यह स्पष्ट करने के लिए धारा 195 (1) का संशोधन करना कि उपधारा (1) का अनुपालन करने और तद्धीन कटौती करने की बाध्यता लागू होती है और उन सभी व्यक्तियों निवासी या अनिवासी को सदैव लागू किए हुए समझे जाएंगे और उन पर विस्तारित तथा विस्तारित किए हुए समझे जाएंगे चाहे अनिवासी का —

(क) भारत में निवास है या कारबार का स्थान है या कारबार संबंध है; या

(ख) किसी भी रीति में, वह जो भी हो, भारत में कोई अन्य उपस्थिति है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 1962 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 1962-1963 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

II. धारा 9 (1) (vi) यह उपबंध करती है कि किसी अधिकार, संपत्ति या सूचना की बाबत स्वामित्व के रूप में संदेय कोई आय भारत में प्रोदभूत या उदभूत होने वाली समझी जाएगी। "स्वामित्व" पद को स्पष्टीकरण 2 में परिभाषित किया गया है जिससे किसी अधिकार, सम्पत्ति या सूचना की बाबत सभी या किसी अधिकार के अन्तरण के लिए प्राप्त किया गया या प्राप्य प्रतिफल अभिप्रेत है। कुछ न्यायिक निर्णयों ने इस परिभाषा का ऐसी रीति में निर्वचन किया है कि जिसने इस बारे में शंकाएं उत्पन्न कर दी हैं कि क्या कम्प्यूटर साफ्टवेयर के उपयोग के लिए प्रतिफल स्वामिस्व है या नहीं; चाहे अधिकार, संपत्ति या जानकारी का दाता द्वारा प्रत्यक्षतः उपयोग किया जाना हो या वह भारत में अवस्थित की जानी हो या उस पर नियंत्रण या कब्जा दाता के पास हो। इसी प्रकार, "प्रक्रिया की गई" पद के अर्थ के बारे में शंकाएं उत्पन्न हुई हैं।

स्वामिस्व की प्रकृति की आय की बाबत विभिन्न न्यायालयों के विरोधाभासी निर्णयों पर विचार करते हुए और विधायी आशय को पुनःस्थापित करते हुए, आय-कर अधिनियम को निम्नलिखित रीति में और संशोधित करने का प्रस्ताव है,—

(i) यह स्पष्ट करने के लिए धारा 9 (1) (vi) का संशोधन करना कि कम्प्यूटर साफ्टवेयर के उपयोग के लिए प्रतिफल या उसके उपयोग को अधिकार यह स्पष्ट करके स्वामित्व है कि स्पष्टीकरण 2 में यथा उल्लिखित किसी अधिकार, संपत्ति या सूचना की बाबत सभी या किन्हीं अधिकारों के अन्तरण में, उस माध्यम से जिसके माध्यम से ऐसा अधिकार अन्तरित किया जाता है को ध्यान में लेते हुए, कम्प्यूटर साफ्टवेयर (जिसके अन्तर्गत अनुज्ञप्ति प्रदान करना भी है), के उपयोग के सभी या कोई अधिकार सम्मिलित है या उसके उपयोग के सभी या किसी अधिकार का अन्तरण सम्मिलित है।

(ii) यह स्पष्ट करने के लिए धारा 9 (1) (i) का संशोधन करना कि स्वामिस्व में कोई अधिकार संपत्ति या सूचना की बाबत प्रतिफल सम्मिलित है और सदैव सम्मिलित किया गया है । चाहे —

(क) ऐसे अधिकार, संपत्ति या सूचना का कब्जा या नियंत्रण दाता के पास हो या नहीं ;

(ख) ऐसे अधिकार, ऐसी संपत्ति या सूचना का उपयोग दाता द्वारा प्रत्यक्षतः किया जाता है;

(ग) ऐसे अधिकार, संपत्ति या सूचना की अवस्थिति भारत में है;

(iii) यह स्पष्ट करने के लिए धारा 9 (1) (vi) का संशोधन किया जाता है कि "प्रक्रिया" पद के अन्तर्गत उपग्रह (जिसमें अपसंयोजन, विस्तारण किसी संकेत के अव-संयोजन के लिए संपरिवर्तन भी है) केबल, आप्टिक फाइबर, या किसी अन्य वैसी ही प्रौद्यिगिकी द्वारा पारेषण भी सम्मिलित हैं और वे उसमें सम्मिलित हुए समझे जाएंगे चाहे ऐसी प्रक्रिया गुप्त हो या नहीं।

ये संशोधन 1 जून, 1976 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 1977-1978 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

III. ऐसा व्यक्ति, जो एक अनिवासी के अभिकर्ता के रूप में समझा जाता है, के मामले में सूचना जारी करने के लिए समय सीमा बढ़ाने के लिए धारा 149 में पारिणाममिक संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, वर्तमान में दो वर्ष की विहित अवधि को छह वर्ष तक बढ़ाया जाए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ये उपबंध प्रक्रियात्मक प्रकृति होने के कारण 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पहले आरंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए भी लागू होंगे।

ये संशोधन 1 जुलाई 2012 से प्रभावी होंगे।

IV. धारा 195 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि बोर्ड, अधिसूचना द्वारा, व्यक्तियों या मामलों के वर्ग को वहां विनिर्दिष्ट करता है जहां किसी अनिवासी को, जो कंपनी नहीं हैं या किसी विदेशी कंपनी को किसी राशि का संदाय करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति चाहे वह इस अधिनियम उपबंधों के अधीन प्रभार्य हों या नहीं प्रभार्य राशि के समुचित अनुपात को साधारण या विशेष आदेश द्वारा अवधारण करने के लिए निर्धारण अधिकारी को आवेदन करेगा और ऐसे अवधारण पर, राशि के, जो इस प्रकार प्रभार्य हैं, उस अनुपात पर उपधारा (1) के अधीन कर की कटौती की जाएगी।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा।

V. **विधिमान्यकरण खंड :—** भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित कंपनी के शेयर या शेयरों के अन्तरण के परिणामस्वरूप या भारत से बाहर करार या अन्यथा के परिणामस्वरूप भारत में स्थित पूंजी आस्ति के अन्तरण के माध्यम से या उससे प्रोदभूत होने वाली या उद्‌भूत होने वाली आय की बाबत कतिपय मामलों में आय-कर अधिनियम के अधीन उठाई गई मांगों की विधिमान्यता के लिए उपबंध करने का प्रस्ताव है। इस विधिमान्य खंड के माध्यम से यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि भेजे गए या भेज दिए जाने के लिए तात्पर्यित कोई नोटिस, विधिमान्य खंड के प्रवृत्त होने से पूर्व किसी अवधि के दौरान उद्‌गृहीत, मांगे गए, निर्धारित, अधिरोपित, संग्रहीत या वसूल किए गए कर, विधिमान्य रूप से कर दिए गए समझे जाएंगे और ऐसा नोटिस या कर का उद्‌ग्रहण इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि कर प्रभार्य नहीं था या कोई आधार सम्मिलित करके कि वह पूंजी अभिलाभों पर ऐसे संव्यवहारों से उद्‌भूत पूंजी अभिलाभों पर कर है, जो भारत से बाहर किए गए हैं। विधिमान्यकरण खंड किसी न्यायालय या अधिकरण या किसी प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रवर्तित होगा।

यह विधिमान्यकरण वित्त अधिनियम, 2012 के प्रवृत्त हो जाने से प्रभावी होगा ।

[खंड 3, खंड 4, खंड 62, खंड 75, खंड 113]

अनिवासी मनोरंजनकर्ता, खिलाड़ी आदि का कराधान

आय-कर अधिनियम की धारा 115खखक ऐसे खिलाड़ी व्यक्तियों, जो भारत के नागरिक नहीं हैं और अनिवासी हैं, की आय के मामले में रियायती कर व्यवस्था का उपबंध करती है। इस उपबंध के अन्तर्गत किसी खेल या खेलकूद विज्ञापन किसी समाचार पत्र में लेख के योगदान के रूप में प्राप्त कोई आय है। ऐसे खिलाड़ियों की आय सकल प्राप्तियों पर 10% प्रतिशत की दर से कर लगाया जाता है। वही व्यवस्था भारत में खेले गए किसी खेल या खेलकूद के संबंध में ऐसी संस्था को संदेय गारन्टी रकम के लिए अनिवासी खेलकूद संगम या संस्था को भी उपलब्ध है।

दोहरे कर अपवंचन करार (डीटीएए) के अधीन, अनिवासी खिलाड़ी और अनिवासी मनोरंजनकर्ता के बीच समानता है। एक वैसी ही कर व्यवस्था अर्थात् सकल प्राप्तियों न कि शुद्ध आय के आधार पर कराधान मनोरंजनकर्ता के मामले में कराधान की प्रक्रिया को सरल बनाएगी। मनोरंजनकर्ता की बाबत विशेष व्यवस्था अपेक्षित है क्योंकि प्रदर्शन के लिए कटौती योग्य, व्ययों का अवधारण विशेष रूप से तब जटिल हो जाता है जब अन्तरराष्ट्रीय यात्रा के प्रस्तुतीकरण संबंधी व्ययों को विभिन्न देशों में सम्पूर्ण प्रदर्शन आवंटित किए जाने की आवश्यकता है।

अन्तर्राष्ट्रीय रूप से, मनोरंजनकर्ता और खिलाड़ियों दोनों के लिए ही वैसी कर दर विद्यमान हैं। अन्तर्राष्ट्रीय तुलनाएं भी यह प्रकट करती हैं कि मनोरंजनकर्ता और खिलाड़ी के मामले में कर की दर 10% से 30% के बीच है। अतः, सकल प्राप्तियों पर 20% की दर अनिवासी, अनिवासी मनोरंजनकर्ता के मामले में कर की युक्ति-युक्ति दर है। गैर-नागरिक, अनिवासी खिलाड़ी, और अनिवासी खेल-संगम के मामले में कराधान दर को सकल प्राप्तियों के 10% से 20% तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2013-14 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

अनिवासी, गैर-नागरिक, मनोरंजनकर्ता, या खेल संगम या संस्था को संदेय आय से 20% की दर कर विदहोल्डिंग के लिए उपबंध करने के लिए धारा 194ङ में पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है।

इस संशोधन को 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा।

[खंड 43, खंड 70]

दोहरे कराधान अपवंचन करार (डीटीएए) में प्रयुक्त पद को समनुदेशित अर्थ

अधिनियम की धारा 90, केन्द्रीय सरकार को दोहरे कराधान की बाबत विशिष्टतया अनुतोष प्रदान करने के प्रयोजन के लिए विदेशों या विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्रों के साथ करार करने के लिए सशक्त करता है। इस शक्ति के अधीन, केन्द्रीय सरकार ने सामान्यतः दोहरे कराधान अपवंचन करार (डीटीएए) के नाम से ज्ञात विभिन्न संधियाँ की है।

उसी प्रकार अधिनियम की धारा 90क केन्द्रीय सरकार को भारत में विनिर्दिष्ट संगम और भारत से बाहर विनिर्दिष्ट राज्य में विनिर्दिष्ट किसी संगम के बीच अधिनियम की धारा 90 के आधार पर "दोहरे कराधान" आदि से अनुतोष प्रदान करने के लिए करार अंगीकृत करने तथा उसे कार्यान्वित करने के लिए सशक्त करता है।

अधिनियम, की धारा 90 की उपधारा (3) तथा धारा 90क केन्द्रीय सरकार को करार में प्रयुक्त किसी ऐसे पद, जो न तो अधिनियम और न ही करार में परिभाषित है, को अधिसूचना के माध्यम से अर्थ समनुदेशित करने के लिए सशक्त करती है।

चूंकि अर्थ का यह समनुदेशक, संधि के औपचारीकरण की अग्रसर करने वाली वार्ताओं के दौरान समझे गए अनुसार विशिष्ट आशय और उद्देश्य के साथ सरकार द्वारा की गई सन्धि में प्रयुक्त पद के संबंध में हैं, धारा 90(3) के अधीन अधिसूचना आशय को स्पष्ट करने के लिए विधिक ढांचा कार्य प्रतिदान करती हैं और स्पष्टीकरण सामान्यतः उस तारीख से लागू होना चाहिए जब करार, जिसमें ऐसा पद प्रयुक्त किया जाता है, प्रवृत्त हो गया है। अतः धारा 90 की उपधारा (3) और धारा 90क का विधायी आशय यह कि जब कभी धारा 90(3) या धारा 90क(3) के अधीन जारी अधिसूचना के माध्यम से किसी पद को कोई अर्थ समनुदेशित किया जाता है, तो वह उस करार के, जिसमें ऐसा पद प्रयुक्त किया गया है, प्रवृत्त हो जाने की तारीख से पद को स्पष्ट करने का प्रभाव रखेगा, जिसे स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।

अधिनियम की धारा 90 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह प्रस्ताव किया जा सके कि करार में प्रयुक्त पद को अधिसूचना के माध्यम से समनुदेशित कोई अर्थ परन्तु जो अधिनियम या करार में परिभाषित नहीं है, करार प्रवृत्त होने की तारीख से प्रभावी होगा। अधिनियम की धारा 90क में वैसा ही संशोधन करने का भी प्रस्ताव है।

धारा 90 में संशोधन 1 अक्तूबर, 2009 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और धारा 90क में संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 जून, 2006 से प्रभावी होगा।

[खंड 31, खंड 32]

दोहरे कराधान अपवंचन करार (डीटीएए) के अधीन अनुतोष का दावा करने के लिए कर निवास प्रमाणपत्र (टीआरसी)

आयकर अधिनियम की धारा 90 केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित के प्रयोजन के लिए किसी विदेश राज्य या भारत से बाहर विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्र की सरकार के साथ करार करने के लिए सशक्त करती है

(i) दोहरे कराधान अपवंचन की बाबत अनुतोष प्रदान करना

(ii) सूचना का आदान प्रदान

(iii) करों की वसूली ।

इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 90क केंद्रीय सरकार को दोहरे कराधान की राहत के लिए विनिर्दिष्ट संगमों के बीच किसी करार को अंगीकृत करने के लिए सशक्त करती है ।

इस शक्ति का प्रयोग करने में, केंद्रीय सरकार ने विभिन्न देशों के साथ अनेक दोहरा कराधान परिवर्जन करार किए हैं और दोहरे कराधान की राहत के लिए विनिर्दिष्ट संगमों के बीच करारों को अंगीकृत किया है । संधि और देशी विधान के पारस्परिक प्रभाव की स्कीम यह सुनिश्चित करती है कि ऐसा कोई करदाता, जो संधि के संविदाकारी देशों में से एक देश का निवासी है, संधि या देशी विधि के फायदाप्रद उपबंधों के लागू होने का दावा करने के लिए हकदार है ।

यह देखा गया है कि अनेक मामलों में ऐसे करदाता, जो किसी संविदाकारी देश के लिए कर निवासी नहीं है, उस देश के साथ सरकार द्वारा किए गए दोहरे कराधान परिवर्जन करारों के अधीन फायदे का दावा करते हैं । उसके द्वारा, द्वितीय पक्षकार निवासी भी अनाशयित संधि फायदों का दावा करते हैं ।

इसलिए अधिनियम की धारा 90 और धारा 90क का संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाता है, जिससे इन धाराओं में निर्दिष्ट करारों के फायदों का उपभोग करने के लिए एक अनिवार्य किंतु अपर्याप्त शर्त के रूप में विहित विशिष्टियों वाले कर निवास संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी करने होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-14 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

[खंड 31, खंड 32]

जहां दोहरे कराधान परिवर्जन करार के अधीन सूचना मांगी गई है वहां निर्धारण या पुनर्निर्धारण पूरा करने के लिए समय सीमा का विस्तारण ।

निर्धारण कार्यवाहियों के प्रक्रम के दौरान ऐसे किसी निर्धारिती की दशा में, जिसकी आय या आस्तियां भारत के बाहर हों, आय-कर अधिनियम की धारा 90 या धारा 90क के उपबंधों के अधीन निर्धारण पूरा करने के समय, भारत के बाहर स्थित कर प्राधिकारियों से सूचना मांगी जा रही है, इस अधिनियम के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन , यथास्थिति, उस देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र में, प्रभार्य आय-कर के अपवर्जन या परिवर्जन को रोकने के लिए विदेशी कर प्राधिकारियों के साथ सूचना का आदान प्रदान किया जा सकता है ।

किसी निर्धारण या पुनर्निर्धारण को पूरा करने के लिए समय सीमा आय-कर अधिनियम की धारा 153 और 153ख के उपबंधों में दी गई है । किसी निर्धारिती की दशा में निर्धारण या पुनर्निर्धारण को पूरा करने के लिए विहित सीमा से सूचना (विदेशी कर प्राधिकारियों से) अभिप्राप्त करने में दिए गए समय को अपवर्जित करने के लिए इन उपबंधों को वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा संशोधित किया गया था । अपवर्जित किए जाने वाली यह समयावधि उस तारीख से, जिसको सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया भारत में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विदेशी कर प्राधिकारियों को निर्देश करके आरंभ की जाती है, और उस तारीख के अंत तक, जिसको आयुक्त द्वारा सूचना प्राप्त की जाती है, आरंभ होगी । इस समय, अपवर्जन की अवधि छह मास तक सीमित है ।

विदेशी जांचों में सूचना अभिप्राप्त करने के लिए सामान्यतया प्रकृति के अनुसार लंबा समय लगता है । अतः यह प्रस्ताव है कि छह मास की इस समय सीमा को बढ़ाकर एक वर्ष कर दिया जाए ।

इन संशोधनों को 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है ।

[खंड 63, खंड 64]

छ. अंतरण मूल्यांकन उपबंधों का पुनर्निर्धारण

अग्रिम मूल्यांकन करार

अग्रिम मूल्यांकन करार किसी करदाता और किसी कर प्राधिकारी के बीच भविष्य में नियत समयावधि पर संव्यवहारों के सेट के लिए एक समुचित अंतरण मूल्यांकन पद्धति के संबंध में करार है । अग्रिम मूल्यांकन करार अंतरण मूल्यांकन पद्धतियों के संबंध में बेहतर आश्वासन प्रदान करते हैं और संपर्क की सुनिश्चितता तथा गैर-विरोध प्रदान करने में सहायक है ।

अधिनियम में नई धारा 92गग और 92गघ अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे अधिनियम के अधीन अग्रिम मूल्यांकन कीमत संबंधी एक योजना का उपबंध किया जा सके । प्रस्तावित धाराएं निम्नलिखित के लिए उपबंध करती हैं-

1. यह बोर्ड को कोई अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार करने वाले किसी व्यक्ति के साथ अग्रिम मूल्यांकन करार करने के लिए सशक्त करती हैं ।

2. ऐसे अग्रिम मूल्यांकन करारों में असन्निकट कीमत का अवधारण या वह रीति विनिर्दिष्ट करना, जिसमें ऐसे अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों के संबंध में जो वह व्यक्ति करता है, असन्निकट कीमत अवधारित की जाएगी ।

3. ऐसे मामलों में असन्निकट कीमत के अवधारण की रीति आवश्यक समायोजनों या अंतरों वाली ऐसी कोई पद्धति होगी, जिसके अंतर्गत धारा 92ग की उपधारा (1)में उपबंधित रीति भी है ।

4. किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की, जो अग्रिम मूल्यांकन करार के अंतर्गत आता है, असन्निकट कीमत का अवधारण इस प्रकार किए गए अग्रिम मूल्यांकन करार के अनुसार किया जाएगा और धारा 92ग या धारा 92गक के उपबंधों को, जो साधारणतया असन्निकट कीमत की अवधारण कीमत के लिए लागू होते हैं, इस सीमा तक उपांतरित किया जाएगा तथा असन्निकट कीमत अग्रिम मूल्यांकन करार के अनुसार अवधारित की जाएगी ।

5. अग्रिम मूल्यांकन करार उन पूर्व वर्षों के लिए विधिमान्य होगा जो करार में विनिर्दिष्ट हैं और जो किसी भी दशा में लगातार पांच पूर्व वर्षों से अधिक नहीं होंगे ।

6. अग्रिम मूल्यांकन करार ऐसे संव्यवहारों की बाबत, जिनके संबंध में करार किया गया है, उस व्यक्ति और आयुक्त (जिसके अंतर्गत उसके अधीनस्थ आय-कर प्राधिकारी भी हैं) के बीच में आबद्धकर होगा । अग्रिम मूल्यांकन करार उस दशा में आबद्धकर नहीं होगा, यदि विधि या तथ्यों में ऐसा कोई परिवर्तन होता है जो उस अग्रिम मूल्यांकन करार पर प्रभाव डालता है ।

7. बोर्ड केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, ऐसे किसी करार को आरंभ से ही शून्य घोषित करने के लिए सशक्त है, यदि वह यह पाता है कि व्यक्ति द्वारा करार कपट या तथ्यों के मिथ्या प्रकटन द्वारा अभिप्राप्त किया गया है । किसी करार के एक बार आरंभ से शून्य घोषित किए जाने पर अधिनियम के सभी उपबंध उस व्यक्ति को इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा अग्रिम मूल्यांकन करार कभी किया ही न गया हो ।

8. अधिनियम के अधीन परिसीमा की किसी अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए ऐसे अग्रिम मूल्यांकन करार की तारीख से आरंभ होने वाली और करार को आरंभ से ही शून्य घोषित करने वाले आदेश की तारीख को समाप्त होने वाली अवधि को अपवर्जित किया जाएगा । तथापि, यदि पूर्वोक्त अवधि के अपवर्जन पर, अधिनियम के किसी उपबंध में निर्दिष्ट परिसीमा की अवधि साठ दिन से कम है तो ऐसी शेष अवधि को साठ दिन तक विस्तारित किया जा सकेगा ।

9. बोर्ड अग्रिम मूल्यांकन करार की बाबत रीति, प्ररूप, प्रक्रिया और सामान्यतया किसी अन्य विषय के लिए उपबंध करने वाली स्कीम विहित करने के लिए सशक्त है ।

10. जहां ऐसे किसी अग्रिम करार करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा कोई आवेदन किया जाता है वहां प्रक्रियाएं, अधिनियम की धारा 133(6) के अधीन जांच करने के लिए मामलों के समान अधिनियम के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति के मामले में लंबित समझी जाएगी ।

11. ऐसा अग्रिम मूल्याकन करार करने वाले व्यक्ति को ऐसे पूर्व वर्ष के लिए जिसको अग्रिम मूल्यांकन करार लागू होता है, पहले आय की विवरणी की बाबत उक्त अग्रिम मूल्यांकन करार किए जाने वाले मास के अंत से तीन मास की अवधि के भीतर उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी । उपांतरित विवरणी में अग्रिम मूल्यांकन करार से उत्पन्न होने वाले मुद्दों की बाबत और उसके अनुसार, केवल आय के उपांतरण को प्रदर्शित किया जाना होगा ।

12. जहां उस पूर्व वर्ष से, जिसको करार लागू होता है, सुसंगत किसी निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण या पुनर्निर्धारण करने की कार्यवाहियां उपांतरित विवरणी फाइल करने की तारीख को लंबित है वहां निर्धारण अधिकारी इस प्रकार फाइल की गई उपांतरित विवरणी और विवरणी विचार करते हुए करार के अनुसार निर्धारण या पुनर्निर्धारण कार्यवाहियों को पूरा करने की कार्यवाही करेगा और कार्यवाहियां पूरी करने की सामान्य परिसीमा अवधि एक वर्ष तक विस्तारित की जाएगी ।

13. जहां ऐसे किसी पूर्ववर्ष से सुसंगत किसी निर्धारण वर्ष के लिए, जिसको करार लागू होता है, निर्धारण या पुनर्निर्धारण कार्यवाहियां उपांतरित विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात की गई अवधि से पूर्व पूरी हो गई है तो निर्धारण अधिकारी, ऐसे मामले में जहां उपांतरित विवरणी फाइल कर दी गई है, अग्रिम मूल्यांकन करार को ध्यान में रखते हुए और उसके अनुसार सुसंगत निर्धारण वर्ष की कुल आय के निर्धारण या पुनर्निर्धारण या पुनर्संगणना के लिए कार्यवाही करेगा और ऐसे निर्धारण को, निर्धारण से संबंधित सभी उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो उपांतरित विवरणी अधिनियम की धारा 139 के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी है । ऐसे निर्धारण या पुनर्निर्धारण को पूरा करने के लिए परिसीमा की अवधि उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें उपांतरित विवरणी प्रस्तुत की गई है, अंत से एक वर्ष है ।

14. इस अधिनियम के सभी अन्य उपबंध तदनुसार ऐसे लागू होंगे मानो उपांतरित विवरणी धारा 139 के अधीन प्रस्तुत की गई विवरणी है ।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होंगे ।

[खंड 39 और खंड 89]

निर्धारिती द्वारा रिपोर्ट न किए गए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों की अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा परीक्षा ।

अधिनियम की धारा 92गक यह उपबंध करती है कि निर्धारण अधिकारी, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो आय-कर आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की बाबत असन्निकट कीमत के अवधारण के मामले को अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्दिष्ट कर सकेगा । एक बार अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश किए जाने पर, अंतरण मूल्यांकन अधिकारी उन सभी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा जो असन्निकट कीमत के अवधारण और परिणामिक समायोजन के लिए धारा 92ग की उपधारा (3) के अधीन निर्धारण अधिकारी को उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 92क के अधीन करदाता को रिपोर्ट करने की अपेक्षा की गई है और करदाता वर्ष के दौरान करदाता द्वारा किए गए सभी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों के ब्यौरों वाली संपरीक्षा रिपोर्ट, विहित प्ररूप में निर्धारण अधिकारी के समक्ष फाइल करने की बाध्यता के अधीन है ।

संपरीक्षा रिपोर्ट निर्धारण अधिकारी के पास ऐसा प्रमुख दस्तावेज है, जिसमें करदाता द्वारा किए गए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारों के ब्यौरे अंतर्विष्ट होते हैं । यदि निर्धारिती धारा 92ङ के अधीन प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में ऐसे किसी संव्यवहार की रिपोर्ट नहीं करता है तो निर्धारण अधिकारी सामान्यतया ऐसे अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के बारे में इस प्रकार अवगत नहीं होगा जिससे वह अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्देश कर सके । अंतरण मूल्यांकन अधिकारी उसके समक्ष कार्यवाही के दौरान पश्चातवर्ती किसी ऐसे संव्यवहार पर ध्यान देगा । विनिर्दिष्ट शक्ति के अभाव में, अंतरण मूल्यांकन अधिकारी द्वारा असन्निकट कीमत का अवधारण इसके बावजूद भी चुनौती के लिए खुला होगा कि ऐसी किसी कार्रवाई का आधार प्रथमदृष्टया करदाता द्वारा संव्यवहार की रिपोर्ट न करना है ।

अधिनियम की धारा 92गक का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को उसके समक्ष कार्यवाहियों के दौरान उसके द्वारा पाए गए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार असन्निकट कीमत का अवधारण करने के लिए इसके बावजूद भी सशक्त किया जा सके, यदि उक्त संव्यवहार निर्धारण अधिकारी द्वारा उसे निर्दिष्ट नहीं किया गया था, परंतु ऐसा अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार को करदाता द्वारा अधिनियम की धारा 92ङ के अधीन उससे की गई अपेक्षा के अनुसार रिपोर्ट नहीं किया गया था ।

इस संशोधन को भूतलक्षी रूप से 1 जून, 2002 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है ।

इस आशय के एक स्पष्टीकरण का उपबंध करने के लिए यह भी प्रस्तावित है कि किसी कार्यवाही को पुनः प्रारंभ करने के लिए संशोधन को भूतलक्षी रूप दिए जाने के कारण कोई कार्यवाही उस करार मद्दे ही की जाएगी ।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा ।

[खंड 38]

अंतरण मूल्य विनियमों का कतिपय घरेलू संव्यवहारों को लागू होना

अधिनियम की धारा 40क निर्धारण अधिकारी को नातेदार पक्षकारों के बीच असुसंगत व्यय को अननुज्ञात करने के लिए सशक्त करती है। इसके अतिरिक्त अध्याय 6क के अधीन परिनिर्धारण अधिकारी उपक्रम की आय जिसे लाभ से संबंधित कटौती अनुज्ञात की गई है की आय की पुनः अगणना करने के लिए सशक्त है, यदि नातेदार पक्षकारों के बीच या उसी समुत्थान के अन्य उपक्रमों के साथ संव्यवहार हैं। तथापि व्यय की सुसंगतता या उचित बाजार मूल्य का ऐसे नातेदार संव्यवहारों में आय की पुनः संगणना करने के लिए सुसंगतता का अवधारण करने के लिए किसी विशिष्ट विधि का इन धाराओं में उपबंध नहीं है।

उच्चतम न्यायालय ने, सीआईटी बनाम ग्लेक्सो स्मिथकेलाइन एशिया (प्रा.) लिमिटेड में अपने आदेश में विषमताओं की जांच करने के पश्चात् जो उन मामलों में उत्पन्न होती है जहां उचित बाजार मूल्य को उन संव्यवहारों को जो घरेलू नातेदार पक्षकारों के बीच होते हैं समनुदेशित किया जाना होता है, सुझाव दिया कि वित्त मंत्रालय को विधि के उपयुक्त उपबंधों पर विचार करना चाहिए जिससे अंतरण मूल्य विनियमों को ऐसे नातेदार पक्षकारों के घरेलू संव्यवहारों पर लागू किया जा सके।

घरेलू संव्यवहारों को अंतरण मूल्य विनियमों के स्कोप का विस्तारण घरेलू नातेदार पक्षकार संव्यवहारों से आय का अवधारण करने और नातेदार घरेलू पक्षकारों के बीच व्यय की सुसंगतता का अवधारण करने के लिए वस्तुनिष्ठता का उपबंध करेगा। यह निर्धारितियों पर उचित दस्तावेजीकरण का अनुरक्षण करने की विधिक रूप से प्रवर्तनीय बाध्यता अधिरोपित करेगा। तथापि सभी घरेलू संव्यवहारों पर अंतरण मूल्य अपेक्षाओं का विस्तारण सभी निर्धारितियों पर अनुपालना के भार में वृद्धि करेगा जो कि अवांछनीय हो सकता है।

इसलिए अंतरण मूल्य विनियमों को घरेलू नातेदार पक्षकारों द्वारा प्रविष्ट हुए संव्यवहारों या उसी समुत्थान के किसी उपक्रम के अन्य उपक्रमों के साथ धारा 40क अध्याय 6क और धारा 10कक के प्रयोजनों के लिए संव्यवहारों पर विस्तारित करने की आवश्यकता है। प्रशासनिक और अनुपालन भार की चिंताओं पर, ऐसे संव्यवहारों जो किसी वर्ष में 5 करोड़ रुपए की कुल अवसीमा से अधिक होते हैं पर निर्बंधित कर ध्यान दिया गया है। उच्च न्यायालय के समक्ष विद्यमान परिस्थितियों के मद्देनजर, धारा 40क के प्रयोजन के लिए नातेदार पक्षकार की परिभाषा का विस्तार करने की आवश्यकता है जिससे कि उन मामलों को कवर किया जा सके जिनकी मूल कंपनी समान है। इसलिए अधिनियम का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे अंतरण मूल्य विनियमों को (जिसमें प्रक्रियात्मक और शास्ति उपबंध भी हैं) आय की संगणना करने, धारा 40क, धारा80झक, 10कक, 80क के उपबंधों के अधीन जहां धारा 80झक को निर्देश किया गया है या उन संव्यवहारों जो बोर्ड द्वारा विहित किया जाए, यदि ऐसे सभी घरेलू संव्यवहारों की रकम किसी एक वर्ष में 5 करोड़ वर्ष से अधिक हो जाती है यथा अपेक्षित व्यय को अनुज्ञात करने के प्रयोजन के लिए लागू किया जाए,

समान मूल कंपनी वाली कंपनियों को शामिल करने के लिए धारा 40क में यथाउपबंधित नातेदार व्यक्तियों के अर्थ को और संशोधित करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-2014 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 12, खंड 23, खंड 29, खंड 33, खंड 35, खंड 37, खंड 38, खंड 92, खंड 94,खंड 97]

असन्निकट मूल्य का अवधारण (एलपी)

I अधिनिम की धारा 92ग असन्निकट कीमत की संगणना का उपबंध करती है। इस धारा की उपधारा (1)असन्निकट मूल्य के अवधारणा के लिए विधियों के सैट का उपबंध करती है और असन्निकट मूल्य के अवधारण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि का आदेश करती है। धारा 92ग की उपधारा (2) उपबंध करती है कि जहां सर्वाधिक उपयुक्त विधि द्वारा असन्निकट कीमत का अवधारण किया जाता है, असन्निकट कीमत को ऐसी कीमत का अंकगणितीय साधन माना जाएगा। इस उपधारा के परंतुक को वित्त अधिनियम 2002 द्वारा 1.04.2002 के प्रभाव से अंतःस्थापित किया गया था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यदि अंतरक मूल्य में अंकगणतीय साधन से परिवर्तन 5% की सहनीय रेंज के भीतर है तो अंतरक मूल्य में कोई समायोजन अपेक्षित नहीं था।

पश्चातवर्ती रूप से इस परंतुक के निर्वचन के संबंध में विवाद उत्पन्न हो गए। एएलपी में परिवर्तन और अंतरण मूल्य सहनीय बैंड से अधिक हो जाता है तो क्या सहनीय बैंड मानक कटौती है या नहीं, विभिन्न न्यायालयों ने इसका निर्वचन विभिन्न प्रकार से किया।

अधिक स्पष्टता लाने और विवाद का समाधान करने के प्रयोजन के लिए परंतुक को वित्त (संख्यांक 2), अधिनियम 2009 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। प्रतिस्थापित परंतुक न केवल इस आश्य को स्पष्ट कर दिया कि 5% की सहनीय बैंड मानक कटौती नहीं है और इसने अनुज्ञेय बैंड के अवधारण के आधार को बदल दिया और इसे अंकगणतीय साधन के पहले के आधार के स्थान पर अंतरक मूल्य से जोड़ दिया। संशोधन ने 5% के सहनीय बैंड के लागू होने के प्रति अस्पष्टता को मानक कटौती न मानकर स्पष्ट कर दिया।

तथापि, वित्त (संख्यांक 2), अधिनियम 2009 के पूर्व की अस्पष्ट स्थिति विभिन्न न्यायिक विनिश्चयों के कारण विद्यमान है। कुछ विभाग के मत का समर्थन करते हैं और कुछ करदाता के पक्ष का समर्थन करते हैं। इसलिए इस मुद्दे पर उपधारा (2) के पहले परंतुक जिसे वित्त अधिनियम, 2002 द्वारा अंतःस्थापित किया गया था के संबंध में विधायी आशेय को स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

इसलिए आय-कर अधिनियम का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे धारा 92ग(2) के पहले परंतुक के संबंध में जैसा कि वह वित्त अधिनियम (सं.2), 2002 द्वारा उसके प्रतिस्थापन से पूर्व था भूतलक्षी प्रभाव से स्पष्टता का उपबंध किया जा सके जिससे 5% के सहनीय बैंड को असन्निकट मूल्य की संगणना करते समय मानक कटौती न माना जाए और इस बात का सुनिश्चय किया जा सके कि ऐसे भूतलक्षी संशोधन से पहले तसे पूर कर लिए गए निर्धारण या प्रक्रियाओं को इस आधार पर फिर से न प्रारंभ किया जाए।

पूर्वोक्त प्रस्तावित संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2002 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2002-03 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

II वित्त (सं.2),विधेयक 2009 द्वारा लाए गए संशोधन के संबंध में , स्पष्टीकारक ज्ञापन स्पष्ट रूप से संशोधित उपबंध की विधायी आशय का वर्णन करती है कि यह अंतरक कीमत अधिकारी के समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियों को लागू होंगी। तथापि कतिपय न्यायिक प्राधिकरणों के पश्चात्वर्ती विनिश्चयों ने 1.10.2009 को यथा लंबित कार्यवाहियों पर इस परंतुक के लागू होने के प्रति संदेहों का सृजन किया है। निर्धारण वर्ष 2010-11 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में परंतुक के लागू होने के स्थान पर 1.10.2009 को यथालंबित सभी निर्धारण कार्यवाहियों पर इस परंतुक को लागू करने के विधायी आशय को स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

इसलिए आय-कर अधिनियम का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे इस स्पष्टता का उपबंध किया जा सके धारा 92ग का दूसरा परंतुक उन सभी कार्यवाहियों पर लागू होगा जो 1.10.2009 (वित्त [सं.2), अधिनियम 2009 द्वारा दूसरे परंतुक के लागू होने की तारीख] को यथा लंबित थी।

संशोधनों को भूतलक्षी रूप से 1 अवतूबर, 2009 से लागू करने का प्रस्ताव है।

[खंड 36]

आय-कर की विवरणी फाइल करना, अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की परिभाषा, एएलपी के लिए सहनशीलता बैंड, अंतरक कीमत मामलों की दशा में शास्तियां और पुनः निर्धारण

I अधिनियम की धारा 139 व्यक्तियों को विभिन्न प्रवर्गों की दशा में आय-कर फाइल करने की नियत तारीख का उपबंध करती है। आय-कर विवरणी पारित करने के अतिरिक्त ऐसे निर्धारिती जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है, से आय-कर विवरणी फाइल करने की तारीख से पूर्व अधिनियम धारा 92ङ के अनुसार प्ररूप 3गङख में एक अंतरक कीमत रिपोर्ट तैयार करना और फाइल करना भी अपेक्षित है, वित्त अधिनियम, 2011 के माध्यम से निगमित निर्धारिती की दशा में जिससे अंतरक कीमत रिपोर्ट अधिनियम की धारा 92ङ के अधीन अपेक्षित अभिप्राप्त करना और फाइल अपेक्षित था, आय-कर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख का उस निर्धारण वर्ष के 30 नवंबर तक विस्तारिती कर दिया गया था।

यह नोट किया गया है कि कंपनियों से भिन्न निर्धारिति भी 30 सितंबर जो कि उनके मामलों में आय-कर विवरणी और अंतरक कीमत रिपोर्ट फाइल करने की नियत तारीख है। इसलिए गैर निगमित करदाताओं की" दशा में, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार किया है और जिनसे अधिनियम की धारा 92ङ के अनुसार अंतरक कीमत रिपोर्ट अभिप्राप्त करना और फाइल करना अपेक्षित है, आय-कर की विवरणी फाइल करने की नियत तारीख का विस्तारण करने की आवश्यकता है। और गैर निगमित निर्धारितियों की दशा में आय-कर विवरणी फाइल करने की तारीख का निर्धारण वर्ष के 30 नवम्बर तक विस्तार किया जाना चाहिए।

गैर निगमित निर्धारितियों के मामले में आय की विवरणी फाइल करने की नियत तारीख निर्धारण वर्ष की तारीख 30 नवम्बर तक बढ़ाई जाए।

धारा 139 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे सभी निर्धारितियों के मामले में जिनको अधिनियम की धारा 92ङ के अनुसार अन्तरण कीमत रिपोर्ट अभिप्राप्त करनी है तथा उसे फाइल करना, नियत तारीख निर्धारण वर्ष की 30 नवम्बर, होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2012-13 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

II. अधिनियम की धारा 92ख अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार की अनन्य परिभाषा का उपबंध करती है यद्यपि परिभाषा व्यापक रूप से परिभाषित की गई है, अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार की वर्तमान परिभाषा उसके गलत निर्वचन के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती है।

अपनी संक्षिप्त प्रकृति के अनुसार परिभाषा संव्यवहार की सभी प्रकृति और ब्यौरों का उल्लेख नहीं करती है, जिसका लाभ उठा कर अधिक संख्या में अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहारों को अंतरण कीमत संपरीक्षा रिपोर्ट में, करदाताओं द्वारा रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। परिभाषा में, "अमूर्त संपत्ति" पद को सम्मिलित किया गया है। फिर भी, अमूर्त संपत्ति की परिधि की बाबत स्पष्टता के अभाव के कारण करदाताओं ने अनेक ऐसे संव्यवहारों को रिपोर्ट नहीं किया है।

कतिपय न्यायिक प्राधिकारियों ने यह अभिमत अपनाया है कि कारबार पुनःसंरचना आदि के संव्यवहारों के मामलों में जहा भले ही अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार अंतरण कीमत क्यों न हो, वहां ये उपबंध लागू नहीं होंगे यदि उसकी चालू वित्त वर्ष को लाभ या हानि पर प्रभाव नहीं है या लाभ तथा हानि लेखा पर प्रभाव अंतरण कीमत विनिवेशों से भिन्न सामान्य संगणना उपबंधों के अधीन अवधारणीय नहीं हैं। अंतरण कीमत उपबंधों की वर्तमान में यह अपेक्षा नहीं की गई है कि अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार का चालू वर्ष के लाभों या आय पर प्रभाव होना चाहिए।

अतः, "अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार" पद के अर्थ की सही परिधि को स्पष्ट करने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार की परिभाषा का संशोधन करने की तथा परिभाषा में प्रयुक्त "अमूर्त संपत्ति" पद को स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

अतः; अधिनियम की धारा 92ख का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार की परिभाषा में प्रयुक्त "अमूर्त संपत्ति" पद को स्पष्ट करने के लिए स्पष्टीकरण का उपबंध किया जा सके तथा यह स्पष्ट किया जा सके "अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार" के अन्तर्गत किसी सहयोजित उद्यम के साथ साथ किसी उद्यम द्वारा की गई कारबार पुनः संरचना या पुनगर्ठन के संव्यवहार इस तथ्य को ध्यान में न रखते हुए सम्मिलित होगा कि इसका संव्यवहार के समय या किसी भावी तारीख को लाभ, आय, हानियों या आस्तियों या ऐसे उद्यमों पर प्रभाव होता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2002 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होंगे तथा तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2002-03 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

III. धारा 92ग असन्निकट कीमत (एएलपी) के अवधारण के संबंध में पद्धतियों के लिए उपबंध करती है। उक्त धारा की उपधारा (2) यह उपबंध करती है कि यदि समुचित पद्धति का परिणाम एक से अधिक कीमत है तो इन कीमतों का अंकगणितीय साधन असन्निकट कीमत होगी। धारा 92ग की उपधारा (2) का परन्तुक, जिसे वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा संशोधित किया गया था, यह उपबंध करता है कि केन्द्रीय सरकार प्रतिशतता का अवधारण कर सकेगी और यदि इस प्रकार अवधारित असन्निकट कीमत के बीच फेरफार और संव्यवहार कीमत अधिसूचित प्रतिशतता (संव्यवहार कीमत की) के भीतर है तो समायोजन व्यवहार कीमत के प्रति किया जाएगा।

ऐसी सहनशीलता सीमा पर एक ऊपरी अधिकतम सीमा रखने की आवश्यकता है जिसे विधान में अधिसूचित किया जाना है।

अतः; अधिनियम की धारा 92ग(2) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे असन्निकट कीमत के अवधारण के लिए सहनशीलता सीमा को अधिसूचित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की शक्ति की बाबत 3% ऊपरी अधिकतम का उपबंध किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2013-14 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

IV. आयकर अधिनियम की धारा 271खक उन मामलों में, जहां कोई व्यक्ति धारा 92ङ की अपेक्षानुसार लेखापाल से रिपोर्ट प्रस्तुत करने में असफल रहता है, वहां एक लाख रुपए की शास्ति का उपबंध करती है।

धारा 271कक अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार की बाबत सूचना तथा दस्तावेज को बनाए रखने में असफलता के लिए शास्ति का उपबंध करती है।

धारा 271घ धारा 92फ के अधीन सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के लिए शास्ति का उपबंध करती है जो अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार करने वाले व्यक्तियों द्वारा विहित प्रोफार्मा में कतिपय जानकारी तथा दस्तावेजों के अनुरक्षण की अपेक्षा करती है।

शास्ति उपबधों की उपरोक्त स्कीम प्रभावी भयोपरापी के अभाव, के कारण उपबंधों के दुरुपयोग को अनुज्ञात करती है। अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहारों के बारे में सूचना को छिपाने के लिए कुछ करदाता रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करते है या अन्तरण कीमत संपरीक्षा नहीं करवाते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहारों की मात्रा के मुकाबले में एक लाख रुपए की शास्ति एक प्रभावी भयोपरापी नहीं है। धारा 92ङ के अधीन फाइल की गई रिपोर्ट में अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार के बारे में रिपोर्ट न किए जाने या सूचना या दस्तावेजों के न रखे जाने या उनके संबंध में मिथ्या जानकारी देने के लिए वर्तमान में कोई शास्ति नहीं है। अतः; अन्तरण कीमत विनियमों के अनुपालन को प्रवृत्त करने के लिए संव्यवहार मूल्य पर आधारित प्रभावी भयोपरापी का उपबंध करने की आवश्यकता है।

अतः; अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहार के मूल्य के 2% की दर पर शास्ति उद्ग्रहीत करने का उपबंध करने के लिए धारा 271कक का संशोधन करने का प्रस्ताव, यदि करदाता,--

(i) विहित दस्तावेजों या सूचना के रख-रखाव में असफल रहता है, या

(ii) किसी ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय, जिसे रिपोर्ट किया जाना अपेक्षित है, की रिपोर्ट करने में असफल रहता है;

(iii) कोई गलत सूचना या दस्तावेजका रख-रखाव करता है या प्रस्तुत करता है।

यह शास्ति धारा 271खक और धारा 271छ में शास्तियों के अतिरिक्त होगी।

इस संशोधन को 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है।

V. अधिनियम की धारा 147 पूर्ववर्ती वर्षो के मामलों को पुनः आरंभ करने के लिए उपबंध करती है यदि कर से प्रभार्य कोई आय निर्धारण से छूट गई है। इस धारा का स्पष्टीकरण कतिपय उन परिस्थितियों का उपबंध करता है जिनमें यह समझा जाएगा कि आय निर्धारण से छूट गई है।

अधिनियम के अधीन, अन्तर्राष्ट्रीय संव्यवहारों से आय को असन्निकट कीमत सिद्धान्त के अनुसार संगठित किया जाना है और अन्तरण कीमत उपबंध ऐसे संव्यवहारों को लागू होते है। अतः; अतर्राष्ट्रीय संव्यवहार के प्रत्येक मामले में, ऐसे संव्यवहार से उद्भूत होने वाली आय का असन्निकट कीमत के बेंच मार्क के मुकाबले में ऐसे संव्यवहार से प्रोद्भूत होने वाली आय का परीक्षण किया जाना है। कतिपय संव्यवहारों में, संव्यवहार मूल्य असन्निकट कीमत होती है और कोई समायोजन नहीं किया जाता है जबकि अन्य संव्यवहार में इसका परिणाम समायोजन हो सकेगा। यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार की निर्धारिती द्वारा रिपोर्ट नहीं की जाती है तो ऐसा संव्यवहार असन्निकट कीमत सिद्धांत के विरुद्ध कभी भी बैंचमार्क नहीं कराया जाता है। अतः, यह आवश्यक है कि अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों के रिपोर्ट न किए जाने का परिणाम आय के छूट जाने की पूर्वधारणा होगी।

अतः, अधिनियम की धारा 147 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि सभी मामलों में जहां यह पाया जाता है कि या तो रिपोर्ट फाइल न करें या अन्यथा अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार धारा 92ङ में उल्लिखित रिपोर्ट में ऐसे संव्यवहार को सम्मिलित न करके रिपोर्ट नहीं किया गया है तब ऐसी रिपोर्ट न किया जाना ऐसे मामले के रूप में माना जाएगा जहां आय छूट गई है और ऐसा मामला अधिनियम की धारा 147 के अधीन पुनः आरंभ किया जा सकता है।

इस संशोधन को 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी करने का प्रस्ताव है।

[खंड 34, खंड 36, खंड 56, खंड 61, खंड 93]

विवाद समाधान पैनल के निदेशों के विरुद्ध अपील

विवाद समाधान पैनल संस्था वित्त अधिनियम, 2009 के द्वारा विशिष्टतया अंतरण कीमत मुद्दों से अंतर्वलित अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहारों के मामले में विवादों के त्वरित समाधान करने की दृष्टि से सृजित की गई थी।

धारा 144ग की उपधारा (8) के उपबंधों के अधीन विवाद समाधान पैनल को प्रारुप आदेश में प्रस्तावित परिवर्तनों को पुष्ट करने की, उनमें कमी करने की या वृद्धि करने की शक्ति है। आय-कर विभाग को विवाद समाधान पैनल द्वारा दिए गए निदेशों के विरुद्ध अपील का अधिकार प्राप्त नहीं है। करदाता को विवाद समाधान पैनल के निदेशों के अनुसरण में निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध आय-कर अपील अधिकरण को सीधे अपील करने का अधिकार प्राप्त है।

चूंकि डीआरपी द्वारा दिए गए निदेश निर्धारण अधिकारी पर आबद्ध है, तदनुसार यह उपबंध करने के लिए प्रस्ताव किया जाता है कि निर्धारण अधिकारी डीआरपी के निदेशों के अनुसरण में पारित आदेश के विरुद्ध आयकर अपील अधिकरण के समक्ष अपील भी फाइल कर सकेगा।

अतः; आय-कर अधिनियम की धारा 245 और धारा 254 के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात् फाइल किए गए किसी आक्षेप के संबंध में डीआरपी के निदेशों के अनुसरण में पारित आदेश के विरुद्ध निर्धारण अधिकारी द्वारा अपील फाइल करने का उपबंध किया जा सके।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होंगे।

[खंड 90, खंड 91]

डीआरपी की परिवर्तनों में बढ़ोत्तरी करने की शक्ति

विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) का गठन किसी व्यक्ति के अंतर्राष्ट्रीय संव्यवहार होने या किसी विदेशी कंपनी की दशा में अंतरण कीमत विवाद्यकों के अंतर्वलित होने वाले मामलों का त्वरित निपटान करने के उद्देश्य से किया गया था। धारा 144ग की उपधारा (8) के अधीन यह उपबंध किया गया है कि डीआरपी किसी निर्धारण अधिकारी के प्ररुप आदेश में प्रस्तावित परिवर्तनों की पुष्टि कर सकेगा, उन्हें व्यय कर सकेगा या वर्धित कर सकेगा।

हाल ही के एक निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि डीआरपी की शक्ति केवल प्रारुप निर्धारण आदेश में उठाए गए विवाद्यकों तक सीमित है और इसलिए वह आदेश में प्रस्तावित परिवर्तनों को किसी नए विवाद्यक के मद्देनजर जो पैनल के ध्यान में उसके समक्ष कार्यवाहियों के परिणामस्वरुप आता है बढ़ नहीं सकता है।

यह विद्यायी आशय के अनुसार नहीं है।

इसलिए तदनुसार धारा 144ग के उपबंधों में एक स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि डीआरपी की परिवर्तन में बढ़ोतरी करने की शक्ति में प्रारुप निर्धारण आदेश से संबंधित निर्धारण कार्यवाहियों से उद्भूत किसी विषय का विचारण करने की शक्ति सदैव सम्मिलित है और सम्मिलित समझी जाएगी। किसी भी विवाद्यक पर विचार करने की शक्ति इस तथ्य के होते हुए भी होगी कि ऐसा मामला पात्र निर्धारिति ने उठाया था या नहीं।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-14 तथा पश्चतावर्ती निर्धारण वर्षो के सम्बन्ध में लागू होगा।

[खंड 60]

डीआरपी को निर्दिष्ट तलाशी के मामलों में निर्धारण पूरा करना

आय-कर अधिनियम की धारा 144ग के उपबंधों के अधीन जहां कोई पात्र निर्धारित विवाद निपटान पैनल (डीआरपी) के समक्ष प्रारुप निर्धारण आदेश के विरुद्ध कोई आक्षेप फाइल करता है तो धारा 153 में किसी बात के होते हुए भी निर्धारण पूरा करने की समय-सीमा वह होगी जो धारा 144ग में उपबंधित है। जहां तलाशी और अभिग्रहण के परिणामस्वरुप निर्धारणों की विरचना की जाती है, वहां ऐसा ही उपबंध करना प्रस्तावित है। जिससे यह उपबंध किया जा सके कि ऐसे निर्धारण के लिए धारा 144ग में विनिर्दिष्ट समय-सीमा धारा 153ख में अंतर्विष्ट किसी बारत के होते हुए भी लागू होगी।

आयुक्त (अपील) की अपीलीय अधिकारिता से डीआरपी के निदेशों के अनुसरण में निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित ऐसे आदेशों का अपवर्जन करने का और ऐसे आदेशों के विरुद्ध सीधा आईटीएटी को अपील करने का भी उपबंध करना प्रस्तावित है। तदनुसार आय-कर अधिनियम की धारा 246क और 253 के उपबंधों में परिणामस्वरूप संशोधन करने का प्रस्ताव है।

आय-कर अधिनियम के उपबंधों में यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अक्तूबर, 2009 से प्रभावी होंगे।

[खंड 89, खंड 90]

ज. साधारण कर अपवंचन नियम (डीआरपी)

कराधान विधियों के कार्यायन्वन में रूप पर सार का प्रश्न लगातार उठता रहा है। कुछ न्यायालयों ने कतिपय परिस्थितियों में अमिनिर्धारित किया था कि संव्यवहारों के विधिक प्ररुप को समाप्त किया जा सकता है और कराधान विधियों को लागू करते समय संव्यवहार के वास्तविक सार पर विचार किया जा सकता है, अन्य ने अमिनिर्धारित किया है कि रूप को प्रमुखता दी जानी चाहिए। प्रति-अपवंचन सिद्धांतों की विद्यमानता विभिन्न न्यायिक उद्घोषणाओं पर आधारित है। कुछ विशिष्ट प्रति-अपवंचन उपबंध हैं किंतु, साधारण प्रति अपवंचन केवल कुछ विशिष्ट मामलों में न्यायिक विनिश्चयों के माध्यम से ही है।

उदार कर दरों के वातावरण में, यह आवश्यक है कि आक्रामक कर योजना के मद्दे और निवास के साथ-साथ पूंजी लाने के लिए अपारदर्शी निम्न कर अधिकारिता के उपयोग के कारण सही कर आधार को व्यय के अधीन लाया जाए। अधिकांश देशों ने साधारण प्रति अपवंचन नियम (डीएसआर) के रूप में, 'रूप पर सार' को कूटकृत कर लिया है।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में और परिष्कृत ढांचे के उपयोग से सक्रिय कर योजना के मद्देनजर, कानूनी उपबंधों की आवश्यकता है जिससे, 'रूप पर सार' के सिद्धांत को कूटकृत किया जाए जहां पक्षकारों के वास्तविक आशय और संव्यवहार के प्रभाव और व्यवस्था के प्रयोजन को, विधिक ढांचे जिसको वास्तविक आशय और प्रयोजन को छिपाने के लिए बाहर से अधिरोपित किया गया है, के बावजूद, गणना में लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रूप से अनेक देश कानूनी साधारण प्रति अपवंचन उपबंधों को लागू कर रहे हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि भारतीय कराधान विधि आक्रामक कर योजना बरतने के लिए कानूनी साधारण प्रति अपवंचन उपबंधों को लागू करें। कानूनी डीएएआर की आधारभूत आलोचना विश्वभर में यह हो रही है कि यह एक व्यापक विवेक उपलब्ध कराती है और कर प्रशासन के लिए एक प्राधिकारी जिसका कभी-कभी दुरुपयोग हो सकता है का उपबंध करती है। जीएएआर की विरचना करते समय इस महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य का ध्यान रखना आवश्यक है।

क. तदनुसार यह प्रस्तावित है कि आक्रामक कर योजना से बरतने के लिए आय-कर अधिनियम में साधारण प्रति अपवंचन नियम का उपबंध किया जाए। ऐसी व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं, --

(i) एक व्यवस्था जिसका मुख्य उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य कर लाभ प्राप्त करना है जो चार परीक्षणों में से व्यय से कम एक परीक्षण को भी पूरा करते हैं को "अननुज्ञेय अपवंचन प्रबंध" घोषित किया जा सकता है।

(ii) (i) में निर्दिष्ट चार परीक्षण इस प्रकार हैं --

(क) व्यवस्था अधिकार और बाध्यता का सृजन करती है जो सन्निकट बरतने वाले पक्षकारों के बीच सामान्यतः सृजित नहीं होते हैं।

(ख) इसका परिणाम कर विधियों के उपबंधों का दुरूपयोग और गलत उपयोग है।

(ग) इसमें वाणिज्यिक सार की कमी है या इसमें वाणिज्यिक सार की कमी मानी गई है।

(घ) यह ऐसी रीति में चलाई जाती है जो साधारणतया सद्भावपूर्वक प्रयोजनों के लिए नहीं चलाया जाता है।

(iii) यह समझा जाएगा कि कर लाभ अभिप्राप्त करना किसी व्यवस्था का मुख्य प्रयोजन है सिवद्य जब तक करदाता द्वारा अन्यथा साबित न किया जाए।

(iv) किसी व्यवस्था में वाणिज्यिक सार की कमी समझी जाएगी यदि--

(क) समस्त रूप से व्यवस्था का सार या प्रभाव उसके व्यष्टिक उपायों या किसी भाग से असंगत हैं या व्यापक रूप से भिन्न है; या

(ख) इसमें निम्नलिखित अंतर्वलित या सम्मिलित हैं --

(i) सर्वांगीण वित्तपोषण;

(ii) सहमत पक्षकार;

(iii) ऐसा तत्व जिनमें एक दूसरे को आफसेट या रद्द करने का प्रभाव है; या

(iv) कोई संव्यवहार जिसका संचालन एक या अधिक व्यक्तियों के माध्यम से किया जाता है और निधि के मूल्य, अवस्थिति, स्रोत, स्वामित्व या नियंत्रण को छिपाती है जो कि ऐसे संव्यवहार की विषय वस्तु है, या

(ग) इसमें किसी आस्ति की अवस्थिति या कोई संव्यवहार या किसी पक्षकार के निवास का स्थान, जो किसी सारवान वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए सिवाए किसी पक्षकार के लिए कर अभिलाभ अभिप्राप्त करने के, अंतर्वलित है।

(v) यह भी उपबंध किया गया है कि कतिपय परिस्थितियां जैसे व्यवस्था की विद्यमानता की अवधि, व्यवस्था की विद्यमानता की अवधि, व्यवस्था से उद्भूत कर, बहिर्गमन मार्ग व्यवस्था का वाणिज्यिक सार का अभाव परीक्षण करते समय गणना में नहीं लिया जाएगा।

(vi) व्यवस्था के अननुज्ञेय अपवंचन अभिनिर्धारित हो जाने की दशा में कर संधि के अधीन कर या लाभ के संबंध में व्यवस्था के परिणामों का अवधारण मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। तथापि, कुछ उपदर्शक उपाय इस प्रकार हैं :-

(क) व्यवस्था के किसी उपाय को अस्वीकार करना या सम्मिलित करना।

(ख) कराधान विधि के प्रयोजनों के लिए व्यवस्था की उपेक्षा करना।

(ग) व्यवस्था में किसी पक्षकार पर ध्यान न देना या सम्मिलित करना।

(घ) व्यवस्था में पक्षकारों के बीच व्ययों और आय का पुनःआबंटन।

(ङ) किसी पक्षकार के निवास स्थान, किसी अंतरण की अवस्थिति या व्यवस्था में उपबंधित स्थान से भिन्न किसी आस्ति का पुनः अवस्थापन।

(च) किसी निगमित ढांचे की अनदेखी करके व्यवस्था के माध्यम से विचार करना या देखना।

(छ) साम्य का ऋण में, पूंजी का राजस्व आदि में पुनः परिवर्तन।

(vii) इन उपबंधों का उपयोग अन्य प्रति अपवंचन उपबंधों या कर उत्तरदायित्व का अवधारण करने के उपबंधों, जिनका कराधान विधियों में उपबंध है के अतिरिक्त या के साथ सहबद्ध रूप से किया जा सकता है।

(viii) सीमा पार संव्यवहारों के प्रभावी अनुप्रयोग के लिए और संधि के दुरुपयोग का निवारण करने के लिए एक सीमित संधि अध्यारोहण का भी उपबंध किया गया है।

ख. जीएएआर लागू करने की प्रक्रिया का निम्नानुसार प्रस्ताव किया गया हैः-

(i) यह प्रस्तावित है कि निर्धारण अधिकारी जीएएआर लागू करने के लिए आयुक्त को निर्देश करेगा और निर्देश की प्राप्ति पर आयुक्त करदाता को सुनेगा और यदि वह करदाता के उत्तर से सहमत नहीं है और उसकी यह राय है कि जीएएआर उपबंधों को लागू किया जाना चाहिए, वह मामले को अनुमोदनकर्ता को निर्दिष्ट करेगा। निर्धारिती का आक्षेप या उत्तर न देने की दशा में आयुक्त यह अवधारित करेगा कि क्या व्यवस्था अननुज्ञेय अपवंचन व्यवस्था है या नहीं।

(ii) अननुमोदनकर्ता पैनल को उस मास के अंत से, जिसको आयुक्त से निर्देश प्राप्त होता है, हुआ था छह मास की अवधि के भीतर निर्देश का निपटान करना है।

(iii) अनुमोदनकर्ता पैनल किसी व्यवस्था को सामग्री की जांच करने के पश्चात् और अन्वेषण करने के पश्चात् या तो अननुज्ञेय व्यवस्था घोषित करेगा।

(iv) निर्धारण अधिकारी (एओ) अननुज्ञेय अपवंचन प्रबंध घोषित करने की सकारात्मक घोषणा के परिणामों को अवधारित करेगा।

(v) जीएएआर अवधारित करने के किसी परिणाम की दशा में अंतिम आदेश एओ द्वारा आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् ही पारित किया जाएगा और तत्पश्चात् ऐसे आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील, अपील अधिकरण को होगी।

(vi) आयुक्त और अनुमोदनकर्ता पेनल के समक्ष की कार्यवहियों द्वारा लगी अवधि को निर्धारण के पूरा होने संबंधी समय परिसीमा से अपवर्जित किया जाएगा।

(vii) अनुमोदनकर्ता पेनल का गठन बोर्ड द्वारा किया जाएगा और उसमें आयुक्त तथा उससे अपर के रैंक के अधिकारी होंगे। पेनल में न्यूनतम तीन साक्ष्य होंगे। कार्यकारी पेनल की प्रक्रिया का प्रशासन अधीनस्थ विधान के माध्यम से किया जाएगा।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, यह उपबंधित है कि कोई इस उपबंधों के लागू करने की शर्तों को तथा रीति को विनियमित करने की स्कीम विहित करेगा।

ये संशोधन, 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-17 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 31, खंड 32, खंड 42, खंड 59, खंड 60, खंड 63, खंड 65, खंड 89, खंड 90]

ञ. अन्य संशोधन

निर्धारणों और पुनर्निर्धारणों को पूरा करने के लिए समय का विस्तारण

निर्धारण और पुनर्निर्धारण को पूरा करने संबंधी समय का विस्तारण धारा 15 और धारा 153ख के विद्यमान उपबंधों में अन्य बातों के साथ-साथ निर्धारण अधिकारी द्वारा आय के निर्धारण और पुनर्निर्धारण के पूरा होने संबंधी समय-सीमा का उपबंध है। धारा 143(3), 147, 153क, 153ग आदि के अधीन निर्धारण

अथवा पुनर्निर्धारण के पूरा किए जाने संबंधी समय-सीमा का उपबंध किया गया है। इसके अतिरिक्त, इन समय-सीमाओं को विस्तरित किया जाता है यदि धारा 92गक के अधीन अंतरण मूल्यांकन अधिकारी को निर्धारण/पुनर्निर्धारण की कार्यवाहियों के दौरान निर्देश किया जाता है। ये समय-सीमाएं या तो उस वित्तीय वर्ष के अंत तक की है जिसमें कार्यवाहियों के आरंभ किए जाने की सूचना की तामील की जाती है या उस निर्धारण वर्ष के अंत से हैं जिससे निर्धारण की कार्यवाहियां संबंधित हैं।

पूर्वोक्त धाराओं अर्थात् धारा 153 और धारा 153ख को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारणों और पुनर्निधारणों को पूर्ण करने के लिए समय सीमाएं क्रमशः तीन मास बढ़ाई जाएंगी।

इन उपबंधों के अधीन लंबित कार्यवाहियों को और पश्चात्वर्ती कार्यवाहियों को पूरा करने संबंधी विद्यमान अवधि और नई विस्तारित अवधि निम्नानुसार हैः

समय परिसीमा

धारा के अधीन कार्यवाहियां	अनुज्ञात वर्तमान समय	प्रस्तावित अवधि
143	निर्धारण वर्ष के अंत से 24 मास	24 मास
143 और 92क	निर्धारण वर्ष के अंत से 35 मास	36 मास
148	इस निर्धारण वर्ष के अंत से, जिसमें सूचना जारी की गई है, 9 मास	12 मास
148 और 92गघ	उस निर्धारण वर्ष के अंत से, जिसमें सूचना जारी की गई है, 21 मास	24 मास
250 या 254 या 263	उस निर्धारण वर्ष के अंत से, जिसमें आदेश प्राप्त किया गया है, 9 मास	12 मास
250 या 254 या 263 या 92गक	उस निर्धारण वर्ष के अंत से, जिसमें आदेश प्राप्त किया गया है, 9 मास	24 मास

धन-कर अधिनियम की धारा 17क के उपबंधों में, निर्धारण/पुनर्निर्धारण की कार्यवाहियों को पूरा करने के संबंध में तीन मास तक समय-सीमा बढ़ाने के लिए, पारिणामिक संशोधन किए गए हैं।

ये संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होंगे।

[खंड 63, खंड 65 और खंड 111]

वाणिज्यिक प्राप्तियों के विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाने की दशा में पूर्व संगठन का निर्धारण

अधिनियम की धारा 11 और 12 में किसी पूर्व न्यास या संस्था की आय उस दशा में छूट प्राप्त है यदि ऐसी आय का उपयोग भारत में पूर्त प्रयोजनों के लिए किया जाता है और ऐसी संस्था अधिनियम की धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत है। आय-कर अधिनियम की धारा 10(23ग) में भी अनुमोदित पूर्व निधियों या संस्थाओं की बाबत छूट का उपबंध है।

अधिनियम की धारा 2(15) में पूर्त प्रयोजन की परिभाषा दी गई है। इसके अंतर्गत जनसाधारण की उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य को अग्रसर करना" भी पूर्त प्रयोजन के रूप में सम्मिलित है परन्तु यह तब जब कि इसमें व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप करना अतर्वलित न हो।

उक्त धारा का दूसरा परंतुक यह उपबंध करता है कि उस दशा में जहां किसी न्यास या संस्था के क्रियाकलाप जनसाधारण की उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य के संवर्धन की प्रकृति के हैं, और इसमें व्यापार, वाणिज्य या कारबार की प्रकृति का कोई क्रियाकलाप अंतवर्लित है; किन्तु वाणिज्यिक गतिविधियों से प्राप्तियों का सकल मूल्य पूर्व वर्ष में 25,00,000/- रुपये से अधिक नहीं है, तो ऐसी संस्था का प्रयोजन पूर्व माना जाएगा और तदनुसार, छूट का फायदा उसे उपलब्ध होगा।

इस प्रकार जन साधारण की उपयोगिता के उद्देश्य को अग्रसर करने में लगा कोई पूर्त न्यास या संस्था वाणिज्यिक क्रियाकलापों से प्राप्तियों के संकलित मूल्य पर निर्भर करते हुए एक वर्ष में पूर्व न्यास हो सकती है और दूसरे वर्ष में पूर्त न्यास नहीं हो सकता है।

अतः, विधि में अभिव्यक्त रूप से यह उपबंध करने की आवश्यकता है ऐसे किसी न्यास या संस्था को, जिसे धारा 2(15) का पहला परन्तुक किसी विशिष्ट पूर्ववर्ष के लिए लागू हो जाता है, कोई छूट पूर्व वर्ष के लिए उपलब्ध नहीं होगी।

इस प्रकार, एक वर्ष में इस अस्थाथी आधिक्य को न्याय या संस्था की उस प्रकृति के परिवर्तित करने वाला नहीं माना जा सकता जिससे ऐसे न्याय या संस्था की बाबत रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने या अनुमोदन को वापस लेने या जारी की गई अधिसूचना को विखंडित करने की कार्रवाई की जा सके।

अतः यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि यदि किसी न्यास या संस्था का प्रयोजन किसी पूर्व वर्ष में दूसरे परन्तुक में उपबंधित वाणिज्यिक प्राप्ति की सीमा मद्दे पहला परन्तुक लागू हो जाने के कारण पूर्त प्रयोजन नहीं रहता है, तो ऐसा न्यास या संस्था उस पूर्ववर्ष के लिए, जिसके संबंध में ऐसा परन्तुक लागू होता है, उसकी आय की बाबत छूट का फायदा जाने की हकदार नहीं होगी। छूट का ऐसा इनकार किया जाना विधि के प्रवर्तन द्वारा आज्ञापक होगा और अनुमोदन के वापस लिए जाने, रजिस्ट्रीकरण के रद्द किए जाने या अधिसूचना के विखंडित किए जाने पर निर्भर नहीं करेगा।

अतः नियम की धारा 10(23ग), धारा 13 और धारा 143 का यह सुनिशिचत करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि ऐसे संगठन को उस वर्ष में छूट का फायदा न मिल जिसमें उसकी वाणिज्यिक क्रियाकलापों से सीमा से अधिक हो जाती हैं चाहे ऐसा रजिस्ट्रीकरण रद्द, अनुमोदन वापस या अधिसूचना विखंडित की गई हो अथवा नहीं।

प्रस्तावित है कि यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2009-10 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 5, खंड 6, खंड 58]

अंतरराष्ट्रीय सव्यवहारों की दशा में संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख

आयकर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अनुसार धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट निर्धारण वर्ष के 30 सितंबर तक प्रस्तुत करना अपेक्षित है। धारा 139 का उन निगमित निर्धारितियों द्वारा जिन्होंने अंतराष्ट्रीय सव्यवहार किए हुए है विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तारीख निर्धारण वर्ष की 30 सितबंर से बढ़ाकर 30 नवंबर करने के लिए वित्त अधिनियम, 2011 द्वारा संशोधन किया गया था ।

अधिनियम की धारा 44कख के अधीन संपरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने कि नियत तारीख और अधिनियम की धारा 139 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की विनिर्दिष्ट की गई सदत तारीख को समरूप बनाने की दृष्टि से यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि धारा 44कख के अधीन कर की संपरीक्षा (रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तारीख धारा 139 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की विनिर्दिष्ट की गई नियत तारीख एक समान होंगी।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2012-13 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 13]

उपधारणात्मक कराधान का वृत्तियों आदि को लागू न होना

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 द्वारा आय-कर अधिनियम की धारा 44कघ को 1 अप्रैल, 2011 से लघु कारबारों के लिए उपधारणात्मक स्कीम का उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित किया गया था। इस स्कीम के अधीन कुल आवर्त या सकल प्राप्तियों के आठ प्रतिशत के बराबर राशि को कारबार से लाभ और अभिलाभ समझा जाता है। यह धारणात्मक स्कीम केवल उस व्यक्ति को लागू होती है जो माल कहन को चलाने, किराए पर देने या पट्टे पर देने के कारवार के सिवाय कोई कारबार कर रहा है और जिसका आवर्त अथवा सकल प्राप्ति साठ लाख रुपए से कम है।

यह स्पष्ट करने के लिए कि यह उपधारणात्मक स्कीम-(i) धारा 44कक की उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट किसी वृत्ति को करने वाले किसी व्यक्ति (ii) कमीशन या दलाली की प्रकृति की आय अर्जित करने वाले किसी व्यक्ति; या (iii) किसी अभिकरण कारबार को करने वाले किसी व्यक्ति; या (iii) किसी अभिकरण कारबार को करने वाले किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, धारा 44कघ का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2011 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2012-13 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 14]

न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी)

I. अधिनियम की धारा 115 ञख के विद्यमान उपबंधों के अधीन, कंपनी अपने बही लाभ के साढ़े अठारह प्रतिशत न्यूनतम वैकल्पिक कर का संदाय करने की दायी है यदि अधिनियम के उपबंधों के अधीन संगणित कुल आय पर कर एमएटी दायित्व से कम है। इस प्रयोजन के लिए बही लाभ कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 के अनुसार कंपनी द्वारा तैयार किए गए लाभ-हानि लेखा में प्रकट लाभ में कोई समायोजन करके संगणित किया जाता है।

धारा 115ञख के अनुसार, प्रत्येक कंपनी से कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 के अनुसार अपने लेखे तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। तथापि, कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार कतिपय कंपनियं जैसे बीमा, बैंककारी या विद्युत कंपनी, को उनके विनियामक अधिनियम में विनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार अपने लाभ और हानि लेखा तैयार करने हेतु अनुज्ञात किया जाता है। आय-कर अधिनियम के उपबंधों को कंपनी अधिनियम, 1956 के साथ समरूप बनाने के लिए, धारा 115ञख को यह उपबंध करने के लिए संशोधित करने का प्रस्ताव है कि वे कंपनियां जिनसे कंपनी अधिनियम की धारा 211 के अधीन कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसूची 6 के अनुसार अपना लाभ और हानि लेखा तैयार करना अपेक्षित नहीं है, उनके विनियामक अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार तैयार लाभ-हानि लेखा धारा 115ञख के अधीन बही लाभ की संगणना करने के लिए आधार के रूप में लिया जाएगा।

II. यह जानकारी में आया है कि कतिपय मामलों में पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति में रखी रकम पुनर्मूल्यांकित आस्ति के निपटान पर सीधे साधारण आरक्षिति में ले ली जाती है। अतः आस्ति के पुनर्मूल्यांकन में योगदायी अभिलाभ न्यूनतम वैकल्पिक कर दायित्व के अध्यधीन नहीं है।

इसलिए, धारा 115ञख का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि धारा 115ञख के प्रयोजन के लिए बही लाभ पुनर्मूल्यांकित आस्ति से संबंधित पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति में रखी रकम से बढ़ाई जाएगी जो निवृत्त या निपटान हो गई है, यदि वह लाभ-हानि लेखे में जमा नहीं दी जाती है।

III. कंपनी अधिनियम, 1956 की पुनरीक्षित अनुसूची 6 के अधीन भाग 3 के निरसन को दृष्टिगत रखते हुए धारा 115 ञख से कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसची 6 के भाग 3 के निर्देश के निरसन का भी प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होंगे, और तद्‌नुसार निर्धारण वर्ष 2013-14 तथा पश्चात्‌वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे

[खंड 46]

कर की कटौती न होने की दशा में कर के अग्रिम संदाय का दायित्व

आयकर अधिनियम की धारा 209 के विद्यमान उपबंधों के अधीन संदेय अग्रिम कर की रकम, आय-कर की रकम को घटाकर संगणित जाती है, जो प्राक्कलित आय पर आय-कर से वित्तीय वर्ष के दौरान कटौती योग्य या संग्रहणीय होगी। इसलिए, उन दशाओं में जहां निर्धारिती कर की कटौती या संग्रह के बिना कोई रकम प्राप्त या उसका संदाय करता है (जिस पर कर कटौती योग्य या संग्रहणीय था), न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि वह उस सीमा तक अग्रिम कर के संदाय हेतु दायी नहीं था जहां तक ऐसी रकम से कर कटौती योग्य या संग्रहणीय था।

निर्धारिती को ऐसी आय, जो कर की कटौती या संग्रहण के बिना प्राप्त या संदत्त हुई है, के संबंध में अग्रिम कर के संदाय हेतु दायी बनाने के लिए यह संशोधन करने हेतु उपरोक्त धारा के संशोधन का प्रस्ताव है कि जहां किसी व्यक्ति को कर की कटौती या संग्रहण के बिना कोई आय प्राप्त हुई है, वहां वह ऐसी आय के संबंध में अग्रिम कर के संदाय का दायी होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से प्रभावी होगा तथा तदनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 और पश्चात्‌वर्ती वित्तीय वर्षों के लिए संदेय अग्रिम कर के संबंध में लागू होगा।

[खंड 81]

धन-कर से छूट-भारतीय रिजर्व बैंक

धन-कर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन, धन-कर व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब और कंपनी पर उद्‌गृहीत होता है। अधिनियम के अधिन कंपनी की परिभाषा में केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अधीन या उसके द्वारा स्थापित निगम सम्मिलित है। इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), केंद्रीय अधिनियम के अधीन स्थापित निगम, धन-कर के उद्‌ग्रहण के प्रयोजन के लिए कंपनी समझा जाएगा और धन-कर के संदाय का दायी होगा। तथापि, न तो धन-कर अधिनियम और ना ही भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 में धन-कर के उद्‌ग्रहण से आरबीआई को छूट देने के लिए कोई उपबंध नहीं है।

यह उपबंध करने के लिए धन-कर का संदाय करने के लिए आरबीआई दायी नहीं है, अधिनियम की धारा 45 का संशोधन प्रस्तावित है कि आरबीआईबी के सकल धन पर धन-कर उद्‌गृहीत नहीं किया जाएगा।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 1957 से प्रभावी होगा और तद्‌नुसार निर्धारण वर्ष 1957-58 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 112]

आयुक्त की परिभाषा में निदेशक सम्मिलित है

आयकर अधिनियम की धारा 116 विभिन्न आय-कर प्राधिकारियों को सूचीबद्ध करती है। इस धारा के खंड(ग) में आय-कर निदेशक या आय-कर आयुक्त या आय-कर आयुक्त (अपील) को आय-कर प्राधिकारी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अधिनियम की धारा 117(1) के अधीन, केन्द्रीय सरकार ऐसे व्यक्तियों को आय-कर प्राधिकारी नियुक्त करती है। धारा 117 के अधीन आयुक्त का पद तथा आय-कर निदेशक का पद अंतर-परिवर्तनीय है।

इसलिए, धारा 2 के उपबंधों को धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आयुक्त की परिभाषा में आय-कर निदेशक को सम्मिलित करने के लिए संशोधित करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 1988 से प्रभावी होगा और तद्‌नुसार निर्धारण वर्ष 1988-89 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 3]

कतिपय अंतरणों की दशा में अर्जन की लागत

जहां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को शास्ति का अंतरण धारा 47 के अधीन अंतरण नहीं माना जाता, वहां पूंजी अभिलाभों की गणना के प्रयोजन के लिए, धारा 49 के अधीन उत्तराधिकारी के हाथों में आस्ति की लागत पूर्ववर्ती की लागत के रूप में ली जाती है। कतिपय संव्यवहार जैसे पूर्ण स्वामित्व या फर्म या कंपनी द्वारा आस्तियों का अंतरण, संपरिवर्तन पर धारा 47(*xiv)* और धारा 47 (xiii) के उपबधों के अधीन अंतरण नहीं माने जाते। कंपनी द्वारा ऐसी आस्ति के के पश्चात्‌वर्ती विक्रय पर पूंजी अभिलाभों की गणना करने में, ऐसी आस्तियों के लिए ली जाने वाली लागत को ध्यान में रखते हुए धारा 49 के उपबंधों में कोई निर्देश नहीं है।

तदनुसार, आय-कर अधिनियम की धारा 49 के उपबंधों को यह उपबंधित करने के लिए संशोधित करने का प्रस्ताव है कि पूर्ण स्वामित्व या फर्म के कंपनी में संपरिवर्तन की दशा में, जिसे अंतरण नहीं माना जाता, कंपनी के हाथों में आस्ति के अर्जन की लागत वही होगी जो, यथास्थिति, पूर्ण स्वामित्व समुत्थान या फर्म के हाथों में है।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 1999 से प्रभावी होगा और तद्‌नुसार निर्धारण वर्ष 1999-2000 तथा पश्चात्‌वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 16]

हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा कृषि भूमि के विक्रय से पूंजी अभिलाभ कर

भूमि के अंतरण पर पूंजी अभिलाभ, जो पूर्ववर्ती वर्ष के दो वर्षों में, जिसमें इसे विक्रय किया गया है, किसी निर्धारिती या उसके माता-पिता द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिए उपयोग किया गया है, छूट प्राप्त है यदि संपूर्ण पूंजी अभिलाभ को अगले दो वर्षों में कृषि भूमि के क्रय में पुनः विनिधान किया जाता है। अब यह प्रस्ताव है कि यह लाभ हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब को भी प्रदान किया जाए।

तदनुसार, आय-कर अधिनियम की धारा 54ख के उपबंधों को यह उपबंधित करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि रोलओवर अनुतोष उपलब्ध है यदि किसी व्यष्टि या उसके माता-पिता या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-14 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगग

[खंड 18]

मूल्यांकन अधिकारी को प्रतिनिर्देश

धारा 55 क के उपबंधों के अधीन, जहां निर्धारण अधिकारी की राय में, निर्धारिती द्वारा दावा किया गया है आस्ति का मूल्य उसके बाजार मूल्य से कम है तो वह उस पूंजी आस्तित का मूल्यांकन, मूल्यांकन-अधिकारी को प्रतिनिर्दिष्ट कर सकेगा। धारा 55 के अधीन ऐसे किसी मामले में, जहां पूंजी आस्ति 1.4.1981 से पूर्व निर्धारिती की संपति बन गई थी, वहां निर्धारिती के पास 1 अप्रैल, 1981 को यथा विद्यमान आस्ति के उचित बाजार मूल्य को आस्ति की लागत के रूप में प्रतिस्थापित करने का विकल्प है। ऐसे किसी मामले में, 1 अप्रैल, 1981 को यथा विद्यमान उचित बाजार मूल्य के रूप में आस्ति की लागत के लियए उच्चतर मूल्य को अंगीकृत करने के परिणामस्वरूप कर के लिए पूंजी अभिलाभ की निम्नतर रकम उपलब्ध होगी।

तदनुसार, यह प्रस्ताव है कि आयकर अधिनियम की धारा 55क के उपबंधों का संशोधन किया जाए, जिससे निर्धारण अधिकारी ऐसे मामलों में जहां उसकी राय में निर्दारिती द्वारा घोषित मूल्य उचित बाजार मूल्य से कम है, मूल्यांकन अधिकारी को प्रतिनिर्देश करने में समर्थ हो सके। अतः ऐसे मामले में, जहां निर्धारण अधिकारी की राय में निर्धारिती द्वारा 1.4.1981 को लिया गया मूल्य उस तारीख को आस्ति के उचित बाजार मूल्य से अधिक है , वहां निर्धारण अधिकारी संपति के उचित बाजार मूल्य के अवधारण के लिए मूल्यांकन अधिकारी को प्रतिनिर्देश करने में समर्थ होगा।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा

[खंड 20]

धारा 111क के अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ के लिए कर की दर

धारा 111क के उपबंधों के अधीन, किसी साम्या उन्मुखी निधि की युनिटों या किसी कंपनी में साम्या शेयरों की दशा में, जिनपर प्रतिभूति संव्यवहार कर (एसटीटी) का संदाय किया गया है, अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों पर कर का उदग्रहण 15% की दर पर किया जाएगा। इस दर को 1.4.2008 से वित्त विधेयक, 2008 के द्वारा 10% से बढ़ाकर 15% किया गया था। तथापि, इस धारा के परंतुक में, अनुतोष उपलब्ध कराते समय, अल्पकालिक पूंजी अभिलाभ कर की दर को अभी तक 10% के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, जिसे सही करके 15% करना आवश्यक है।

तदनुसार यह प्रस्ताव है कि आयकर अधिनियम की धारा 111क के परंतुक के उपबंधों का संशोधन किया जाए।

यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से 1 अप्रैल, 2009 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष, 2009-10 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 41]

समामेलन और अविलयन के मामलों में पूंजी अभिलाभ

(i) धारा 47 (vii) के उपबंधों के अधीन किसी शेयरधारक द्वारा समामेलन की किसी स्कीम में ऐसी पूंजी आस्ति के जो समामेलक कंपनी में उसके द्वारा पारित शेयर या शेयरों के रूप में है, अंतरण को अंतरण के रूप में नहीं माना जाएगा यदि,

(क) ऐसा अंतरण समामेलित कंपनी में उसे किसी शेयर या शेयरों के आबंटन के प्रतिफलस्वरूप किया गया है, और

(ख) समामेलित कंपनी एक भारतीय कंपनी है।

उस दशा में, जहां कोई अनुषंगी कंपनी धृति कंपनी में समामेलित होती है, वहां ऊपर (क) की शर्त, अर्थात समामेलित कंपनी (धृति कंपनी) समामेलक कंपनी (अनुषंगी कंपनी) के शेयरधारकों को शेयर जारी करती है, को पूरा करना संभव नहीं है, क्योंकि धृति कंपनी स्वयं ही अनुषंगी कंपनी की शेयरधारक है और स्वयं को शेयर जारी नहीं कर सकती। अतः, यह प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 47(vii) के उपबंधों का संशोधन किया जाए, जिससे वहां शेयरधारक को शेयर जारी करने की अपेक्षा को समाप्त किया जा सके जहां ऐसा शेयरधारक स्वयं समामेलित कंपनी है। तथापि, समामेलित कंपनी से यह अपेक्षा बनी रहेगी कि वह समामेलित कंपनी के अन्य शेयरधारकों को शेयर जारी करे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण 2013-14 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 15]

(ii) इसी प्रकार, अविलयन की दशा में, धारा 2(19कक)(iv) के अधीन यह अपेक्षा है कि परिणामिक कंपनी को आनुपातिक आधार पर अविलयित कंपनी के शेयरधारकों को शेयर जारी करें। तथापि, इस शर्त को वहां पूरा करना संभव नहीं है, जहां अविलयित कंपनी अनुषंगी कंपनी है और परिणामिक कंपनी धृति कंपनी है।

अतः, धारा 2(19कक) के उपबंधों के संशोधन का प्रस्ताव है जिससे वहां शेयर जारी करने की अपेक्षा को समाप्त किया जा सके, जहां पारिणामिक कंपनी स्वयं अविलयित कंपनी की शेयरधारक है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-14 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 3

कतिपय मामलों में उचित बाजार मूल्य का प्रतिफल का पूर्ण मूल्य होना

किसी आस्ति के अंतरण पर पूंजी अभिलाभों की संगणना विक्रय प्रतिफल के रूप में की जाती है, जिसमें से अर्जन की लागत को घटा दिया जाता है। हाल ही के कुछ विनिर्णयों में, यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां किसी आस्ति के अंतरण के संबंद्ध में प्रतिफल, आयकर अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन अवधारण योग्य नहीं है, वहां चूंकि मशीनरी उपबंध असफल रहे है इसलिए ऐसी आस्तियों का अंतरण कराधेय नहीं है।

अतः यह प्रस्ताव है कि जहां किसी अंतरण के मामले में, पूंजी आस्ति (आस्तियों) के अंतरण के लिए प्रतिफल आरोप्य या अवधारणीय नहीं है वहां अभिलाभ के रूप में कर से प्रभार्य आय की संगणना के प्रयोजन के लिए आस्ति के उचित बाजार मूल्य को प्रतिफल के पूर्ण उचित बाजार मूल्य को गणना में लिया जाएगा।

तदनुसार, आयकर अधिनियम में एक नया उपबंध (धारा 50घ) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि आस्ति के उचित बाजार मूल्य को प्रतिफल का पूर्ण मूल्य समझा जाएगा, यदि वास्तविक प्रतिफल आरोप्य या अवधारणीय नहीं है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-14 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के सबंध में लागू होगा

[खंड 17]

किसी हिन्दु अविभक्त कुटुंब (एचयूएफ) को उसके सदस्यों से प्राप्त किसी राशि या संपत्ति को छूट

धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (vii) के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी व्यष्टि या एचयूएफ द्वारा अपर्याप्त प्रतिफल या बिना प्रतिफल के प्राप्त किसी राशि या संपत्ति को आय के रूप में समझा जाता है और उस पर "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन कर प्रभारित किया जाता है। तथापि, किसी व्यष्टि की दशा में नातेदारों से प्राप्तियों को इस धारा की परिधि से अपवर्जित किया गया है और इसलिए उन्हें कराधेय के रूप में नहीं माना जाता। इस उपखंड में दी गई नातेदार की परिभाषा केवल व्यष्टि के संबंध में है, न कि एचयूएफ के संबंध में।

अतः धारा 56 के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब द्वारा उसके सदस्यों से बिना प्रतिफल या अपर्याप्त प्रतिफल के साथ प्राप्त किसी राशि या सम्पत्ति को कराधान से अपवर्जित किया जाएगा।

यह संशोधन 1 अक्तूबर, 2009 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

[खंड 21]

जहां संवीक्षा सूचना जारी की गई है, वहां आय की विवरणी पर कार्यवाही

विद्यमान उपबंधों के अधीन, आय की प्रत्येक विवरणी पर धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही की जाती है और प्रतिदायी, यदि कोई शोध्य हो, करदाता को जारी किया जाता है। आय की कुछ विवरणियों को संवीक्षा के लिए चुना जाता है, जिसके परिणामस्वरूप करों की मांग उठाई जा सकती है, यद्यपि पूर्व में कार्यवाही के समय प्रतिदाय जारी किए जा चुके हों।

अंतः यह प्रस्ताव है कि यह उपबंध करने के लिए आयकर अधिनियम के उपबंधों का संशोधन किया जाए कि उस दशा में विवरणी पर कार्यवाही अनिवार्य नहीं होगी, जहां धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन विवरणी की संवीक्षा के लिए सूचना पहले जारी कर दी गई है।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा।

[खंड 58]

ऐसे मामलों में, जहां पिछले छह वर्षों को अनिवार्य रूप से पुनःखोलना अपेक्षित नहीं है, तलाशी के वर्ग की अधिसूचना

आयकर अधिनियम की धारा 153क के विद्यमान उपबंधों के अधीन, यह आज्ञापक है कि उस पूर्व वर्ष से, जिसमें धारा 132 के अधीन तलाशी ली गई है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई है, सुसंगत निर्धारण वर्ष से ठीक पूर्व 6 निर्धारण वर्षो के लिए विवरणियां फाइल करने की सूचना जारी की जाए।

यह प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 153क और धारा 153ग के उपबंधों का संशोधन किया जाए जिससे केन्द्रीय सरकार को मामलों या मामलों के वर्ग को अधिसूचित करने में सशक्त किया जा सके, जिनमें निर्धारण अधिकारी पूर्ववर्ती 6 निर्धारण वर्षो के लिए कार्यवाही आरंभ करने हेतु सूचना जारी नहीं करेगा। तथापि, मामलों के ऐसे वर्ग में ऐसे पूर्ववर्ष से, जिसमें तलाशी ली गई है या अध्यपेक्षा की गई है, सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए निर्धारण कार्यवाहियां पूरी करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। इसका परिणाम यह होगा कि निर्धारण कार्यवाहियां केवल उस पूर्व वर्ष से, जिसमें तलाशी ली या अध्यपेक्षा की गई है, सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए प्रारंभ की जाएंगी।

अधिनियम की धारा 296 के उपबंधों में परिणामिक संशोधन करने का भी प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा।

[खंड 64, खंड 66 और खंड 108]

पूर्व में मंजूर प्रतिदाय की वसूली पर ब्याज का प्रभारण

आयकर अधिनियम की धारा 234घ (वित्त अधिनियम, 2003 द्वारा 1.6.2003 से अंतःस्थापित) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंधित है कि जहां धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन कोई प्रतिदाय निर्धारिती को मंजूर किया जाता है और नियमित निर्धारण पर कोई प्रतिदाय देय नहीं है; या धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन प्रतिदाय की गई रकम नियमित निर्धारण पर प्रतिदेय रकम से अधिक है, वहां निर्धारिती प्रत्येक मास या प्रतिदाय की मंजूरी की तारीख से ऐसे नियमित निर्धारण की तारीख तक की अवधि में समाविष्ट किसी मास के भाग के लिए इस प्रकार प्रतिदाय की गई संपूर्ण या अधिक रकम पर आधा प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा।

न्यायालय के हाल ही के निर्णय मे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 1.6.2003 से अंतःस्थापित धारा 234घ के उपबंध केवल निर्धारण वर्ष 2004-05 से प्रभावी होंगे और तदनुसार पूर्वत्तर निर्धारण वर्षों के लिए कोई ब्याज प्रभारित नहीं किया जा सकता, यद्यपि ऐसे वर्षों के लिए नियमित निर्धारण 1 जून, 2003 के पश्चात् आरंभ किया गया था और उन वर्षों के लिए प्रतिदाय उक्त तारीख के पश्चात् किया गया था।

यह उपबंध के विधायी आशय के अनुरुप नहीं है।

अतः यह स्पष्ट करने का प्रस्ताव किया जाता है कि धारा 234घ के उपबंध, उस निर्धारण वर्ष, जिससे वे संबंधित हैं, पर ध्यान न देते हुए, ऐसी किसी कार्यवाही को लागू होंगे जे 1.6.2003 को या उसके पश्चात् पूरी हुई है।

यह संशोधन भूतलक्षी प्रभाव से 1 जून, 2003 से प्रभावी होगा।

[खंड 85]

समझौता आयोग के समक्ष आवेदन करने के प्रयोजन के लिए संबद्ध व्यक्ति

वर्तमान में, आयकर अधिनियम की धारा 245ग के उपबंधों के अधीन समझौता आयोग के समक्ष आवेदन फाइल किया जा सकता है।

वर्तमान में संबद्ध व्यक्ति के लिए "सारवान हित तब विद्यमान पाया जाता है, जहां कोई व्यक्ति पूर्व वर्ष के दौरान किसी भी समय 20% से अधिक शेयर या लाभ में 20% से अधिक शेयर धारण करता है", परिभाषा का उपयोग किया जा रहा है। यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि सारवान हित "पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय" के स्थान पर "तलाशी की तारीख" को विद्यमान होना चाहिए, जब अनेक पूर्व वर्षों के लिए आयोग के समक्ष कार्यवाहियां फाइल की जाती हैं।

तदनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 245ग के उपबंधों के संशोधन का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी व्यक्ति का कारबार या वृत्ति में तब सारवान हित माना जाएगा यदि ऐसा व्यक्ति तलाशी की तारीख को शेयरों के 20 प्रतिशत से अनधिक या लाभों के 20% से अधिक शेयरों का फायदाग्राही स्वामी है।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा।

[खंड 87]

अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (एएआर) के समक्ष आवेदन फाइल करने के लिए फीस

आय-कर अधिनियम की धारा 245थ के अधीन, अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण के समक्ष आवेदन फाइल करने के लिए फीस 2500 रुपए है। यह फीस 1993 में विहित की गई थी जब अग्रिम विनिर्णय के लिए पहली बार उपबंध किए गए और तत्पश्चात् कोई परिवर्तन/पुनर्विलोकन नहीं किया गया।

अंतः धारा 245थ के उपबंधों को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन फाइल करने हेतु फीस 2500 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए या ऐसी फीस जो विहित की जाए, जो उच्चतर हो, करने का उपबंध किया जा सके।

यह संशोधन 1 जुलाई, 2012 से प्रभावी होगा और तद्नुसार 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात् अग्रिम विनिर्णय के लिए फाइल किसी आवेदन को लागू होगा।

[खंड 88]

तलाशी के मामलों में प्राधिकरण या अध्यापेक्षा और पश्चातवर्ती निर्धारण

धारा 132 और, धारा 132क के विद्यमान उपबंधों के अधीन जहां यथास्थिति, महानिदेशक या निदेशक के पास उसके पास सूचना के परिणामस्वरूप यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई धन, बुलियन, आभूषण या कोई मूल्यवान वस्तु या चीज है (जिसे इसमें इसके पश्चात् अप्रकटित तआय या संपत्ति कहा गया है) तब वह किसी अपर निदेशक या उप निदेश आदि को किसी भवन, स्थान, यान आदि में प्रवेश करने और तलाशी करने के लिए और ऐसी लेखा बहियों, अन्य दस्तावेजों, अप्रकटित संपत्ति, आदि का अभिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

जहां कोई तलाशी धारा 132 के अधीन संस्थित की जाती है या अध्यापेक्षा धारा 132क के अधीन की जाती है, वहां निर्धारण को धारा 153क या धारा 153ग आदि (यदि तलाशी 31 मार्च, 2003 से पूर्व थी तो अधिनियम के अध्याय 15-ख के अधीन) के अधीन पूरी की जाती है।

हाल ही के न्यायालय के एक विनिश्चय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधिनियम की धारा 132 के अधीन प्राधिकार वारंट के आधार पर उद्भूत होने वाली तलाशी के मामलों में प्राधिकार का वारंट व्यष्टिक रूप से जारी किया गया हो और यदि यह व्यष्टिक रूप से जारी नहीं किया गया है तो व्यष्टिक क्षमता में निर्धारण नहीं किया जा सकता है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि प्राधिकार संयुक्त रूप से जारी किया गया था, निर्धारण संयुक्त रूप से व्यक्तियों को संगम/व्यंष्टिक निकाय की प्रास्थिति के सभी व्यक्तियों के नाम से ही किया जाएगा।

यह विनिश्चय विधायी आशय के अनुसार नहीं है।

तदनुसार, आय-कर अधिनियम में नई धारा 292गग अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि-

(i) धारा 132 के अधीन प्राधिकार जारी करना या प्रत्येक व्यक्ति के नाम धारा 132क के अधीन पृथक अध्यापेक्षा करना आवश्यक नहीं होगा।

(ii) जब धारा 132 के अधीन कोई प्राधिकार जारी किया जाता है या धारा 132क के अधीन अध्यापेक्षा की गई है जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों के नाम वर्णित हैं, ऐसे प्राधिकार या अध्यापेक्षा पर एक व्यक्ति से अधिक के नामों का वर्णन से यह नहीं माना जाएगा कि वह ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले किसी व्यक्तियों के संगम या व्यष्टिक निकाय के नाम से जारी किया गया था।

(iii) इस बात के होते हुए भी कि धारा 132 के अधीन कोई प्राधिकार या धारा 132क के अधीन अध्यापेक्षा की गई है जिसमें एक से अधिक व्यक्तियों के नाम वर्णित हैं, निर्धारण या पुनः निर्धारण पृथक रूप से ऐसे प्राधिकार या अध्यापेक्षा में वर्णित प्रत्येक व्यक्ति के नाम से पृथक रूप से की जाएगी।

यह संशोधन भूतलक्षी रुप से 1 अप्रैल, 1976 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1976-77 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 107]

दस हजार रुपये अधिक के नकद संदानों का प्रतिषेध

आय-कर अधिनियम की धारा 80घ विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए कतिप निधियों, पूर्त संस्थाओं आदि में संदानों की बाबत कटौती के लिए उपबंध करती है। किसी संदान, जो धनराशि है, की बाबत कटौती अनुज्ञात की जाती है। इसी प्रकार आयकर अधिनियम की धारा 80छछक विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए शोध संगमों, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों या अन्य संगमों/संस्थाओं के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए कतिपय संदानों की बाबत कटौती के लिए उपबंध करती है।

इस समय, धन के संदाय की पद्धति को विनिर्दिष्ट करने वाली पूर्वोक्त धाराओं में से किसी भी धारा में कोई उपबंध नहीं है। अतः धारा 80छ और धारा 80छछक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उनमें यह विनिर्दिष्ट किया जा सके कि दस हजार रूपए की राशि से अधिक के किसी संदाय को केवल कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा यदि ऐसी राशि का संदाय नकद से भिन्न किसी पद्धति द्वारा किया जा सकता है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होंगे और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2013-14 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 27, खंड 28]

जीवन बीमा पालिसियों को छूट दने के लिए पात्रता शर्तें

आय-कर अधिनियम की धारा 10(10घ) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, जीवन बीमा पालिसी के अधीन प्राप्त कोई राशि, जिसमें ऐसी पालिसी पर बोनस के रूप में आबंटित कोई राशि भी है, छूट प्राप्त है। इस प्रयोजन के लिए, यह आवश्यक है कि किन्हीं वर्षों के लिए संदेय प्रीमियम वास्तविक बीमा पूंजी राशि के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

वास्तविक बीमा पूंजी राशि के 20 प्रतिशत प्रीमियम की अवसीमा को घटाकर वास्तविक पूंजी राशि का 10% करने का प्रस्ताव है। तदनुसार, धारा 10(10घ) को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् जारी बीमा पालिसियों के लिए छूट केवल उन पालिसियों हेतु उपलब्ध होगी जहां पालिसी की अवधि के दौरान किन्हीं वर्षों के लिए संदेय प्रीमियम वास्तविक बीमा पूंजी राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है।

इसके अतिरिक्त, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीवन बीमा उत्पाद वर्षानुवर्ष बीमित पूंजी राशि को परिवर्तित करके विहित सीमाओं की प्रवंचना करने के लिए अभिकल्पित न किए जाएं, यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि बीमित पूंजी राशि पालिसी के किन्हीं वर्षों के दौरान बीमित राशि का न्यूनतम होगी। इसे प्रभावी करने के लिए धारा 80ग(3क) के स्पष्टीकरण के अधीन एक नई परिभाषा "वास्तविक बीमां पूंजी राशि" निर्दिष्ट करके एक नया स्पष्टकरण 2 अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है। यह स्पष्टीकरण 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् जारी बीमा पालिसियों को लागू होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2013-14 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 5]

जीवन बीमा पालिसियों के संबंध में कटौती के लिए पात्रता शर्तें

आय-कर अधिनियम-की धारा 80ग यह उपबंध करती है कि निर्धारिती व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब की कुल आय की गणना करने में, एक लाख रुपये तक की कटौती के लिए जीवन बीमा प्रीमियम, किसी भविष्य निधि में अभिदाय, ट्यूशन फीस, आवासीय प्रयोजनों के लिए भारत में गृहों के वित्तपोषण, संनिर्माण या क्रय में लगी हुई पब्लिक सेक्टर कंपनी की किसी निक्षेप स्कीम में अभिदाय, किसी अधिसूचित बैंक में पांच वर्ष से अन्यून नियत अवधि निक्षेप, आदि अनुज्ञात है।

धारा 80ग(3) में अंतर्विष्ट विद्यमान उपबंध यह उपबंधित करते हैं कि जीवन बीमा प्रीमियम के लिए कटौती बीमा पालिसी किए गए उतने प्रीमियम या अन्य संदाय के लिए अनुज्ञात होगी जितना वास्तविक बीमा पूंजी राशि के 10 प्रतिशत से अनधिक संदेय प्रीमियम है।

इन उपबंधों को यह उपबंधित करने के लिए संशोधित करने का प्रस्ताव है कि 1 अप्रैल, 2012 को या उसके पश्चात् जारी बीमा पालिसियों के संबंध में जीवन बीमा प्रीमियम के लिए कटौती बीमा पालिसी पर किए गए इतने प्रीमियम के लिए अनुज्ञात होगी जितना वास्तविक बीमा पूँजी राशि के 10 प्रतिशत से अधिक संदेय प्रीमियम है।

"वास्तविक बीमा पूंजी राशि" की परिभाषा अंतः स्थापित करन का भी प्रस्तावित है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी जीवन बीमा पालिसी के संबंध में वास्तविक बीमा पूंजी राशि से पालिसी की अवधि के दौरान- (i) वापस करने के लिए करार पाए गए किन्हीं प्रीमियमों के मूल्य को; या (ii) वास्तविक बीमा राशि से अधिक के बोनस के रूप में या अन्यथा किसी फायदे को, जो किसी व्यक्ति द्वारा पालिसी के अधीन प्राप्त किया जाना है या प्राप्त किया जाए, हिसाब में न लेते हुए, किसी समय बीमाकृत घटना के घटित होने पर पालिसी के अधीन न्यूनतम बीमा रकम अभिप्रेत होगी। यह संशोधन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित है कि जीवन बीमा उत्पाद वर्ष प्रति वर्ष बीमा पूंजी राशि को परिवर्तित कर विहित सीमाओं की प्रवंचना करने के लिए अभिकल्पित न किए जाएं। इस परिभाषा का धारा 10(10घ) के प्रस्तावित स्पष्टीकरण 2 में निर्दिष्ट किया जाना प्रस्तावित है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगे और तद्नुसार निर्धारण वर्ष 2013-14 तथा पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 24]

सीमाशुल्क

टिप्पण: (क) "सीमाशुल्क" से सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अधीन उद्गृहीत सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

(ख) "सीवीडी" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उद्ग्रहीत अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

(ग) "एसएडी" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उद्ग्रहीत विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है। जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, परिवर्तन तुरंत प्रभावी होंगे।

(घ) "निर्यात शुल्क" से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट मालों पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क अभिप्रेत है।

(ङ) वर्गाकार कोष्ठकों में खंड संख्या वित्त विधेयक के सुसंगत खंड को उपदर्शित करती है।

वित्त विधेयक, 2012 के माध्यम से किए गए संशोधन जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, उसके अधिनियमन की तारीख से प्रभावी होंगे।

सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन

1) वायु भाड़ा स्टेशनों को, "सीमाशुल्क विमानपत्तन" की परिभाषा में शामिल करने के लिए धारा 2 के खंड (1) का संशोधन किया जा रहा है। *[खंड 114]*

2) "वायु भाड़ा स्टेशनों" को शामिल करने के लिए धारा 7 के खंड (कक) का संशोधन किया जा रहा है। *[खंड 115]*

यह संशोधन अन्तर्देशीय आधान डिपो की दशा में आयात स्थोरा की उतराई और निर्यात स्थोरा की चढ़ाई के लिए केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड को सशक्त बनाएंगे।

3) सीमाशुल्क अधिनियम के उपबंध उद्ग्रहीत नहीं किए गए सीमाशुल्क, आयातक या निर्यातक या आयातक या निर्यातक के अभिकर्ता या कर्मचारी या दुरभिसंधि या जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के कारण कम उद्ग्रहीत शुल्क की वसूली करने में समर्थ बनाएंगे। लिखतों के उपयोजन से संबंधित कतिपय मामले प्रकाश में आए हैं जहां लिखत को उस व्यक्ति द्वारा जिसे लिखत जारी किया गया था या उसके अभिकर्ता या कर्मचारी द्वारा दुरभिसंधि या जानबूझकर किए गए मिथ्या कथन या तथ्यों को छिपाने के माध्यम से अभिप्राप्त किया गया था न कि आयातक द्वारा जिसने उसका उपयोजन किया पर कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस व्यक्ति से जिसे लिखत जारी किया गया या शुल्कों की वसूली का उपबंध करने के लिए एक नई धारा 28कककक अंतःस्थापित की जा रही है। *[खंड 116]*

4) प्रस्तावित धारा 28कककक को लागू संपत्ति की अनंतिम कुर्की से संबंधित उपबंध करने के लिए धारा 28 खक का संशोधन किया जा रहा है। *[खंड 117]*

5) धारा 47 का उसमें एक नया परंतुक अंतःस्थापित करने के लिए संशोधन किया जा रहा है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा आयातकों के वर्ग या वर्गों को विनिर्दिष्ट कर सके जो इलेक्ट्रॉनिक रूप से शुल्क का संदाय करेंगे। *[खंड 118]*

6) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 28कक और धारा 28कख का वित्त अधिनियम, 2011 के उपबंधों के माध्यम से आमेलन कर दिया गया था। धारा 28कख के प्रति निर्देश को धारा 28कक से प्रतिस्थापित करने के लिए धारा 75क का संशोधन किया जा रहा है। संशोधन को 08.04.2011 से भूतलक्षी रूप से भी प्रभावी किया जा रहा है। *[खंड 119]*

7) इस बात का उपबंध करने के लिए कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम के अधीन सभी अपराध (धारा 135 के अधीन तीन वर्ष या अधिक वर्ष के कारावास की अवधि से दंडनीय अपराध के सिवाय) असंज्ञेय और जमानतीय होंगे, धारा 104 का संशोधन किया जा रहा है। यह और उपबंध करता है कि धारा 135 के अधीन तीन या अधिक वर्षों की कारावास की अवधि से दंडनीय अपराध संज्ञेय होंगे। *[खंड 120]*

8) इस बात का उपबंध करने के लिए कि धारा 135 के अधीन तीन वर्ष या अधिक वर्ष की कारवास की अवधि से दंडनीय अपराधों की दशा में जमानत न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा लोक अभियोजक को अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान किए बिना नहीं दी जाएगी, धारा 104क अंतःस्थापित की जा रही है। यह और उपबंध करती है कि अल्पवय, शिथिलांग और महिलाओं की दशा में मजिस्ट्रेट जमानत दे सकेगा। यह केन्द्रीय सरकार द्वारा सिवाय विशेष या सामान्य आदेश के इस निमित्त प्राधिकृत करने के, सीमाशुल्क अधिनियम के अधीन अपराधों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारियों की अधिकारिता का भी अपवर्जन करती है। *[खंड 121]*

9) धारा 122 का मामलों का जिनमें मालों का समपहरण और शास्ति का अधिरोपण अंतर्वलित है न्यायनिर्णयन करने की धनीय सीमा उप/सहायक आयुक्तों के लिए दो लाख से बढ़ाकर पांच लाख और सहायक/उप आयुक्त की पंक्ति से नीचे किसी राजपत्रित अधिकारी की दशा में 10,000 रु. से बढ़ाकर 50,000 रु. करने के लिए संशोधन किया जा रहा है। *[खंड 122]*

10) धारा 138 अपराधों के संक्षिप्त विचारण से संबंधित है। इस धारा का धारा 135 के अधीन तीन वर्ष या अधिक की कारावास की अवधि से दंडनीय अपराधों का अपवर्जन करने के लिए संशोधन किया जा रहा है चूंकि यह प्रस्ताव किया जा रहा है कि ऐसे अपराध संज्ञेय होंगे। *[खंड 123]*

11) 'कोरियर सेवाओं' को आयुक्त के किसी आदेश/विनिश्चय/समन/नोटिस की तामील करने के प्रयोजन के लिए धारा 153 की परिधि में लाने के लिए संशोधन किया जा रहा है। *[खंड 124]*

12) "विदेशगामी पोतों" को अतिरिक्त शुल्क से छूट देने के लिए 1 मार्च, 2011 से 16 मार्च, 2012 की अवधि के लिए भूतलक्षी रूप से छूट दी जा रही है। *[खंड 125]*

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 में संशोधनः

(1) धारा 8ग चीन जनवादी गणराज्य से आयात पर सुरक्षा शुल्क उदग्रहीत करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सशक्त करती है। उसे यह उपबंध करने के लिए संशोधित किया जा रहा है कि ऐसा शुल्क जारी रह सकेगा यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसी वस्तुएं या माल भारत में आयात होते रहें जिससे घरेलू उद्योग के बाजार में व्यवधान कारित हो या उसकी आशंका हो भले ही घरेलू उद्योग ने ऐसे व्यवधान से निपटने के लिए उपाय कर लिए हों। यह संशोधन वर्ष 2001 में विश्व व्यापार संगठन के साथ हस्ताक्षरित चीनी अधिमिलन प्रोटीकाल के अधीन संक्रमणकालीन उत्पाद विनिर्दिष्ट सुरक्षा तंत्र वाली धारा के उपबंधों के अनुसार सुमेलित करना। *[खंड 126]*

(2) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची को निम्नलिखित के लिए संशोधित किया जा रहा हैः-

(i) 60 मिलीमीटर से अनधिक या 60 मिलीमीटर से अधिक फिल्टर और गैर-फिल्टर सिगरटों, दोनों के निम्नतम स्लैब की लंबाई को क्रमशः 65 मिली मीटर से अधिक या उससे अनधिक की लम्बाई तक पुनरीक्षित करना।

(ii) लौह अयस्क और लौह तत्व पर आधारित सांद्रणों से संबंधित टैरिफ मदों 2601 11 10 से 2601 11 90 के वर्णन को पुनरीक्षित करना।

(iii) टिप्पण-12 में किसी बात के होते हुए भी यह उपबंध करने के लिए अध्याय 48 में टिप्पण 13 अन्तःस्थापित करना, यदि शीर्ष 4811, 4816 या 4920 के कागज या कागज उत्पादों पर कोई अक्षर, नाम, शब्द, मोटिफ या फारमेट मुद्रित किए जाते हैं तो वे अध्याय 48 के अधीन तब तक वर्गीकृत रहेंगे जब तक ऐसे उत्पाद और मुद्रण के लिए उपयोग किए जाने के लिए आशयित हैं। इससे वर्गीकरण विषयक विवादों पर रोक लगेगी।

(iv) ताम्र स्क्रैप, पीतल स्क्रैप, निकिल स्क्रैप, एल्यूमिनियम स्क्रैप, सीसा स्क्रैप और जस्ता स्क्रैप संबंधी प्रविष्टियों को पुनरीक्षित आई.एस.आर.आई. वर्गीकरण के अनुसार सुमेलित करना।

(v) साइकिलों पर आधारिक सीमाशुल्क की दर को 10% से बढ़ाकर 30% करना और साइकिलों के पुर्जो पर 10% से बढ़ाकर 20% करना। *[खंड 127]*

(3) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में क्रोमियम अयस्क पर निर्यात शुल्क की दर को प्रति टन 3000 रु. से बढ़ाकर मूल्यानुसार 30% करने के लिए संशोधन किया जा रहा है। *[खंड 128]*

पैरा 2(v) और पैरा (3) के परिवर्तन अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा के कारण तुरन्त प्रभावी होंगे।

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 1944 में संशोधनः

(1) धारा 4 मूल्यानुसार आधार पर शुल्क से प्रभार्य उत्पाद शुल्क्य माल के मूल्य के अवधारण से संबंधित है। इस धारा का एकाधिकार और प्रतिबंध तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 में, जिसे बाद में निरसित कर दिया गया है, अन्तर्विष्ट "अंतर-संबद्ध उपक्रमों" की परिभाषा को समाविष्ट करने के लिए संशोधन किया जा रहा है। *[खंड 129]*

(2) धारा 9 यह उपबंध करती है कि अवपंचन के ऐसे मामले, जिन में उदग्रहणीय शुल्क एक लाख रुपए से अधिक है, ऐसे कारावास की अवधि, जो सात वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होंगे। इस रकम के स्थान पर तीस लाख रुपए रखने के लिए इस धारा का संशोधन किया जा रहा है।

(3) धारा 9 में यह उपबंध करने के लिए संशोधन किया जा रहा है कि इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध, धारा 9 के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध के सिवाय, असंज्ञेय होंगे। *[खंड 131]*

(4) धारा 11क में, जहां, सूचना की तामील पर, यथास्थिति, न्यायालय या अधिकरण के आदेश द्वारा रोक लगा दी जाती है वहां कारण बताओ सूचना के निकाले जाने के लिए एक वर्ष या पांच वर्ष की अवधि की संगणना करने में रोक की अवधि को अपवर्जित करने के लिए संशोधन किया जा रहा है। *[खंड 132]*

(5) धारा 11कग घटी हुई शास्ति के लिए उपबंध करता है, यदि आदेश की संसूचना के 30 दिन के भीतर ब्याज सहित शुल्क का संदाय किया जाता है। इस धारा में घटी हुई शास्ति का फायदा उपलब्ध करवाने के लिए संशोधन किया जा रहा है केवल यदि घटी हुई शास्ति भी तीस दिन की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर संदत्त कर दी जाती है। *[खंड 133]*

(6) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित धारा 12च का सीमाशुल्क अधिनियम में उपबंधों को सम्मिलित करने के लिए संशोधन किया जा रहा है। *[खंड 134]*

(7) गिरफ्तार करने की शक्ति से संबंधित धारा 13 को सीमाशुल्क में उपबंधों को सम्मिलित करने के लिए प्रतिस्थापित किया जा रहा है और यह उपबंध करने के लिए भी है कि धारा 9 के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध संज्ञेय होंगे। *[खंड 135]*

(8) धारा 13क यह उपबंध करने के लिए अन्तःस्थापित की जा रही है कि धारा 9 के अधीन तीन वर्ष या उससे अधिक के कारावास की अवधि से दंडनीय अपराधों के मामले में जमानत, लोक अभियोजक को अपना पक्ष रखने के लिए अवसर दिए बिना किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा मंजूर नहीं की जाएगी। धारा यह भी उपबंध करती है कि अल्पवय शिथिलांग और स्त्री के मामले में, मजिस्ट्रेट जमानत मंजूर कर सकेगा। धारा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम के अधीन अपराधों में अन्वेषण आरंभ करने की पुलिस अधिकारियों की अधिकारिता को भी जब तक अपवर्जित करता है जब तक उन्हें किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत नहीं किया जाता है। *[खंड 135]*

(9) धारा 18 को यह उपबंध करने के लिए प्रतिस्थापित किया जा रहा है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय, तलाशियां दंड प्रक्रिया संहिता में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी। *[खंड 136]*

(10)धारा 19 का, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का प्रबंध करने से संबंधित हैं, पारिणामिक परिवर्तन के रूप में लोप किया जा रहा है। [खंड 137]

11) धारा 19 के लोप को देखते हुए, पारिणामिक परिवर्तन करने के लिए धारा 20 का संशोधन किया जा रहा है। *[खंड 138]*

12) अधिसूचना संख्या 1/2010-सीई तारीख 6 फरवरी, 2010 ऐसे मालों के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से छूट का उपबंध करती है, जिनकी निकासी जम्मू-कश्मीर राज्य में स्थित नई इकाइयों या ऐसी इकाइयों से की गई है, जिनका उक्त राज्य में सारवान विस्तारण हुआ है। इसका भूतलक्षी प्रभाव से उक्त अधिनियम के जारी होने की तारीख से संशोधन किया जा रहा है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अधिसूचना के निबंधनानुसार सारवान विस्तारण करने वाली इकाइयों के लिए दस वर्ष की छूट की अवधि की संगणना विस्तारित क्षमता से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तारीख से की जाएगी। यह नीति संबंधी आशय को स्पष्ट करेगा। *[खंड 139]*

13) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची का, जो कतिपय प्रक्रियाओं को "विनिर्माण" के तत्समान समझे जाने के संबंध में है, संशोधन सिगरेटों को सम्मिलित करने के लिए किया जा रहा है। तदनुसार, सिगरेटों की किसी यूनिट आधान में पैकिंग या पुनः पैकिंग, आधान पर लेबल या पुनः लेबल लगाने, जिसके अंतर्गत उस पर खुदरा विक्रय मूल्य की घोषणा या उसमें परिवर्तन भी है, या सिगरेटों को विपणीय बनाने के लिए किसी उपचार को अपनाने की प्रक्रियाएं विनिर्माण के तत्समान होंगी। *[खंड 140]*

ऊपर पैरा 13) के परिवर्तन अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन एक घोषणा के कारण तुरंत प्रवृत्त होंगे।

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 में संशोधनः

1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि,—

क. सभी उत्पाद शुल्क्य मालों को लागू कानूनी/टैरिफ दरों को, जो छूट प्राप्त मालों से भिन्न सभी गैर-पेट्रोलियम मालों, मैरिट दर या उच्चतर शुल्क दरों वाले मालों के लिए 12% है, पुनरीक्षित किया जा सके। पेट्रोलियम मालों के लिए मूल्यानुसार दर या मूल्यानुसार संघटक (जहां दरें मिश्रित हैं) का पुनरीक्षण करके 14% किया जा सके।

ख. कतिपय मालों पर उत्पाद शुल्क की दर को बढ़ाकर 5% से 6% और कतिपय प्रवर्ग के आटोमोबाइल पर 22% से 24% तथा "22% + 1500 रुपए प्रति यान" से बढ़ाकर 27% किया जा सके। आटोमोबाइल चेसिस को लागू सम्मिश्र दर को मूल्यानुसार दर में संपरिवर्तित किया जा रहा है और उसे 15% या 25% पर नियत किया जा रहा है।

ग. 65 मिमी से अधिक लंबाई वाली सिगरेटों (फिल्टर वाली और बिना फिल्टर वाली, दोनों) पर उत्पाद शुल्क की दर को, शुल्क की विद्यमान विनिर्दिष्ट दरों में 10% की मूल्यानुसार दर को जोड़कर बढ़ाया जा सके।

घ. सिगारों, चिरूटों और सिगरिलौस पर उत्पाद शुल्क की दर को "12% या 1370 रुपए प्रति हजार, जो भी अधिक हो", के रूप में बढ़ाया जा सके।

ङ. निम्नलिखित परिवर्तनों को किया जा सकेः

(i) पालिश किए गए संगमरमर के सही वर्गीकरण के बारे में शंकाओं का निवारण करने के लिए अध्याय 25 के टिप्पण 6 में "या पालिश करना" शब्दों का लोप;

(ii) लौह अयस्क और एफई अंतर्वस्तु के आधार पर सांद्रणों को सम्मिलित करने वाले टैरिफ मदों 2611 10 से 2611 90 के वर्णन का पुनरीक्षण;

(iii) यह उपबंध करने के लिए अध्याय 48 में एक टिप्पण का अंतःस्थापन, कि टिप्पण 12 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि शीर्ष 4811, 4816 या 4920 के कागज और कागज उत्पादों का मुद्रण किसी अक्षर, नाम, लोगो, मोटिफ या फार्मेट के साथ किया जाता है तो जब तक ऐसे उत्पाद आगे और मुद्रण के लिए आशयित हैं, वर्गीकरण संबंधी विवादों से बचने के लिए उन्हें अध्याय 48 के अधीन वर्गीकृत किया जाता रहेगा;

(iv) अध्याय 71 में एक टिप्पण का अंतःस्थापन, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि शीर्ष 7113 और 7114 के प्रयोजनों के लिए, बहुमूल्य आभूषणों की वस्तुओं या स्वर्णकार अथवा रजतकार की वस्तुओं, बहुमूल्य धातुओं या बहुमूल्य धातु से मढी धातुओं के बर्तनों पर व्यापार चिन्ह या ब्रांड नाम लिखने या उसके समुद्भरण की प्रक्रिया "विनिर्माण" के तत्समान होगी;

(v) अध्याय 72 में एक टिप्पण का अंतःस्थापन, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि शीर्ष 7208 के मालों के संबंध में आयलिंग और पिकलिंग की प्रक्रिया "विनिर्माण" के तत्समान होगी;

(vi) अध्याय 76 में एक टिप्पण का अंतःस्थापन, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि एल्युमिनियम फायल की कटिंग, स्लिटिंग और मुद्रण की प्रक्रिया "विनिर्माण" के तत्समान होगी;

(vii) अध्याय 85 में एक टिप्पण का अंतःस्थापन, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि लिथियम आयन बैटरियों की मैचिंग, बैचिंग, और चार्जिंग या बैटरी पैक बनाने की प्रक्रिया "विनिर्माण" के तत्समान होगी;

(viii) ताम्र स्क्रेप, पीतल स्क्रेप, निकेल स्क्रेप, एल्युमिनियम स्क्रेप, सीसा स्क्रेप और जस्ता स्क्रेप से संबंधित प्रविष्टियों को पुनरीक्षित आईएसआरई वर्गीकरण से सुमेलित करना।

च. अध्याय 54 में एक टिप्पण अंतःस्थापित किया जा सके, जो यह उपबंध करेगा कि टिप्पण 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्लास्टिक और प्लास्टिक अपशिष्ट, जिसके अंतर्गत अपशिष्ट पोलीइथायलीन टेरेथेलेट बोतलें भी हैं, से विनिर्मित मानव निर्मित फाइबरों जैसे कि पोलीस्टर स्टेपल फाइबर और पोलीस्टर फिलामेंट यार्न को, यथास्थिति, अध्याय 54 या अध्याय 55 के अधीन टेक्सटाइल सामग्री के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इस संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव से 29.06.2010 से किया जा रहा है। पहले से की गई निकासी के संबंध में शुल्क वित्त विधेयक, 2012 के अधिनियमन की तारीख से एक मास के भीतर इन मालों के विनिर्माताओं से वसूलनीय होगा, जिसमें असफल रहने पर 24% की दर से ब्याज संदेय होगा। इसके साथ ही, विनिर्माताओं को अंतःनिवेशों, अंतः निवेशी सेवाओं और पूंजी मालों पर संदत्त शुल्क के प्रत्यय को गणना में लेने की अनुज्ञा दी जा रही है। *[खंड 141 और खंड 142]*

शुल्क की दरों में वृद्धि अंतर्वलित करने वाले परिवर्तन, अनंतिम कर अधिनियम, 1931 के अधीन एक घोषणा के कारण तुरंत प्रवृत्त होंगे।

प्रकीर्ण

1) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 के अधीन देशी पेट्रोलियम कच्चे तेल पर उद्ग्रहणीय उपकर की दर को 2500 रुपए प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 4500 रुपए प्रति मीट्रिक टन किया जा रहा है। *[खंड 151]*

2) राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क से संबंधित वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन के पारिणामिक परिवर्तन के रूप में सिगरेटों के कतिपय शुल्क स्लैबों में उनकी लंबाई में पुनरीक्षण करने के लिए संशोधित किया जा रहा है। *[खंड 152]*

3) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (सामान्यतया स्वास्थ्य उपकर के नाम से ज्ञात) से संबंधित वित्त अधिनियम, 2005 की सातवीं अनुसूची को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में संशोधन के पारिणामिक परिवर्तन के रूप में सिगरेटों के कतिपय शुल्क स्लैबों में उनकी लंबाई में पुनरीक्षण करने के लिए संशोधित किया जा रहा है। *[खंड 154]*

4) वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 73 ने केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर नियमों के कतिपय उपबंधों में भूतलक्षी संशोधन किए थे जिससे आनुपातिक आधार पर प्रत्यय का विभाजन अनुज्ञात किया जा सके जहां सामान्य अंतःनिवेश सेवाएं छूट प्राप्त और शुल्क लगाए गए माल के विनिर्माण के लिए प्रयोग की गईं थी। इस धारा को भूतलक्षी प्रभाव से "अंतःनिवेश" शब्द के स्थान पर "अंतःनिवेश या अंतःनिवेश सेवा" शब्द रखने के लिए संशोधित किया जा रहा है ताकि आनुपातिक प्रत्यय प्रत्यावर्तन सामान्य अंतःनिवेश सेवाओं पर भी लागू हो। *[खंड 155]*

5) वित्त अधिनियम, 2011 की धारा 73 को "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985" को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944" के निर्देश से बदलने के लिए संशोधित किया जा रहा है। इस संशोधन को 08.04.2011 से भूतलक्षी प्रभाव भी दिया जा रहा है। *[खंड 156]*

ऊपर 1) में परिवर्तन अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा के कारण तुरंत प्रभावी होंगे।

अन्य परिवर्तन अधिसूचनाओं के माध्यम से किए जा रहे हैं।

सीमाशुल्क

क. साधारण

1) आयातित माल पर शिक्षा उपकर तथा माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर की गणना की पद्धति सरल की जा रही है। वर्तमान में, ये उपकर पहले सीमाशुल्क के सीवीडी भाग पर भारित किए जाते हैं और तत्पश्चात् उत्पाद शुल्क के कुल भाग पर (विशेष सीवीडी को छोड़कर)। सीमाशुल्क के सीवीडी भाग पर उद्ग्रहणीय उपकरों के भाग पर छूट दी जा रही है जिससे ऐसे उपकरों पर दो बार गणना से बचा जा सके।

2) बैगेज नियमों के अधीन शुल्क मुक्त भत्ते को भारतीय मूल के व्यस्क यात्रियों के लिए 25000 रुपए से बढ़ाकर 35000 रुपए तथा 10 वर्ष तक की आयु के बालकों के लिए 10000 रुपए से बढ़ाकर 15000 रुपए किया जा रहा है।

शुल्क की दरों में परिवर्तन अंतर्वलित करने वाले प्रस्ताव

I. कृषि/कृषि प्रसंस्करण/पौध सेक्टरः

1) गन्ना प्लांटर, जड़ या ट्यूबर कृषि हार्वेस्टिंग मशीन और रोटरी टिलर तथा वीड़र, उनके विनिर्माण के लिए पुर्जों और अवयवों पर आधारिक सीमाशुल्क को 7.5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।

2) वर्तमान में अनाजों और चीनी के लिए मंडियों तथा भांडागारों में मेकेनाइज्ड हैंडलिंग सिस्टम और पैलेट रैंकिंग सिस्टम के प्रतिष्ठापन के लिए परियोजना आयात प्रास्थिति 5% की आधारिक सीमाशुल्क की रियायती दर पर उपलब्ध है। ऐसे सिस्टम सीमाशुल्क की अतिरिक्त दर (सीवीडी) तथा विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्क दर (एसऐडी) से भी छूट प्राप्त हैं।

इसी छूट को (अर्थात् 5% बीसीडी + शून्य सीवीडी + शून्य एसएडी) को बागबानी उत्पाद के लिए ऐसे सिस्टमों तक विस्तारित किया जा रहा है।

3) बागबानी तथा पुष्प कृषि उत्पाद की संरक्षित कृषि के लिए ग्रीन हाउस स्थापना हेतु परियोजना आयात प्रास्थिति अनुदत्त की जा रही है। इस प्रकार इन परियोजनाओं पर 5% आधारिक सीमाशुल्क की रियायती दर लागू होगी।

4) विनिर्दिष्ट कॉफी प्लांटेशन और प्रसंस्करण मशीनरी पर आधारिक सीमाशुल्क को 10%/7.5% से घटाकर 5% किया जा रहा है। रियायती शुल्क 31.03.2014 तक उपलब्ध होगा।

5) कॉफी ब्रूइंग और वेंडिंग मशीनों (वाणिज्यिक प्रकार) पर आधारिक सीमाशुल्क 10% से घटाकर 5% किया जा रहा है। रियायती शुल्क 31.03.2014 तक उपलब्ध होगा। ऐसी कॉफी वेंडिंग और ब्रूइंग मशीनों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित पुर्जों पर आधारिक सीमाशुल्क भी घटाकर 2.5% किया जा रहा है।

6) यूरिया से भिन्न विनिर्दिष्ट घुलनशील उर्वरकों और तरल उर्वरकों पर आधारिक सीमाशुल्क को घटाकर क्रमशः 7.5% से 5% तथा 5% से 2.5% किया जा रहा है।

II. आटोमोबाइलः

किस्म अनुमोदन के बिना आयात के लिए अनुज्ञात बड़ी कारों/एमयूवी/एसयूवी की पूर्णतः निर्मित इकाइयों (40,000 अमरीकी डालर मूल्य से अधिक तथा पेट्रोल के लिए 3000 सीसी और डीजल के लिए 2500 सीसी से अधिक) पर आधारिक सीमाशुल्क 60% से बढ़ाकर 75% किया जा रहा है।

III. धातुएंः

1) इलैक्ट्रिकल इस्पात के विनिर्माण के लिए कोटिंग सामग्री पर आधारिक सीमाशुल्क को वास्तविक उपयोग दशा के अधीन रहते हुए 10% से घटाकर 5% किया जा रहा है।

2) फैरो-वेनेडियम के विनिर्माण में प्रयुक्त अमोनियम मैटा-वेन्डेट पर आधारिक सीमाशुल्क को 7.5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।

3) निकेल ऑक्साइड/हाइड्रोक्साइड और निकेल अयस्क/सांद्रण पर आधारिक सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट दी जा रही है।

4) वर्तमान में सीआरजीओ इस्पात को उपलब्ध एसएडी से छूट को ऐसे इस्पात की उच्च क्वालिटी तक सीमित किया जा रहा है।

5) गैर-मिश्रित इस्पात के फ्लैट रोल्ड उत्पादों (एचआर और सीआर) पर आधारिक सीमाशुल्क को 5% से बढ़ाकर 7.5% किया जा रहा है।

IV. बहुमूल्य धातुएंः

1) मानक स्वर्ण छड़ों तथा प्लेटिनम छड़ों पर आधारिक सीमाशुल्क को 2% से बढ़ाकर 4% किया जा रहा है।

2) गैर-मानक स्वर्ण पर आधारिक सीमाशुल्क को 5% से बढ़ाकर 10% किया जा रहा है।

3) परिष्करण के लिए स्वर्ण अयस्क/सान्द्रण और डोर छड़ों पर आधारिक सीमाशुल्क को 1% से बढ़ाकर 2% किया जा रहा है।

4) कर्तित और पॉलिश किए गए रंगीन रत्नों पर 2% का आधारिक सीमाशुल्क अधिरोपित किया जा रहा है।

V. पूंजी माल/अवसंरचनाः

1) लौह अयस्क पैलेट प्लांटों या लौह अयस्क बेनीफिसिएशन प्लांटों की स्थापना करने या उनका सारवान विस्तार करने के लिए पूंजी मालों, प्लांट और उपस्करों पर आधारिक सीमाशुल्क को 7.5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।

2) उर्वरक परियोजनाओं की आरंभिक स्थापना और सारवान विस्तार पर आधारिक सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान की जा रही है। छूट 31.03.2015 तक विधिमान्य रहेगी।

3) वाष्प कोयला को आधारिक सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान की जा रही है। ऐसे कोयले पर सीवीडी भी 5% से घटाकर 1% किया जा रहा है। यह छूट 31.03.2014 तक विधिमान्य रहेगी।

4) विद्युत जनन कंपनी द्वारा विद्युत जनन के लिए आयातित प्राकृतिक गैस/तरल प्राकृतिक गैस पर आधारिक सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान की जा रही है।

5) परमाणु शक्ति जनन के लिए यूरेनियम सांद्रण, सिन्टर्ड प्राकृतिक यूरेनियम डाईऑक्साइड, सिन्टर्ड यूरेनियम डाईऑक्साइड पैलेट पर आधारिक सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान की जा रही है।

6) महानगर विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की गई सड़क सन्निर्माण परियोजनाओं हेतु आयातित उपस्करों के लिए आधारिक सीमाशुल्क, सीवीडी और एसएडी से पूर्णतः छूट प्रदान की जा रही है।

7) वर्तमान में जल विद्युत और सड़क परियोजनाओं के लिए सुरंग बोरिंग मशीनों पर उपलब्ध आधारिक सीमाशुल्क और सीवीडी से पूर्णतः छूट को सभी अवसंरचना परियोजनाओं तक विस्तारित किया जा रहा है। यह छूट ऐसी मशीनों को जोड़ने के लिए अपेक्षित पुर्जों के लिए भी उपलब्ध रहेगी।

8) वर्तमान में विनिर्दिष्ट सड़क सन्निर्माण उपस्करों पर आधारिक सीमाशुल्क और सीवीडी से पूर्णतः छूट प्राप्त है। इस छूट को अब सुरंग खुदाई तथा विनिर्दिष्ट लाइनिंग उपस्करों तक विस्तारित किया जा रहा है।

9) आधारिक सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट को कोयला खनन परियोजनाओं तक विस्तारित किया जा रहा है।

10) वर्तमान में खदानों के सर्वेक्षण और पूर्वेक्षण के लिए मशीनरी और उपस्करों पर क्रमशः 10% तथा 7.5% आधारिक सीमाशुल्क है। इन दरों को घटाकर 2.5% पर एकीकृत किया जा रहा है।

11) रेल सुरक्षा (रेलगाड़ी सुरक्षा और चेतावनी प्रणाली) उपस्कर तथा रेल पथ बिछाने की मशीनों पर आधारिक सीमाशुल्क को 10% से घटाकर 7.5% किया जा रहा है।

VI. वायुयान और जलयान

(1) नए और रीट्रिडड वायुयान टायरों को आधारिक सीमाशुल्क और सीवीडी से पूर्णतः छूट प्रदान की जा रही है।

(2) तृतीय पक्षकार अनुरक्षण, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) इकाइयों द्वारा आयातित वायुयानों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए वायुयान के पुर्जों तथा परीक्षण उपस्करों को आधारिक सीमाशुल्क तथा सीवीडी से पूर्णतः छूट प्रदान की जा रही है।

(3) तटीय व्यापार के लिए संपरिवर्तन पर विदेशगामी पोतों पर सीवीडी को अब इस अवधि पर, जिसके लिए वह भारत में तटीय यान के रूप प्रचालन करता है, निर्भर करते हुए मात्रानुपाती आधार पर प्रभारित किया जाएगा। इस मूल्य को, जब आयात किसी पट्टा करार/संविदा के प्रति किया जाता है, पट्टा मूल्य के रूप में माना जाएगा।

VII. पर्यावरण संरक्षण

(1) सौर तापीय परियोजनाओं की स्थापना के लिए उपस्करों को एसएडी से पूर्णतः छूट प्रदान की जा रही है।

(2) वायु ऊर्जा जनित्रों के पंखों की पखुंडियों के मध्यवर्तियों, पुर्जों और उप पुर्जों के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्रियों पर आधारिक सीमाशुल्क की 5 प्रतिशत की रियायती दर का विस्तार किया गया है।

(3) कंपैप्ट फ्लोरीसेंट लैंपों के विनिर्माण में उपयोग के लिए ट्राईबैंड फास्फोर को आधारिक सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट दी जा रही है।

(4) संकर यानों के विनिर्माण के लिए विनिर्दिष्ट पुर्जो को 6% सीवीडी शुल्क से छूट के साथ-साथ आधारिक सीमाशुल्क और एसएडी से पूर्णतः छूट उपलब्ध है। इस छूट को ऐसे यानों के विनिर्माण के लिए कुछ अतिरिक्त पुर्जो पर विस्तारित किया जा रहा है।

(5) 6% शून्य एसएडी और सीवीडी के साथ-साथ शून्य आधारिक सीमाशुल्क के सीमाशुल्क का वैद्युत या संकर यान विनिर्माताओं को आपूर्ति के लिए लिथियम आयन बैट्रियों पर विस्तार किया जा रहा है।

VIII. स्वास्थ्य

(1) आयोडीन पर आधारिक सीमाशुल्क 5% से घटा कर 2.5% किया जा रहा है।

(2) आइसोलेटेड सोया प्रोटीन और सोया प्रोटीन सांद्रण पर आधारिक सीमाशुल्क घटाकर क्रमशः 15% और 30% से 10% किया जा रहा है।

(3) प्रोबायोटिक पर आधारिक सीमाशुल्क 10% से घटाकर 5% किया जा रहा है।

(4) छह विशिष्ट जीवन रक्षक औषधियों/टीकों और उनके बहु औषधों पर सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क की छूट के माध्यम से शून्य सीवीडी के साथ घटाकर 10% से 5% किया जा रहा है।

(5) सिरिजों, सुइयों, कैथेटरों, कैनुले के विनिर्माण के लिए विशिष्ट कच्ची सामग्रियों पर वास्तविक उपभोक्ता की शर्त के अधीन रहते हुए 2.5% आधारिक सीमाशुल्क के साथ 6% सीवीडी और शून्य एसएडी विहित की जा रही है।

(6) रक्त दाब मानिटरों और रक्त शर्करा मानीटरी प्रणालियों (ग्लूको मापी) के विनिर्माण के लिए पुर्जों और संघटकों पर 2.5% आधारिक सीमाशुल्क के साथ 6% सीवीडी और शून्य एसएडी का विस्तार किया जा रहा है।

(7) आधारिक सीमाशुल्क और सीवीडी से पूर्णतः छूट का इस्पात टयूबों एवं तार, कोबाल्ट क्रोमियम ट्यूब, कोरोनरी स्टेंट/कोरोनरी स्टेंट प्रणालियों और कृत्रिम ह्रदय बाल्वों के विनिर्माण के लिए हेनेस मिश्रातु-25 और पालीप्रोपोलीन मेश पर वास्तविक उपभोक्ता की शर्त के अधीन रहते हुए विस्तारण किया जा रहा है।

IX. टेक्सटाइल

(1) पुर्जों और संघटकों के साथ-साथ शटल रहित करघों पर उनके विनिर्माण के लिए आधारिक सीमाशुल्क 5% से घटाकर शून्य किया जा रहा है। यह छूट केवल नई मशीनरी को लागू होगी।

(2) स्वतः रेशम-रिलिंग और प्रंसस्करण मशीनरी और कच्चा रेशम परीक्षण उपस्करों पर आधारिक सीमाशुल्क 5% से घटाकर शून्य किया जा रहा है। यह छूट केवल नई मशीनरी को लागू होगी।

(3) सीमाशुल्क की 5% की रियायती दर को केवल नई टेक्सटाइल मशीनरी पर निर्बधिंत किया जा रहा है। परिणामस्वरूप पुरानी मशीनरी पर 7.5% के आधारिक सीमाशुल्क की दर लागू होगी।

(4) ऊन अपशिष्ट और ऊन टोपों पर आधारिक सीमाशुल्क क्रमशः 10% और 15% से घटाकर 5% किया जा रहा है।

(5) टाइटेनियम डायोक्साइड पर आधारिक सीमाशुल्क 10% से घटाकर 7.5% किया जा रहा है।

(6) रक्षा और पुलिस को आपूर्ति के लिए बुलेट रोधी हेलमेंटों के विनिर्माण में प्रयुक्त किए जाने पर अरामिड सूत और फ्रेबिक पर आधारिक सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट का विस्तारण किया जा रहा है।

X. इलेक्ट्रानिक्स/हार्डवेयर

(1) 20 इंच और उससे ऊपर के एलसीडी और एलईडी टीवी पैनलों को आधारिक सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट प्रदान की जा रही है।

(2) एलईडी लैम्पों के विनिर्माण के लिए अपेक्षित एलईडी को भी एसएडी से छूट दी जा रही है।

(3) इस समय आधारिक सीमा शुल्क, सीवीडी र एसएडी से पूर्णतः छूट की परिधि सेल्यूलर फोनों सहित मोबाइल हैंडसेट के पुर्जों, संघटकों और उपसंसाधनों के विनिर्माताओं को उपलब्ध हैं, का विस्तारण मेमॉरी कार्डों के पुर्जो को शामिल करने के लिए किया जा रहा है। एसएडी से छूट की वैधता का विस्तारण 31.03.2012 से 31.03.2013 तक किया जा रहा है।

(4) कनेक्टरों के विनिर्माण के लिए तांबा, पीतल और फास्फोर कांस्य छड़ों और ऐसी ही आयातित मदों पर इस समय उपलब्ध आधारिक सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट का प्रत्याहरण किया जा रहा है।

(5) इस समय पोलिलेमिनेटड अल्यूमिनियम टेप और पोलि-लेमिनेटड इस्पात टेप को आधारिक सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट उपलब्ध है यदि उन्हें दूरसंचार में उपयोग के लिए केबलों और चालकों के विनिर्माण के लिए आयात किया गया हो, का भी प्रत्याहरण किया जा रहा है।

XI. निर्यात संवर्धन

(1) फाइबर इंपैलट और जलकृषि के लिए स्वचालित मत्स्य/झींगा पोषकों सहित मैरीन सीवाटर पंपों पर आधारिक सीमाशुल्क को 10% से घटाकर 5% किया जा रहा है।

(2) अर्टेमिया पर आधारिक सीमाशुल्क को 30% से घटाकर 5% किया जा रहा है।

XII. कागज

(1) अपशिष्ट कागज को आधारिक सीमाशुल्क से पूर्णतः छूट दी जा रही है।

XIII. विशेष अतिरिक्त सीमाशुल्कः

(1) पीतल स्क्रैप, लकडी के लट्ठों और ड्रेजरों को एसएडी से छूट दी जा रही है।

(2) फेरो निकल पर आधारिक सीमाशुल्क को 5% से घटाकर 2.5% किया जा रहा है।

XIV. प्रकीर्ण :

(1) कतिपय विनिर्देशों के डिजीटल स्टिल कैमरों पर 10% का आधारिक सीमाशुल्क अधिरोपित किया जा रहा है।

(2) बोरिक अम्ल पर आधारिक सीमाशुल्क को 5% से बढ़ाकर 7.5% किया जा रहा है।

(3) वायलरों के विनिर्माण के लिए ब्रायलर गुणवत्ता की टयूबों और पाइपों पर आधारिक सीमाशुल्क को अंत तक उपयोग की शर्त के अधीन रहते हुए 10% से घटाकर 7.5% किया जा रहा है।

(4) वास्तविक उपयोक्ता शर्त के अधीन रहते हुए व्यस्क डायपरों के विनिर्माण के लिए हाइड्रोफिलिक अव्युतीत, हाइड्रोफोलिक अव्युतीत और सुपर अलसार्लेंट पोलीमर के आयातों के लिए आधारिक सीमाशुल्क 6% सीवीडी + शून्य एसएडी की रियायती सीमाशुल्क व्यवस्था को विहित किया जा रहा है।

उत्पाद शुल्क

शुल्क की दर में परिवर्तन अंतर्वलित करने वाले प्रस्ताव

(1) कुछ अपवादों, जिनमें छूट/रियायतें दी गई हैं, के साथ गैर-पेट्रोलियम उत्पादों पर 10% की प्रभावी उत्पाद शुल्क की दर को बढ़ाकर 12% किया जा रहा है।

(2) गैर-पेट्रोलियम उत्पादों पर 5% की रियायती उत्पाद शुल्क की दर को बढ़ाकर 6% किया जा रहा है।

(3) गैर-पेट्रोलियम उत्पादों पर 1% की निम्न दर को बढ़ाकर 2% किया जा रहा है। तथापि, बहुमूल्य धातु के आभूषणों, कोयला और खादों पर यह दर 1% बनी रहेगी।

सेक्टर विनिर्दिष्ट प्रस्ताव

I. सीमेंटः

पैकेजों के रूप में विनिर्मित और निकासी किए गए सीमेंट पर उत्पाद शुल्क ढांचे का व्यवस्थीकरण किया जा रहा है। पैकेजों के रूप में विनिर्मित और निकासी किए गए सीमेंट पर शुल्क प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए ग्रेडयुक्त आरएसपी स्लैबों को समाप्त किया जा रहा है । सीमेंट और सीमेंट क्लीकरों पर दरों को निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जा रहा हैः

विवरण	शुल्क की पुनरीक्षित दर
1. पैक रूप में विनिर्मित और निकासी किया गया सीमेंट :-	
(क) लघु सीमेंट संयंत्रों से	6% मूल्यानुसार + 120 रुपए प्रति टन
(ख) लघु सीमेंट संयंत्रों से भिन्न संयंत्रों से	12% मूल्यानुसार + 120 रुपए प्रति टन
2. पैकेज रूप से भिन्न निकासी किया गया सीमेंट	13% मूल्यानुसार
3. सीमेंट क्लींकर	12% मूल्यानुसार

सीमेंट को धारा 4क के अधीन भी अधिसूचित किया जा रहा है, अर्थात खुदरा विक्रय मूल्य से 30% के उपशमन के साथ खुदरा विक्रय मूल्य आधारित निर्धारण।

II. बहुमूल्य धातुएं :

(1) वर्तमान में, बहुमूल्य धातुओं के ब्रांडीकृत आभूषणों पर 1% उत्पाद शुल्क उद्गृहणीय है। उद्ग्रहण की परिधि को, अब्रांडीकृत आभूषण को उसमें सम्मिलित करने के लिए विस्तारित किया जा रहा है। तथापि, ऐसे अब्रांडीकृत आभूषणों पर शुल्क को बीजक में घोषित संव्यवहार मूल्य के 30% पर प्रभारित किया जाएगा।

(2) अब्रांडीकृत रजत आभूषणों को पहले ही छूट प्राप्त है। ब्रांडीकृत रजत आभूषणों को उत्पाद शुल्क से छूट प्रदान की जा रही है।

(3) ईओयू से देशी टैरिफ क्षेत्र में विक्रीत स्वर्ण आभूषणों पर उत्पाद शुल्क को 5% से बढ़ाकर 10% किया जा रहा है।

(4) परिष्कृत स्वर्ण पर उत्पाद शुल्क को 1.5% से बढ़ाकर 3% किया जा रहा है।

(5) ताम्र स्मेलटिंग से निर्मित स्वर्ण पर उत्पाद शुल्क को 2% से बढ़ाकर 3% किया जा रहा है।

(6) ताम्र स्मेलटिंग से निर्मित रजत पर त्पाद शुल्क को 6% से घटाकर 4% किया जा रहा है।

(7) बहुमूल्य घातुओं या बहुमूल्य धातुओं से मढ़ी धातुओं के स्वर्णकार और रजतकार के ऐसे बर्तनों, जिनपर ब्रांड नाम नहीं है, पर उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट का उपबंध किया जा रहा है।

(8) 99.5% और अधिक की शुद्धता वाले स्वर्ण सिक्कों और 99.9% और अधिक की शुद्धता वाले रजत सिक्कों को पूर्ण रूप से उत्पाद शुल्क से छूट दी जा रही है।

III. तंबाकू उत्पाद

(1) सिगरेटों को आरएसपी से 50% के उपशमन के साथ आरएसपी आधारित निर्धारण के लिए धारा 4क के अधीन अधिसूचित किया जा रहा है।

(2) हस्त-वेलित बीडियों पर आधारिक उत्पाद शुल्क को 8 रुपए प्रति हजार से बढ़ाकर 10 प्रति हजार तथा मशीन वेलित बीडियों पर 19 रुपए प्रति हजार से बढ़ाकर 20 रुपए प्रति हजार किया जा रहा है।

(3) पान मसाला, गुटका, चबाने वाली तंबाकू, ज़र्दा सुंगधित तंबाकू और अविनिर्मित तंबाकू को शमनीय उद्ग्रहण स्कीम के अधीन लागू प्रति मशीन शुल्क की दरों को बढ़ाया जा रहा है।

IV. व्यापक उपभोग की मदें :

(1) प्रति मद 200 रुपए से अनधिक के मूल्य के लेखन यंत्रों के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त रिफिलों और स्याहियों के वास्तविक उपयोक्ता की शर्त के अधीन रहते हुए उत्पाद शुल्क से पूर्णतया छूट प्रदान की जा रही है।

(2) जूता पर छूट परिसीमा प्रति जोड़ा 250 रुपए से बढ़ाकर प्रति जोड़ा 500 रुपए की जा रही है। प्रति जोड़ा 500 रुपए से अधिक के जूते पर 12% का उत्पाद शुल्क लगेगा।

(3) आयोडीन पर उत्पाद शुल्क 10% से घटाकर 6% किया जा रहा है।

V. पर्यावरण अनुकूलनीय माल

(1) अन्त उपयोग दशा के अधीन रहते हुए पुर्जों और ओईएम के रूप में उपयोग के लिए वैद्युत यानों के विनिमार्ताओं को प्रदाय किए गए बैटरी पैकों पर उत्पाद शुल्क 10% से घटाकर 6% किया जा रहा है।

(2) अन्त तक उपयोग शर्त के अधीन रहते हुए हाइब्रिड यानों के विनिर्माताओं को प्रदाय किए गए हाईब्रिड यानों के विनिर्दिष्ट पुर्जों पर उत्पाद शुल्क 10% से घटाकर 6% किया जा रहा है।

(3) एलईडी लैम्पों पर उत्पाद शुल्क घटाकर 6% किया जा रहा है।

VI. टेक्सटाइल :

(1) किसी ब्रांड नाम वाले या किसी ब्रान्ड के अधीन विक्रीत रेडीमेड परिधानों पर उत्पाद शुल्क प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए खुदरा विक्रय मूल्य से शमन के स्तर को 55% से बढ़ाकर 70% किया जा रहा है।

VII. प्रकीर्ण :

(1) उत्पाद शुल्क से पूर्ण छूट अध्याय 20 के अन्तर्गत आने वाले फलों और सब्जियों से युक्त उन निर्मितियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, जिन्हें होटल, रेस्टोरेन्ट या खुदरा बिक्री केन्द्र में तैयार किया जाता है, चाहे ऐसे खाद्य का ऐसे होटलों / रेस्टोरेन्टों/खुदरा बिक्री केन्द्रों में उपभोग किया जाता है या नहीं ।

(2) उन मोबाइल फोनों, जिन्हें मोबाइल फोनों के विनिर्माता को प्रदाय किया गया है, से भिन्न मोबाइल फोनों के पुर्जों पर उत्पाद शुल्क 10% से घटाकर 2% किया जा रहा है, यह तब जब कोई केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर लिया जाता है।

(3) निम्नलिखित पर उत्पाद शुल्क 10% से घटाकर 6% किया जा रहा हैः

(क) अर्ध-यंत्रीकृत यूनिटों द्वारा विनिर्मित माचिसें

(ख) सोया के प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों

(4) इन्ट्रा ओकुलर लेंसों पर उत्पाद शुल्क से छूट प्रत्यावर्तित की जा रही है।

सेवा कर

I. सेवा कर की दर

(1) सेवा कर की दर दस प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत की जा रही है।

(2) सेवा कर दर में परिवर्तन के परिणामस्वरूप, निम्नलिखित के लिए कर की विनिर्दिष्ट प्रशमनकारी दरों में परिवर्तन किए जा रहे हैंः

(क) विदेशी करेंसी, जिसके अन्तर्गत मनीचेजिंग भी है, के क्रय और विक्रय के संबंध में सेवा ;

(ख) लाटरी के संवर्धन, उसके विपणन, उसे सगंठित करने, या किसी रीति में उसे संगठित करने में सहायता करने की सेवा;

(ग) संकर्म संविदा सेवा ;

(घ) नियम 6(3) (i) के अधीन केन्द्रीय मूल्य वर्धित प्रत्यय कर का प्रत्यावर्तन

(3) जीवन बीमा सेवा : जहां सम्पूर्ण प्रीमियम जोखिम कवर के लिए नहीं है, वहां पहले वर्ष के प्रीमियम पर तीन प्रतिशत की दर पर कर लगाया जाएगा जबकि पश्चातवर्ती प्रीमियम पर 1.5 प्रतिशत की दर पर कर लगाया जाएगा । पूर्ण केन्द्रीय मूल्य वर्धित प्रत्यय का फायदा अनुज्ञात किया जाता है।

(4) वायुयान द्वारा घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत में उतरने वाले यात्रियों का परिवहन : मितव्ययी वर्ग यात्रा की दशा में 150 रुपए और 750 रुपए के अधिकतम सेवा कर की दोहरी दर संरचना को साठ प्रतिशत के उपशमन सहित बारह प्रतिशत की मूल्यानुसार दर द्वारा इस शर्त के अधीन रहते हुए प्रतिस्थापित किया जा रहा है कि अन्तः निवेश और पूंजी मालों पर कोई प्रत्यय नहीं लिया जाता है;

[उपरोक्त परिवर्तन 1.4.2012 से लागू होंगे]

II. नकारात्मक सूची उपागम को आंरभ करना :

सेवाओं के कराधान के लिए एक नकारात्मक सूची उपागम को, वित्त अधिनियम, 1994 (कृपया वित्त विधेयक, 2012 के खंड 143 को देखें) के अध्याय 5 में प्रस्तावित नई धाराओं अर्थात् 65ख, 66ख, 66ग, 66घ, 66ङ और 66च द्वारा आरंभ किया जा रहा है। "नकारात्मक सूची" (धारा 66फ) में विनिर्दिष्ट सेवाएं कर परिधि से बाहर रहेंगी। इस प्रकार, अन्य सभी सेवाएं सिवाय उनके जो विनिर्दिष्ट रूप से वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 93(1) के अधीन शक्तियों के प्रयोग द्वारा छूट प्राप्त हैं, सेवा कर से प्रभार्य होंगी। सेवा कराधान के लिए नकारात्मक सूची उपागम, वित्त विधेयक, 1994 पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाने के पश्चात् अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होगा। नकारात्मक सूची उपागम को प्रवर्तित करने के लिए, अनेक परिवर्तन वित्त विधेयक, 1994 के अध्याय 5 में प्रस्तावित किए गए हैं।

इन परिवर्तनों की विस्तृत जानकारी एक मार्गदर्शन पत्र के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है, जो जनता के समक्ष रखा जाएगा। सेवाकर नियम, 1994 सेवाकर (मूल्य का अवधारण) नियम, 2006 तथा केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 में पारिणामिक परिवर्तन भी इस मार्गदर्शन पत्र का भागरूप होंगे। इस समय वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 में आने वाले सकारात्मक सूची उपागम से संबंधित उपबंध अर्थात् धारा 65, धारा 65क, धारा 66 और धारा 66क, जब और जैसे नकारात्मक सूची उपागम का प्रवर्तन आरंभ होता है, उसके बाद में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से प्रवर्तन में नहीं रह जाएंगी।

सेवाओं के कराधान के लिए नकारात्मक सूची उपागम का समर्थन करने के लिए, प्रारूप सेवाओं के उपबंध का स्थान नियम, 2012 का प्रस्ताव किया जा रहा है। सेवाओं के उपबंध का स्थान नियमों में ऐसे सिद्धान्त अन्तर्विष्ट हैं जिनके आधार पर सेवा की कराधान संबंधी अधिकारिता का अवधारण किया जा सकता है। सेवाओं के उपबंध का स्थान नियम, 2012, वित्त विधेयक, 2012 (धारा 66) पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो जाने के पश्चात् अधिसूचित किए जाएंगे। सेवाओं के उपबंध का स्थान नियम, 2012 प्रभावी हो जाने पर, विद्यमान "सेवाओं का निर्यात नियम, 2005" और "सेवाओं का कराधान (भारत से बाहर उपलब्ध कराई गई और भारत के अन्दर प्राप्त की गई) नियम, 2006 विखंडित किए जाएंगे।

III. वित्त अधिनियम, 1994 में संशोधन :

वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय-5 का संशोधन किया जा रहा है :-

(1) एक नई धारा 67क यह विहित करने के लिए अन्तःस्थापित की जा रही है कि कराधेय सेवा का मूल्य (विशिष्ट तथा कराधेय सेवाओं के आयात और निर्यात की दशा में) और कर की दर कराधान बिन्दु नियम, 2011 के निबंधनानुसार अवधारित की जाएगी।

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 14क और धारा 14कक के आधार पर सेवाकर विधि में विशेष संपरीक्षा से संबंधित उपबंध पुरःस्थापित करने के लिए एक नई धारा 72क अन्तःस्थापित की जा रही है। पुरःस्थापित की गई इस नई धारा के अधीन विशेष संपरीक्षा विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में आदिष्ट किया जा सकता है। परिणामतः धारा 144कक का धारा 83 से लोप किया जा रहा है।

(3) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73(1) के अधीन विहित अपराधों के विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के लिए सूचना जारी करने हेतु एक वर्ष की सीमा को बढ़ाकर अठारह मास किया जा रहा है। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 में एक नई उपधारा (1क) का अंतःस्थापन यह विहित करने के लिए किया जा रहा है कि उन्हीं आधारों पर जारी किए गए अनुसरण नोटिसों में आधारों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है किन्तु पश्चातवर्ती अवधि के लिए भारित सेवा कर की रकम का उनमें कथन करना होगा। पूर्ववर्ती मांग नोटिस के प्रति निर्देश से तामील, पश्चात्तवर्ती अवधि के लिए शोध्य कर का कथन वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 73 (1) के अधीन नोटिस समझा जाएगा।

(4) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 31, धारा 32, धारा 32क से धारा 32त में अंतर्विष्ट समान उपबंधों के अनुसार सेवा कर को लागू समझौता आयोग के उपबंधों को लागू करने के लिए धारा 83 का संशोधन किया जा रहा है।

(5) संभव सीमा तक केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, 1944 की धारा 35ङङ में विहित पुनरीक्षण तंत्र को सेवा कर पर लागू करने के लिए धारा 83 का संशोधन किया जा रहा है।

(6) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की धारा 35 और धारा 35ङ के अनुरूप धारा 85 और धारा 86 संशोधित की जा रही हैं जिससे आयुक्त (अपील) के समक्ष निर्धारिती अपील तथा अधिकरण के समक्ष राजस्व अपील फाइल करने के लिए परिसीमा का सुमेलन किया जा सके।

(7) (क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपराधों का शमन) नियम, 2005 के अनुरूप शमन की रीति तथा अपराधों के शमन की रकम विनिर्दिष्ट करने का उपबंध करने ; (ख) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अनुरूप मामलों के समझौते के लिए नियमों का उपबंध करने के लिए शक्तियां प्राप्त करने हेतु धारा 94 (2) का संशोधन किया जा रहा है।

[उपर्युक्त परिवर्तन वित्त विधेयक, 2012 के अधिनियमन की तारीख से प्रभावी होंगे]।

IV. नया प्रत्यावर्तन प्रभार तंत्र

(1) सेवाकर के संदाय की जिम्मेदारी, प्रत्यावर्तन प्रभार के आधार पर भागतः सेवा प्रदाता तथा भागतः सेवा प्राप्तकर्ता पर डालने के लिए वित्त विधेयक, 1994 की धारा 68(2) का संशोधन किया जा रहा है। इस स्कीम को तीन विशिष्ट सेवाओं अर्थात् यातायात के साधन किराए पर लेने, संनिर्माण तथा मानव शक्ति आपूर्ति पर लागू करने का प्रस्ताव है। वित्त विधेयक, 2012 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के पश्चात् अधिसूचना जारी की जाएगी, जिसमें तीन सेवाओं के मामले में सेवा प्रदाता और सेवा प्राप्तकर्ता द्वारा सेवा कर के संदाय की रीति और सीमा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(2) उपर्युक्त परिवर्तन के परिणाम स्वरूप, सेवा कर नियम, 1994 के नियम 2 (1) (घ) में उपबंधित "संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति, की उपधारणा में भी उचित संशोधन किए जा रहे हैं।

V. स्थावर संपत्ति सेवा को किराए पर देना :

स्थावर संपत्ति किराए पर देने पर सेवाकर के उद्ग्रहण की संवैधानिक विधिमान्यता मुकदमों की विषय-वस्तु रही है, जिससे राजस्व के पक्ष में न्यायालयों के निर्णय हुए हैं, जिसमें माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय सम्मिलित हैं। संपूर्ण दृष्टिकोण लेते हुए, सरकार ने उन कर दाताओं पर शास्ति का अधित्यजन करने का विनिश्चय किया है जो स्थावर संपत्ति किराए पर देने की सेवा पर शोध्य सेवा कर का संदाय करते हैं (06.03.2012 को यथाविद्यमान)। इस प्रयोजन के लिए, वित्त अधिनियम, 1994 में एक नई धारा 80क अंतःस्थापित की जा रही है। शास्ति अधित्यजन की यह स्कीम, वित्त विधेयक, 2012 के अधिनियमन की तारीख से केवल छह मास की अवधि के लिए खुली होगी।

VI. भूतलक्षी प्रभाव वाली छूटें :

(1) अधिसूचना सं. 24/2009 एसटी तारीख 27.07.2009 द्वारा सड़कों की मरम्मत पर पहले ही सेवाकर से छूट प्राप्त है। वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 97 के द्वारा सड़कों की मरम्मत को मंजूर की गई छूट को 16-06-2005 से 26-07-2009 की पूर्व अवधि के लिए विस्तारित किया जा रहा है।

(2) गैर-वाणिज्यिक सरकारी भवनों के संबध में की गई प्रबंधन, अनुरक्षण या मरम्मत संबंधी सेवाओं को 16-06-2005 से नई प्रभारण धारा, अर्थात् धारा 66ख के प्रवृत्त होने तक धारा 98 के द्वारा सेवा कर से छूट प्रदान की जा रही है।

(3) पिछले बजट में, केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 6 के अधीन उपनियम 6क अंतःस्थापित किया गया था, जिससे देशी टैरिफ क्षेत्र में अवस्थित सेवा प्रदाताओं को उस समय केन्द्रीय मूल्यवर्धित कर प्रत्यय के प्रत्यावर्तन से संरक्षित किया जा सके, जब वे एसईज़ेड के प्राधिकृत प्रचालनों को कराधेय सेवाएं प्रदान करते हैं। उपनियम 6क के प्रवर्तन को 10.02.2006 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है।

[वित्त विधेयक, 2012 का खंड 144] ।

(4) सामान्य बहिस्राव उपचार संयंत्र के संबंध में रंजक इकाइयों के संगम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को अधिसूचना सं. 42/2011-एसटी तारीख 25-07-2011 के द्वारा सेवा कर से छूट दी गई थी। इस छूट की परिधि को विस्तृत किया जा रहा है और संशोघिनकारी अधिसूचना को 16-06-2005 से भूतलक्षी प्रभाव दिया जा रहा है।

[वित्त विधेयक, 2012 का खंड 145] ।

[उपरोक्त भूतलक्षी प्रभाव वाली छूटें, वित्त विधेयक, 2012 के अधिनियमन की तारीख से प्रभावी होंगी] ।

VII. नियमों में संशोधन :

(1) केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 का संशोधन किया जा रहा है :

(क) विद्यमान नियम 5 के स्थान पर एक नया नियम रखा जा रहा है, जिससे निर्यातों के मद्दे अप्रयुक्त प्रत्यय के प्रतिदाय की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए;

(ख) मोटर यानों (शीर्ष सं. 8702, 8703, 8704, 8711 के मोटर यानों और उनकी चेसिस को छोड़कर) पर प्रत्यय अनुज्ञात किया जा रहा है। ऐसे यानों को किराये पर देने, उनके बीमा और मरम्मत पर संदत्त कर के प्रत्यय को भी अनुज्ञात किया जाएगा;

(ग) बीमा और सर्विस स्टेशन का प्रत्यय निम्नलिखित के लिए अनुज्ञात किया जा रहा है -

(i) उनके द्वारा बीमा और पुनःबीमा किए गए यानों के संबध में बीमा कंपनियां; और

(ii) विनिर्मित मोटर यानों के संबंध में उनके विनिर्माता

(घ) इस समय, माल पर प्रत्यय केवल उनके सेवा प्रदाता के परिसर में लाने के पश्चात् ही लिया जा सकता है। किसी सेवा प्रदाता को अन्तःनिवेश या पूंजी मालों पर विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, जब भी माल व्यय उसे परिदत्त किया जाए, प्रत्यय लेने के लिए अनुज्ञात करने के लिए नियम 4(1) और नियम 4(2) का संशोधन किया जा रहा है।

(ङ) अंतःनिवेश सेवा वितरणों के लिए नियम 7क का संशोधन किया जा रहा है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी इकाई में पूर्णतः उपयोग की गई सेवा के कारण सेवा कर का केवल उस इकाई में वितरण किया जाए और एक से अधिक इकाइयों में उपयोग की गई सेवा या सेवा कर सबंधित इकाई की आवत के मात्रानुपाति आधार पर सभी इकाइयों, जिनसे सेवा सबंधित है, की आवर्त के आधार पर वितरित किया जाएगा।

(च) सेवा प्राप्त करने वाले द्वारा प्रत्यावर्तन प्रभार पर सेवा कर के संदाय की दशा में, कर संदाय चालान पर प्रत्यय का फायदा अनुज्ञात करने के लिए नियम 9(1) (ङ) का संशोधन किया जा रहा है।

(2) सेवा कर नियम, 1994 का निम्नानुसार संशोधन किया जा रहा है :

(क) बीजक जारी करने के लिए नियम 4क में उपबंधित समय सीमा को बढ़ाकर तीस दिन किया जा ररहा है। बैंककारी और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रहे बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए यह अवधि पैंतालीस दिन होगी;

(ख) असीमित अनुज्ञेय समायोजनों को अनुज्ञात करने के लिए नियम 6 (4क) का संशोधन किया जा रहा है।

(ग) इस समय निर्यात और आठ विनिर्दिष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले व्यष्टिकों और फर्मों की दशा में कतिपय सीमाओं के अधीन रहते हुए कराधान का बिंदु संदाय की तारीख है। इस विशेष व्यवस्था को कराधान बिंदु नियमों से सेवा कर नियमों में स्थानांतरित किया जा रहा है।

(घ) निर्यातकों की दशा में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विशिष्ट अनुरोधों पर विस्तारित अवधि को उस अवधि में शामिल किया जा रहा है जिसके लिए अनुज्ञात अवधि को आस्थगित किया गया है।

(ङ) आस्थगित संदाय के विकल्प को विशिष्ट सेवाओं के स्थान पर सभी सेवा प्रदाताओं को अनुज्ञात किया जा रहा है। यह सुविधा केवल व्यष्टिकों और भागीदारी फर्मों (जिसके अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी भी है) को इस शर्त के अधीन रहते हुए कि पूर्व वर्ष में कराधेय सेवाओं का उनका आवर्त पचास लाख रुपए से कम था, कराधेय सेवाओं का आवर्त पचास लाख रुपए तक है, उपलब्ध होगी।

उपरोक्त सीमाओं की संगणना के लिए, पूर्ण आस्तित्व और न कि किसी रजिस्ट्रीकरण के आवर्त को जोड़ना अपेक्षित है।

(3) कराधान का बिन्दु नियम, 2011 का निम्नलिखित के लिए संशोधन किया जा रहा है, -

(क) सेवा की अवधारणा की संपूर्ण विमा अर्थात सेवाओं की पुनरावर्ती प्रकृति और आवधिक रूप से या समय-समय पर संदाय की बाध्यता को समझने के लिए सेवा के सतत् प्रदाय की परिभाषा में परिवर्तन करना;

(ख) सेवा के सतत् प्रदाय से संबंधित नियम 6का लोप करने और उसे नियम 3के साथ समामेलित करने। नियम 4 और नियम 5, जो कर की प्रभावी दर और नई सेवाओं के कराधान में परिवर्तन को अंतर्वलित करने वाली परिस्थिति के संबंध में हैं, अब सेवा के सतत् प्रदाय को भी लागू होंगे;

(ग) संदाय की तारीख की परिभाषा;

(घ) संदाय की बजाय, बीजक या सेवा के समापन के आधार पर बीजक में उपदर्शित रकम से अधिक प्राप्त एक हजार रुपए तक के अग्रिमों के संबंध में कराधान के बिंदु का अवधारण करने के लिए विकल्प देने; और

(ङ) ऐसे मामलों में जहां कराधान बिंदु को विहित नियमों द्वारा अभिनिश्चित नहीं किया जा सकता, कराधान बिंदु को अभिनिश्चित करने के लिए नए अवशिष्ट नियम को सम्मिलित करने।